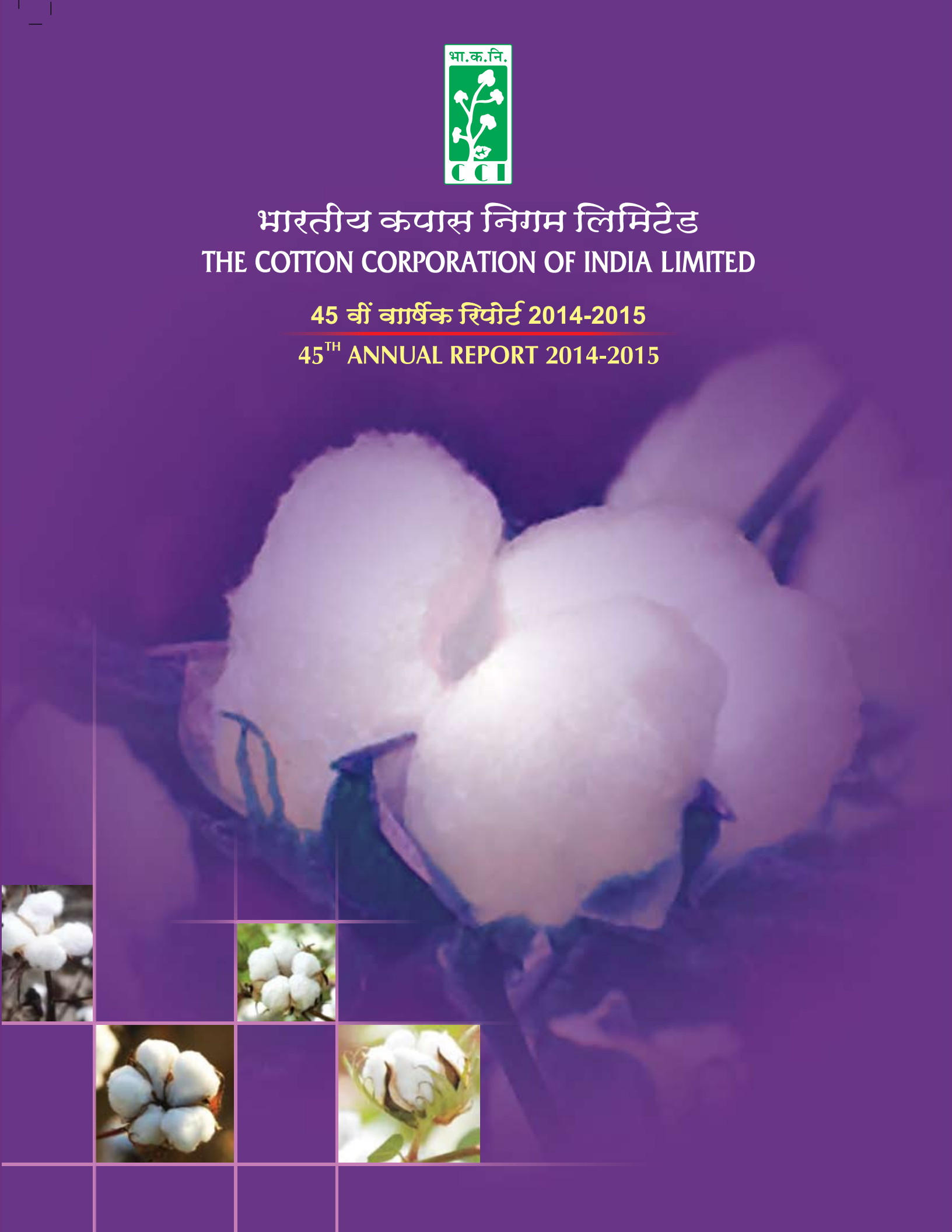
भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

45 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

45TH ANNUAL REPORT 2014-2015





अनुक्रमणिका / Index

विषय / Particulars	Page No
निदेशक मंडल Board of Directors	2
वरिष्ठ प्रबंधन टीम Senior Management Team	4
सूचना Notice	6
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman Speech	8
निदेशक रिंपोर्ट Directors Report	18
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट अ Annexture A to Directors` Report	50
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट ब Annexture B to Directors` Report	57
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors` Report	64
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the CAG	77
वार्षिक लेखे Annual Accounts	78
बैंकों की सूची List of Banks	134
प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	135

निदेशक मंडल
(दिनांक 03.11.2015 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 03.11.2015)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman cum Managing Director	**श्री बी.के.मिश्र** **Shri B. K. Mishra**
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Textiles	**श्री जे. के. दादू** **Shri J.K. Dadoo**
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय Joint Secretary, Ministry of Textiles	**श्रीमती अनु गर्ग** **Smt. Anu Garg**
निदेशक (वित्त) Director (Finance)	**श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल** **Shri Pradeep Kumar Agarwal**
निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	**श्री एम. एम. चोक्कलिंगम** **Shri M. M. Chockalingam**

लेखा परीक्षक

मेसर्स प्रसाद आजाद एंड कं.
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
मेसर्स बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, मुंबई

AUDITORS

M/s. Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants, New Delhi
M/s. Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants, Mumbai

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in



श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director



श्री जे. के. दादू, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
Shri J.K. Dadoo, Additional Secretary and Financial Advisor



श्रीमती अनु गर्ग, संयुक्त सचिव
Smt. Anu Garg, Joint Secretary



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)
Shri Pradeep Kumar Agarwal, Director (Finance)



श्री एम. एम. चोक्कलिंगम, निदेशक (विपणन)
Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)

वरिष्ठ प्रबंधन टीम
SENIOR MANAGEMENT TEAM

मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer	**श्री परमजीत सिह, भा. रा. से.** **Shri Paramjeet Singh, I.R.S.**
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त) Chief General Manager (Finance)	**श्री मनोज बजाज** **Shri Manoj Bajaj**
मुख्य महा प्रबंधक (समन्वय) Chief General Manager (Co-ordination)	**श्री ललित कुमार गुप्ता** **Shri Lalit Kumar Gupta**
मुख्य महा प्रबंधक Chief General Manager	**श्री एस. के. पाणिग्रही** **Shri S. K. Panigrahi**
कंपनी सचिव Company Secretary	**श्री मो. जफर रिजवानी** **Shri Mohd. Zaffar Rizwani**

महा प्रबंधक / General Managers

श्री आर. के. गुप्ता Shri R. K. Gupta	डॉ. एस.के.चतुर्वेदी Dr. S. K. Chaturvedi	श्री. यू.के. सिंह Shri U.K. Singh	श्री विशाल के. सिन्हा Shri Vishal K. Sinha
श्री एस. के. दास Shri S. K. Das	श्री अतुल काला Shri Atul Kala	श्री ए. के. श्रीवास्तव Shri A. K. Srivastava	

उप महा प्रबंधक
Deputy General Managers

श्री एस. के. बाजपेयी Shri S. K. Bajpai	श्री प्रांजल पी. जोशी Shri Pranjal P. Joshi
श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar



श्री परमजीत सिह, भा. रा. से.
मु.सत. अ.
Shri Paramjeet Singh, I.R.S.
C.V.O.



श्री मनोज बजाज
मु.म.प्र.(वित्त)
Shri Manoj Bajaj
C.G.M. (Finance)



श्री ललित कुमार गुप्ता
मु.म.प्र.(समन्वय)
Shri Lalit Kumar Gupta
C.G.M. (Co-ordination)



श्री एस. के. पाणिग्रही
मु.म.प्र.
Shri S. K. Panigrahi
C.G.M.



श्री मो. जफर रिजवानी
कंपनी सचिव
Shri Mohd. Zaffar Rizwani
Company Secretary

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 45वीं वार्षिक सामान्य बैठक **मंगलवार दि. 3 नवंबर 2015 को 11.00 बजे, कपास भवन प्लॉट नं.3ए,सेक्टर-10,सी.बी.डी.बेलापुर,नवी मुंबई-400614** में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

सामान्य व्यवसायः

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित विवरणी, तुलन-पत्र तथा निदेशकों व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अनुसार संबंधित विवरणियाँ और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त और स्वीकार करना ।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रिजवानी)
(कंपनी सचिव)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 02.11.2015

NOTICE is hereby given that the **45th Annual General Meeting of the members of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held on Tuesday the 3rd November, 2015 at 11.00 a.m. at Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai - 400 614** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Company for the year ended 31st of March, 2015, the Balance Sheet as at that date and Directors' report and Auditor's Report alongwith other related documents and comments of Comptroller & Auditor General of India thereon in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

2. To declare dividend for the financial year 2014-15..

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 02.11.2015

नोट्स:

1. बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के हकदार अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना **आवश्यक नहीं है** ।

2. बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पास सदस्य का प्रॉक्सी पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए । प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के अंत में दिया गया है।

3. यदि संयुक्त नाम पर अथवा विभिन्न रजिस्टर्ड फोलियो में शेयर्स हो, तो मुख्य धारक /प्रथम संयुक्त धारक वही है तो ऐसे मामले में केवल प्रथम संयुक्त धारक अथवा ऐसे धारक द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो मामला कैसा भी हो उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रिजवानी)
कंपनी सचिव

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 02.11.2015

प्रति,
कंपनी के सभी सदस्य, निदेशक तथा लेखा परीक्षक

NOTES:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF. SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

2. PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. THE PROXY FORM IS ENCLOSED AT THE END OF NOTICE TO AGM.

3. In case of shares held in joint names or shares held under different registered folios wherein the name of the sole holder/first joint-holder is same, only the first joint-holder/sole holder or any proxy appointed by such holder, as the case may be, will be permitted to attend the meeting.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 02.11.2015

To,
All Members, Directors & Auditors of the Company



भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

निगम की 45 वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण
SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

प्रिय शेयरधारकों,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 45वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

आपके निगम ने अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं, कर्मचारियों के समर्पित व अनुभवी संगठन से कपास मौसम 2014-15 की चुनौतियों का सामना करते हुए संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की ।

1. कपास परिदृश्य

विश्वीय

वर्ष 2014-15 में विश्व कपास क्षेत्रफल 2% वृद्धि के साथ

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of the Board of Directors of the Corporation and also on my behalf to this 45th Annual General Meeting of The Cotton Corporation of India Limited ("CCI"). The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March 2015 together with the Report of Statutory Auditors, and report and review of Comptroller and Auditor General of India, have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

Your Corporation, with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet the challenges of Cotton season 2014-15 creating value for the organization and gaining further strength.

1. COTTON SCENARIO:

Global

The world cotton acreage in 2014-15 has

33.39 मिलियन हैक्टर तक पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष 32.69 मिलियन हैक्टर था। क्षेत्रफल में यह वृद्धि मुख्यतः समय पर मानसून प्रारंभ होने तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक उपजों से कपास में बदलने के कारण हुआ।

वर्ष 2014-15 में विश्व कपास उत्पादन, पिछले वर्ष 2013-14 के 26.28 मिलियन टन्स के सामने 26.11 मिलियन टन्स तक गिरने की संभावना है।

विश्वीय अर्थव्यवस्था में कम रिकवरी के आधार पर वर्ष 2014-15 में विश्वीय कपास उपभोग 4% वृद्धि के साथ 24.48 मिलियन टन्स होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष 23.61 मिलियन टन्स था।

सितंबर, 2015 के अंत में वैश्विक अंतिम स्टॉक पिछले वर्ष 20.30 मिलियन टन्स की तुलना में 7.3% वृद्धि द्वारा 21.79 मिलियन टन्स होने की आशा है।

increased by around 2% to 33.39 million hectares as against 32.69 million hectares in previous year. The increase in acreage was mainly due to timely onset of monsoon & switching over to cotton from other competing crops.

World cotton production in cotton season 2014-15 is expected to decrease slightly to 26.11 million tons as against 26.28 in 2013-14.

On the basis of timid recovery in global economy, World cotton consumption in 2014-15 is expected to increase by around 4% to 24.48 million tons as against 23.61 million tons in last year.

Global ending stocks at the end of September 2015 are expected to increase by 7.3 % to 21.79 million tons in comparison to previous year's 20.30 million tons.

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

पिछले वर्ष अच्छे मूल्य प्राप्त होने तथा बुआई के समय कृषि जलवायु स्थितियाँ अनुकूल होने से कपास मौसम 2014-15 में अन्य प्रतिस्पर्धात्मक उपजों के कपास में बदलने से कपास के अधीन क्षेत्रफल बढ़ाने में कपास किसानों को प्रेरणा मिली जिसके फलस्वरूप समग्र कपास क्षेत्रफल गत वर्ष 2013-14 के 119.60 लाख हैक्टर की तुलना में 8.5% की बढ़ौतरी के साथ लगभग 129.71 लाख हैक्टर हुआ।

भारत सरकार द्वारा मिनी मिशन I तथा II के द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों के कारण गुणवत्तावाली प्रमाणित बीजों की बेहतर गुणवत्ता उपलब्धता और ट्रुथफुल लेबल बीजों, बी.टी. बिनौलों का वृद्धित रोपण और हाई डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टम ,इंटरक्रापिंग इत्यादि नई तकनीकी अपनाने द्वारा सुधारित खेती प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों की विचार धारा में आये परिवर्तन से देश में कपास की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि समग्र देश में असमय पर हुई बारिश के कारण विशेषतः उत्तरी व मध्य राज्यों में उपज पर बुरा असर पड़ा। कपास मौसम 2014-15 में कपास की उत्पादकता 511 कि.ग्रा. प्रति

Domestic

Acreage, production and productivity of cotton:

Receipt of good prices in the previous year and favourable agro-climatic conditions at the time of sowing motivated the cotton farmers to increase the acreage under cotton in cotton season 2014-15 by switching over from other competing Crops. As a result, the overall acreage under cotton has been around 129.71 lakh hectares i.e. higher by 8.5% in comparison to 119.60 lakh hectares in 2013-14.

With various measures by Government of India under Technology Mission on Cotton, better availability of quality certified seeds and truthful label seeds, increased usage of Bt seeds and the changed mindset of cotton farmers towards improved farm practices by adopting new techniques like High density planting system, intercropping etc., the productivity of cotton in the country over the years had been continuously increasing. However, due to untimely rains across the country adversely affected the yield particularly in Northern & Central States. The

हेक्टर रही जबकि पिछले वर्ष 2013-14 में यह 566 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी ।

2. माँग और आपूर्ति स्थितिः

देश में कपास मौसम 2014-15 के दौरान कपास की उपलब्धता 430.00 लाख गाँठें रही जिसमे तथा उसके साथ 32 लाख गाँठों का अवशेष स्टॉक और कपास का उत्पादन 390 लाख गाँठें और अनुमानित आयात 8.00 लाख गाँठे शामिल हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वव्यापी कपास की भरपूर मात्रा होने तथा कम आयात के लिए चीन की आयात नीति से देशी व अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यार्न की माँग में भी कमी आयी । जिसके परिणामस्वरूप देश से निर्यात गत वर्ष 117.98 लाख गाँठों के सामने 70 लाख गाँठों तक कम हुआ ।

जबकि स्पिन्डलेज कैपेसिटी में वृद्धि से देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेत्तर उपभोग शामिल है) 7% बढ़कर 320 लाख गाँठें हुआ (गत वर्ष 298.88 लाख गाँठों के विरूद्ध) तथापि देश में निर्यात में कमी की वजह से कपास मौसम 2014-15 में कपास की कुल विलुप्तता 390 लाख गाँठें बतायी गई जबकि गत वर्ष यह 416.80 लाख गाँठों की थी ।

कपास मौसम 2014-15 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2015 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 40 लाख गाँठें लगाया गया है, (यानि लगभग 45 दिनों की मिलों की खपत) जबकि पिछले वर्ष यह 32 लाख गाँठें था ।

सरकारी उपाय

कपास मौसम 2014-15 के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 102 (आरई-2013)/2009-14 एवं 103 (आरई-2013)/2009-14 दि.08.12.2014 द्वारा कपास व कपास यार्न के निर्यात के लिए संविदा हेतु डीजीएफटी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया गया है ।

yield per hectare in 2014-15 had been 511 kgs/hectare as against 566 kgs/ha in 2013-14.

2. DEMAND & SUPPLY SITUATION:

Total availability of cotton in the country in cotton season 2014-15 has been 430.00 lakh bales which include carry over stock of 32 lakh bales, crop production at 390.00 lakh bales and estimated imports of 8.00 lakh bales.

During the year under review, with cotton glut worldwide and new import policy of China for lesser import, the demand for yarn in Domestic as well as International market had been subdued. As a result, export from the Country has reduced to 70 lakh bales as against 117.98 lakh bales during previous year.

Though with increase in spindlage capacity, total cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) has increased by 7% to 320.00 lakh bales (as against 298.88 lakh bales in previous year), however, due to decrease in exports from the country, the total disappearance in cotton season 2014-15 has been 390.00 lakh bales as against 416.80 lakh bales in previous year.

The carry forward stock as at the end of the cotton season 2014-15 i.e., 30th September, 2015 has been estimated at 40 lakh bales (i.e. around 45 days mills consumption) as against 32.00 lakh bales in previous year.

Government Measures:

For Cotton Season 2014-15, the Govt. of India vide Notification No. 102 (RE-2013)/2009-14 & 103 (RE-2013)/2009-14 dated 08.12.2014, has abolished the requirement of registration with DGFT for contract for export of cotton & cotton yarn.

3. मूल्य प्रवृत्तिः

विश्व बाजार में कपास मूल्यों पर प्रमुख उत्पादन व खपत करनेवाले देश जैसे चीन, यू.एस इत्यादि में माँग आपूर्ति स्थिति का काफी प्रभाव पड़ा ।

चालू कपास मौसम के दौरान विश्वीय भारी इन्वेन्टरी तथा डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार चीन द्वारा न्यूनतम स्तर तक के आयात की वजह से मिलों द्वारा कपास की माँग बहुत कम थी । जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 कपास मौसम के आरंभ से ही कपास मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 19% से 31% कम थे । लिंट कपास के प्रारंभिक मूल्य भी पिछले वर्ष की तुलना में 26% से 30% कम थे ।

खरीदी के प्रति कम अभिरूचि तथा प्रतिकूल बाजार सिद्धांत की दोहरी स्थिति में बाजार में कमजोर माँग की वजह से वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में कपास मूल्य कम रहे ।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

वर्ष 2014-15 में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कॉटलुक ए इंडेक्स में बताये अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे ।

1 अगस्त 2014 को कॉटलुक ए का प्रारंभिक मूल्य 72.15 यूएस सेंट्स/एलबी था जबकि पिछले वर्ष 91.10 यूएस सेंट्स/एलबी था, वर्ष 2014-15 में 1 1/2 महीने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य स्थिर रहे तत्पश्चात् कॉटलुक ए इंडेक्स नवंबर, 2014 के द्वितीय सप्ताह के दौरान 65.90 यूएस सेंट्स/एलबी के स्तर तक घटती बढ़ती रही 1 जुलाई माह में कॉटलुक ए इंडेक्स 71.00 से 73.00 यूएस सेंट्स/एलबी की रेंज में रहे जबकि पिछले वर्ष के दौरान 89.00 से 91.00 यूएस सेंट्स/एलबी की रेंज में रहे ।

वर्ष 2014-15 में मौसम के माँग व आपूर्ति के सिद्धांतों के आचरण, चीन की नीति में परिवर्तन, मार्केट

3. PRICE TREND:

Cotton prices in the global markets are largely influenced by the demand-supply situation in major producing and consuming countries like China, US etc.

During current cotton season, due to huge inventory worldwide and lesser Import by China to bare minimum level as per their WTO Agreement, demand of cotton by the mills was very poor. As a result since beginning of cotton season 2014-15, the prices of seed cotton (kapas) were ruling below by 19% to 31% as compared to previous year. Also the opening prices of lint cotton were lesser by around 26% to 30% as compared to the opening prices of previous year.

Cotton prices were depressed during the 2014-15 as compared to previous year due to weak downstream demand in the market coupled with poor buying sentiments and unfavorable market fundamentals.

International price trend:

The international cotton prices, as measured by Cotlook A index, in 2014-15 had been ruling lower as compared to the corresponding period last year.

The opening price of Cotlook A as on 1st August, 2014 was 72.15 US Cents/lb as against 91.10 US Cents/lb in previous year. The International cotton prices remained relatively stable during 1 ½ month of 2014-15, thereafter, the Cotlook A index fluctuated to the level of 65.90 US Cents/lb during 2nd last week of November, 2014. In the month of July, the Cotlook A Index ruled in the range of 71.00 to 73.00 US Cents/lb as against 89.00 to 91.00 US Cents/lb during previous year.

Global cotton prices lost further ground during September, as the 2014-15 season's bearish supply and demand fundamentals, and policy

सेंटीमेन्ट के बढ़ते प्रभाव के कारण सितंबर माह के दौरान ग्लोबल कॉटन मूल्य और अधिक गिरे ।

विक्रेता के पास निम्न श्रेणी की कपास की काफी मात्रा उपलब्ध होने के कारण वे कम मूल्यों पर कपास बेचने के लिए इच्छुक थे ताकि उनके पास कपास कम हो सके ।

आयसीएसी ने कॉटलुक ए सूचकांक 71 यूएस सेन्ट प्रति एलबी पर प्रक्षेपित की है जो गत वर्ष लगभग 91 यूएस सेन्ट प्रति एलबी औसत के विरूद्ध है ।

4. निगम का कार्य-निष्पादन

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यः

जब कभी प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, आपका निगम भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास उत्पादको द्वारा उन्हें ऑफर की गई संपूर्ण कपास मात्रा खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करता है।

कपास मौसम 2014-15 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मूलभूत स्टेपल ग्रुप में लगभग 50 रू. यानि 2% की वृद्धि की ।

वर्तमान कपास मौसम के आरंभ में अक्तूबर/नवंबर महीनों में आवक की प्रगति अच्छी थी । चीन की न्यूनतम आयात नीति तथा विश्व में कपास की भरपूर मात्रा के कारण घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग निरंतर कम थी जिसके फलस्वरूप सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास मूल्य एमएसपी स्तर को छूने लगे तथा भाकनि ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 86.96 लाख गाँठों की खरीदी का व्यापक परिचालन कार्य किया ।

वाणिज्यिक कार्य-कलापः

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने की स्थिति में, आपका निगम वाणिज्यिक कार्य-कलाप सम्पूर्णतः स्वयं की जोखिम पर प्रारम्भ करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का

changes in China, increasingly influenced market sentiment.

There is a huge unsold stock of lower grade cotton available with the seller and they were willing to sell at lower prices in order to reduce inventory.

The ICAC has projected Cotlook A Index to average at around 71.00 US Cents per lb as against average of around 91.00 US Cents per lb in the previous year.

4. PERFORMANCE OF THE CORPORATION:

MSP Operations:

As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India.

For cotton season 2014-15, Government of India had increased the MSPs by Rs. 50/- i.e. around 2% in basic staple groups as compared to previous year.

In the beginning of current cotton season the pace of arrivals was reasonably good in the month of October/November. Due change in the China policy for bare minimum of Import and cotton glut world-wide; there was continuously subdued demand domestically as well as internationally. As a result, the kapas price touched the MSP level in all the cotton growing States and CCI had to undertake massive MSP operation to the tune of 86.96 lakh bales.

Commercial operations:

In the absence of MSP operations, the Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा अपनी नियमित खरीददार मिलों की यानि संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की पूर्ति की जा सके।

वर्ष 2014-15 के दौरान भाकनि ने कपास उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बडे पैमाने पर परिचालन किया तथा किसी भी राज्य में वाणिज्यिक खरीदी करने का अवसर नहीं मिला ।

देशी बिक्री:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने स्टाक के परिसमापन में व्यावहारिक दृष्टिकोण जारी रखा जिससे कपास स्टाक के परिसमापन में सहायता मिली । निगम पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 23.35 लाख गाँठों के सामने वर्ष 2014-15 में 4.20 लाख गाँठों की बिक्री करने में सफल हुआ ।

बिक्री टर्न-ओवर:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वित्तीय 2013-14 वर्ष के 4861.44 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के समझ वित्त वर्ष 2014-15 में 4837.83 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है । निगम ने ग्राहकों को बिक्री से पूर्व तथा उसके पश्चात् बेहतर सेवाएँ देने तथा अच्छी गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता मिलों से सीधे व्यावहारिक बिक्री की योजना को निरंतर जारी रखा ।

मूल्य परिवर्धन :

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत ईओयुएस तथा अन्य क्वालिटी कॉनश्येस मिलों की संदूषण मुक्त कपास की मांग को पूरा करने के लिए आपके निगम ने कुल उत्पादन का 90% न्यूनतम संदूषण से संसाधन किया है । मिलों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निगम आधुनिक जि.एवं प्रे. फैक्टरियों में संसाधित की गई कपास को प्रीमियम के साथ बेचने में समर्थ हुआ ।

competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

During 2014-15, CCI undertake massive MSP operation in all the cotton growing States and there was no occasion to effect Commercial operation in any State.

Domestic Sales:

During the year under review, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the cotton stocks. The Corporation has succeeded in selling 4.20 lakh bales in FY 2014-15 as against 23.35 lakh bales in the previous FY 2013-14.

Sales Turnover:

During the year under review, the turnover of the Corporation had been Rs.4837.83 crores in FY 2014-15 as against the turnover of Rs.4861.44 crores in the previous FY 2013-14. The Corporation continued to pursue the policy of pragmatic sales, directly to consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre and post sales services to the customers.

Value Addition:

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 90% of the total procurement with least contamination. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium.

5. विकासशील गतिविधियाँः

आपका निगम वर्ष 2005-06 से (2010 को छोड़कर) अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ जो पहले से ही कृषि मंत्रालय के एफएलडी प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन में कार्यरत है । फ्रंट लाईन डिमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी) घटक को कार्यान्वयन करने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है ।

परंतु 2014-15 से मंत्रालय द्वारा कथित प्रोग्राम के लिए निधीकरण बंद कर दिया गया है । कथित एफएलडी प्रोग्राम के लाभों को देखते हुए आपके निगम ने कर्नाटक राज्य (शा.का. हुबली के अंतर्गत), तमिलनाडू (शा.का.कोयंबतूर के अंतर्गत) तथा वेस्ट बंगाल (शा.का.कोलकाता के अंतर्गत) के पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर उपज/कपास की गुणवत्ता के लिए एफएलडी प्रोग्राम के साथ 700 कांट्रैक्ट फार्मिंग के कार्यक्रम आयोजित किए है, जिस पर 12.06 लाख रू. का व्यय किया गया ।

6. वित्तीय परिणामः

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान (कर के पश्चात्) 59.84 करोड़ रूपये के शुद्ध लाभ के सामने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निगम ने (कर के पश्चात्) 22.59 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त किया ।

निरंतर अच्छे निष्पादन को देखते हुए आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त लाभ पर 20% पेड-अप शेयर कैपिटल यानि कुल 5 करोड़ रूपये के लाभांश की सिफारिश की है ।

7. निगमित सामाजिक दायित्वः

वर्ष 2014-15 के दौरान वस्त्र मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन तथा कंपनीज़ नियमावली 2014 अनुसार भाकनि ने आदिलाबाद के इंदरवेली तथा दानोरा गॉव जिला तेलंगाना तथा विल्लुपुरम गॉव के पेरांगियूर व कलामरथूर जिला तमिलनाडु में बेंचस, वॉटर प्यूरिफायर, दरवाजे, खिडकियाँ, सोलार लाईट्स उपलब्ध करवाने के साथ-साथ बोर वेल मोटर सहित जल आपूर्ति करवाना ओवरहेड टैंक, सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाना जैसे कई सी. एस. आर. गतिविधियाँ आयोजित की है । कुल खर्च 19.32 लाख रू. हुआ ।

5. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Your Corporation has been one of the Nodal Agencies of Ministry of Agriculture, Govt. of India for implementing the component of Front Line Demonstration (FLD) in cotton since 2005-06 (barring 2010) along with other implementing agencies which were earlier implementing the FLD Project of Ministry of Agriculture.

But from 2014-15 onwards, funding for the said programme has been stopped by the Ministry. Looking to the benefits of the said FLD programme, your Corporation undertook 700 nos. Contract Farming with FLD programme for betterment of yield/quality of cotton in backward areas in the State of Karnataka (under B.O. Hubli), Tamil Nadu (under B.O. Coimbatore) and West Bengal (under B.O. Kolkata) with expenditure of Rs. 12.06 lakhs.

6. FINANCIAL RESULTS:

During the financial year 2014-15, the Corporation has earned a net profit of Rs. 22.59 crores (after tax) as against the profit of Rs. 59.84 crores (after tax) in the financial year 2013-14.

In view of continued good performance of the Corporation, the Board of Directors of the Corporation have recommended dividend @ 20 per cent on paid up share capital aggregating to Rs. 5 crores during the FY 2014-15.

7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During 2014-15, as per MoU with the Ministry of Textiles and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, your Corporation undertook various CSR activities like providing benches, water purifier, doors, window, solar lights, water supply including bore-well motor & overhead tank and constructions of toilets for girls in the Govt. schools in Indervally and Danora village of Adilabad District in Telangana and in Perangiyur and Kalamaruthur village of Villupuram District in Tamil Nadu. The total expenditure was Rs. 19.32 lakhs.

उपर्युक्त गतिविधियों में भाकनि ने 10.90 लाख रू. के कुल खर्च से 6 शौचालयों का निर्माण किया यानि आदिलाबाद, तेलंगाना जिले में जिला परिषद के उच्च स्कूलों में 4 शौचालय तथा विल्लुपुरम जिले तमिलनाडु में सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में 2 शौचालयों का निर्माण किया है ।

एमओयू के अनुसार उपर्युक्त सीएसआर गतिविधियों के अलावा निगम ने जम्मू एवं कशमीर में बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को वूलन कंबल की खरीदी व आपूर्ति पर सीएसआर निधियों के एक भाग का लगभग 24.84 लाख रू. का अंशदान भी नवंबर 2014 में किया है ।

नए सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 में सीएसआर के लिए कोई भी राशि आबंटित नहीं की जानी थी । तथापि निगम द्वारा वस्त्र मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के अनुसार तथा अपनी क्षमताओं निगम के संचालन के क्षेत्रों के आसपास रह रहे समुदायों की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निगमने सीएसआर गतिविधियों के लिए 50 लाख रू. का बजट आबंटित किया है जिसके सामने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 44.16 लाख रू. का खर्च हुआ ।

8. निगमित शासनः

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

9. भावी परिदृश्यः

लंबे अरसे से भारत कपास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बड़े कपास उत्पादक उपभोगकर्ता एंव नेट एक्सपोटर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

कपास मौसम 2015-16 में कपास क्षेत्रफल 120-121 लाख

In above activities , CCI constructed six units of toilets with total expenditure of Rs. 10.90 lakh i.e. four units of toilets in Zila Parishad High Schools in Adilabad districts, Telangana and two units of toilets in Government Higher Secondary schools in Villupuram District, Tamil Nadu

Besides above mentioned CSR activities as per MoU, the Corporation has also contributed around Rs. 24.84 lakhs as a part of CSR funds in the month of November, 2014 for procurement and supply of woollen blankets to the flood affected people in Jammu & Kashmir.

As per new CSR guidelines under Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, no fund was supposed to be allocated for CSR in the year 2014-15. However, as per target under MoU with the Ministry of Textiles as well as taking into consideration its capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence, your Corporation made a budget allocation of Rs. 50 lakhs for the CSR activities out of which Rs. 44.16 lakhs was spent during the period under review.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the corner stones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

9. FUTURE OUTLOOK:

Over the years, India has emerged as a key player in the cotton sector at international level, as the second largest cotton producer, consumer as also a net exporter of cotton.

In the cotton season 2015-16, the acreage under cotton is expected to decrease in the range of

हैक्टर की रेंज में कम होने की आशा है जो अन्य प्रतियोगी उपजों जैसे गुवार, सोयाबीन, मूंगफली, दालें इत्यादि में बदलने से होगा । इसके अलावा उत्तरी राज्यों में वाईट फ्लाई पेस्ट अटैक के कारण उत्पादन में 15 से 16% गिरावट अपेक्षित है । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए कपास उत्पादन गिरावट के साथ 365-370 लाख गाँठों तक होना अपेक्षित है ।

विश्व स्तर पर :

- कपास मौसम 2015-16 में कपास के अधीन लगभग 7% गिरावट के साथ 31.14 मिलियन हैक्टर होने की आशा है जबकि 2014-15 में 33.39 मिलियन हैक्टर था ।
- कपास उपज लगभग 8% गिरावट के साथ 23.84 मिलियन मे.टन होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष 26.11 मिलियन मे.टन था ।
- विश्वीय कपास व्यापार मामूली गिरावट के साथ 7.62 मिलियन टन्स की होने आशा है जबकि पिछले वर्ष यह 7.72 मिलियन टन्स था ।

10. भावी योजनाः

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन तथा अन्य कारणों की वजह से देश में कपास अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है निगम भी आगामी वर्षों में विवेकपूर्ण व्यवसायिक योजनाएँ अपनाकर इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए तैयार है ।

11. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, सचिव (वस्त्र), एएस एंड एफए (वस्त्र), संयुक्त सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के

120-121 lakh hectares due to switching over to other competing crops like guar, soyabean, groundnuts, pulses etc. Besides this, due to white fly pest attack in Northern States, production is expected to reduce by about 15 to16%. In view of the above situation, it is expected that the cotton production may decrease to the level of 365- 370 lakh bales.

At world level:

- Acreage under cotton in cotton season 2015-16 is expected to decrease by around 7% to 31.14 million hectares as against 33.39 million hectares in 2014-15.
- Cotton production is expected to decrease by around 8% to 23.84 million MT as against 26.11 million MT.
- World cotton trade is expected to decline marginally to 7.62 million tons as against 7.72 million tons in previous year.

10. FUTURE PLANNING:

Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such competition in the coming years by adopting prudent business policies.

11. ACKNOWLEDGEMENT

I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.

I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Secretary (Textiles), AS & FA (Textiles), Joint Secretary (Textiles) and other officials of Ministry of Textiles, Officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner

लिए भी आभारी हूँ । निगम की कार्य प्रणाली के संबंध में हाल ही में स्थापित ट्रेंड को कायम रखा गया जिसके सहयोग के बिना यह प्राप्त करना संभव नहीं था ।

समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।

मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलें जिन्होंने कपास मौसम वर्ष 2014-2015 के दौरान अपनी आवश्यकता अनुसार कपास की खरीद निगम से की है तथा इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।

इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

सधन्यवाद,

(बी.के.मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 03.11.2015

and his officials, but for which to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to the working of the Corporation, would not have been possible.

I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Member, Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of accounts of the Corporation for the year under review.

Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2014-15, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations for the cooperation extended to the Corporation.

I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date : 03.11.2015

वर्ष 2014-15 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2014-15

प्रति,

सदस्यगण,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर 45वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

कपास मौसम 2014-15 (अक्तूबर, 14 से सितंबर,15) की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम 2014-15 (अक्तूबर,14 से सितंबर,15) का आरंभ 32.00 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिल की 1½ माह की खपत के लिए ही काफी थी । खरीफ फसल मौसम 2014-15 के दौरान देरी से मानसून आरंभ होने के कारण लगभग सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में बुआई में 3 से 4 सप्ताह की देरी हुई तथापि जुलाई, 2014 के तीसरे सप्ताह से देश में कपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश पड़ने तथा कपास बुआई के लिए कृषि जलवायु की स्थितियाँ संतोषजनक रही जिसके परिणामस्वरूप समग्र कपास उत्पादन राज्यें में कपास की बुआई तीव्र गति से होने लगी ।

(ii) कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) के अनुसार कपास मौसम 2014-15 के दौरान देश में कपास उत्पादन गत वर्ष की 398.00 लाख गॉठों के सामने 390.00 लाख गॉठें हैं । इस वर्ष की कपास स्थिति के मुख्य लक्षण नीचे दिये अनुसार हैं:-

To,

The Members,
The Cotton Corporation of India Limited

Your Directors have immense pleasure in presenting the 45th Annual Report on the working of your Corporation together with the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2015, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors alongwith their report thereon.

1. COTTON SITUATION

The highlights of the cotton season 2014-15 (Oct 14 to Sept-15) are as under:

(i) Cotton season 2014-15 (i.e. Oct-14 to Sept-15) was commenced with a carryover stock of 32.00 lakh bales, which was just enough to meet 1½ month's mill consumption. In kharif crop season 2014-15, the sowing was delayed in almost all the cotton growing states by around 3 to 4 weeks due to delayed onset of monsoon. However from 3rd week of July 2014, the rains were reported well across the cotton belt in the Country and agro-climatic conditions were satisfactory for cotton sowing. As a result, sowing of cotton in all the cotton growing states progressed on faster pace.

(ii) Cotton production in the country in cotton season 2014-15, as per Cotton Advisory Board (CAB), has been placed at 390.00 lakh bales as against 398.00 lakh bales in previous season. The salient feature of this year's cotton scenario is as follows:

(क) कपास मौसम 2014-15 हेतु कपास क्षेत्रफल का अनुमान 129.71 लाख हेक्टर लगाया गया है जो पिछले वर्ष 117.27 लाख हैक्टर की तुलना से 11% अधिक है । तथापि बुआई के समय कृषि जलवायु की स्थितियाँ अनुकूल होने के कारण तथा अन्य स्पर्धात्मक फसलों से कपास में बदलने के कारण कपास मौसम 2014-15 के दौरान कपास के क्षेत्र में लगभग 129.71 तक रिकार्ड स्तर तक वृद्धि हुई ।

(ख) उत्तरी अंचल में वर्ष 2014-15 में कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में 13.74 लाख हैक्टर्स के विरूद्ध 12% वृद्धि के साथ 15.43 लाख हैक्टर हुआ । क्षेत्रफल में यह घटौती मुख्यतः मकई दाल व गुवार जैसे अन्य स्पर्धात्मक फसलों से कपास में बदलने के कारण हुई । क्षेत्रफल में यह वृद्धि राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में 3.03 लाख हैक्टर के विरूद्ध 50% वृद्धि के साथ 4.54 लाख हैक्टर तथा हरियाणा में पिछले 5.66 लाख हैक्टर के विरूद्ध 13% वृद्धि के साथ 6.39 लाख हैक्टर दर्शाती है जबकि पंजाब में पिछले वर्ष के 5.05 लाख हैक्टर के विरूद्ध 11% की कमी के साथ 4.50 लाख हैक्टर दर्शाती है ।

(ग) मध्य अंचल में कपास के अधीन क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के 71.84 लाख हैक्टर के सामने 2014-15 में 77.78 लाख हैक्टर स्तर तक वृद्धि हुई है । कपास क्षेत्रफल में यह वृद्धि मुख्यता गुजरात में बुआई के समय अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों की वजह से गत वर्ष 26.91 लाख हैक्टर के विरूद्ध लगभग 12% बढ़कर 30.08 लाख हैक्टर हो गया । जबकि महाराष्ट्र में कपास क्षत्रफल गत वर्ष 38.72 लाख

(a) For cotton season 2014-15, the acreage under cotton is estimated at 129.71 lakh hectares i.e. higher by 11% in comparison to 117.27 lakh hectares in previous year. However, due to favourable agro-climatic conditions at the time of sowing and also due to switching over from other competing crops to cotton, the overall acreage has reached to a record level of around 129.71 lakh hectares during the cotton season 2014-15.

(b) In Northern States, acreage under cotton in 2014-15 has increased by around 12% to 15.43 lakh hectares as against 13.74 lakh hectares in previous year. The increase in acreage has mainly been due to switching over to cotton from other competing crops viz., maize, pulses and guar. Acreage increase has been significant in Rajasthan by around 50% to 4.54 lakh hectares (as against 3.03 lakh hectares in previous year) and in Haryana by around 13% to 6.39 lakh hectares (as against 5.66 lakh hectares in previous year) whereas in Punjab the acreage has declined by around 11% to 4.50 lakh hectares as against 5.05 lakh hectares in previous year.

(c) In Central zone, the cotton acreage has increased to 77.78 lakh hectares in 2014-15 to 71.84 lakh hectares in 2013-14. The increase in cotton acreage has been mainly in Gujarat by around 12% to 30.08 lakh hectares (as against 26.91 lakh hectares of 2013-14) due to favourable agro climatic conditions at the time of sowing. Whereas in Maharashtra cotton acreage has increased by around 8% to 41.92 lakh hectare (as against 38.72 lakh hectares of 2013-14) whereas

हैक्टर के विरूद्ध 8% बढ़कर 41.92 लाख हैक्टर तथा मध्य प्रदेश में गत वर्ष 6.21 लाख हैक्टर के विरूद्ध 7% की कमी के साथ 5.78 लाख हैक्टर हुआ ।

(घ) दक्षिण अंचल में भी गत वर्ष 30.02 लाख हैक्टर के विरूद्ध क्षेत्रफल 16% बढ़कर 34.94 लाख हैक्टर पहुँच गया । आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में गत वर्ष 22.69 लाख हैटर के विरूद्ध लगभग 9% उल्लेखनीय वृद्धि के साथ क्षेत्रफल बढ़कर 24.66 लाख हैक्टर हो गया । तमिलनाडु में क्षेत्रफल गत वर्ष 1.39 लाख हैक्टर के विरूद्ध लगभग 24% बढ़कर 1.73 लाख हैक्टर हो गया । कर्नाटक में क्षेत्रफल गत वर्ष 5.94 लाख हैक्टर के विरूद्ध उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लगभग 44% बढ़कर 8.55 लाख हैक्टर पर पहुँच गया ।

(ङ) देश में बी.टी. कपास के अधीन क्षेत्रफल वर्ष -प्रति -वर्ष लगातार बढ़ रहा है । कपास मौसम 2014-15 में अनुकूल कृषि जलवायु तथा बी.टी. पैदावार की जागरूकता की वजह से गत वर्ष के 92% के विरूद्ध बी.टी.कपास का क्षेत्रफल 96% बढ़कर कुल क्षेत्रफल लगभग 129.71 लाख हैक्टर पहुँच गया ।

(च) देश में उत्कृष्ट लंबे और अतिरिक्त लंबे तंतु की कपास में 8 से 10 लाख गॉठों के समग्र उपभोग के विरूद्ध इस स्टेपल ग्रुप में देशी कपास उत्पादन लगभग 5 से 6 लाख गॉठों पर रूका हुआ है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस स्टेपल ग्रुप में घटे हुए क्षेत्रफल के कारण है । इसके कारण वस्त्रोद्योग मिलों ने इस श्रेणी की कपास का यू.एस.पीमा, ईजिप्शियन गिजा आदि से

in Madhya Pradesh the acreage has declined by around 7% to 5.78 lakh hectares (as against 6.21 lakh hectares in previous year).

(d) In Southern zone, the acreage under cotton has increased by around 16% to 34.94 lakh hectares as against 30.02 lakh hectares in the previous year. The acreage in Andhra Pradesh & Telangana has increased considerably by around 9% to 24.66 lakh hectares as against 22.69 lakh hectares in the previous year. In Tamil Nadu cotton acreage has increased by around 24% to 1.73 lakh hectares as against 1.39 lakh hectares of previous year. The acreage increase under cotton is significant in Karnataka by around 44% to 8.55 lakh hectares as against 5.94 lakh hectares in the previous year.

(e) Acreage under BT cotton in the country is increasing continuously year after year. In cotton season 2014-15, due to favourable agro-climatic condition also due to awareness for BT cultivation the acreage under BT cultivation in 2014-15 has reached to 96% of the total acreage of around 129.71 lakh hectares as against 92% in the last year.

(f) In superior long and extra long staple cottons, as against the overall consumption of around 8 to 10 lakh bales in the country, the domestic cotton production in this staple group remained stagnant at around 5 to 6 lakh bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh. This has led to imports of cotton in this category by the textile mills mainly for US Pima,

5 लाख गॉठों की सीमा तक कपास का आयात किया है ।

(छ) कपास क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रचलित कृषि जलवायु के आधार पर कपास सलाहकार मंडल(सीएबी) ने दि. 31 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में वर्ष 2014-15 हेतु 390 लाख गाँठों का अनुमान लगाया है । उत्तरी अंचल में कपास उत्पादन में 5% घटौती के साथ 56.00 लाख गॉठों की गिरावट हुई है । कपास उत्पादन में यह कमी मुख्यतः पंजाब में 33% की गिरावट से हुई । हरियाणा व राजस्थान में थोड़ी वृद्धि हुई तथा क्रमशः 25.00 तथा 17.00 लाख गाँठों तक पहुँच गया ।

(ज) मध्य अंचल में कपास उत्पादन गत वर्ष 227 लाख गॉठों की तुलना में 8% कमी के साथ 209.00 लाख गाँठें हो गया । यह गिरावट मुख्यतः गुजरात में गत वर्ष 124 लाख गाँठों के विरूद्ध 13% गिरावट यानि 108 लाख गाँठें दर्शाता है । महाराष्ट्र में 83.00 लाख गाँठें कपास उत्पादन है जो गत वर्ष 84 लाख गॉठों से थोड़ा कम है तथा मध्य प्रदेश में गत वर्ष 19.00 लाख गाँठों के विरूद्ध 18 लाख गाँठें अपेक्षित है ।

(झ) दक्षिण अंचल में कपास क्षेत्र में 35 लाख हैक्टर के स्तर तक वृद्धि तथा बुआई के समय कृषि जलवायु स्थितियाँ अनुकूल होने के कारण मौसम 2014-15 के दौरान कपास उत्पादन गत वर्ष 106.00 लाख गाँठों के विरूद्ध लगभग 12% वृद्धि के साथ 119.00 लाख गाँठें बढ़ने की संभावना है । तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादन क्रमशः 57.00 व 27.00 लाख गाँठें,

Egyptian Giza etc. to the extent of 5 lakh bales.

(g) Due to increase acreage under cotton and based on prevailing agro-climatic conditions; the Cotton Advisory Board (CAB) in its last meeting held on 31st March 2015 has estimated cotton production at 390 lakh bales for 2014-15. In Northern zone, the cotton production has decreased by 5% to 56.00 lakh bales. The decline in cotton production has been mainly in Punjab by around 33%. The cotton production in Haryana and Rajasthan has increased slightly and reached to 25.00 & 17.00 lakh bales respectively.

(h) In Central zone, the cotton production has decreased by 8% to 209.00 lakh bales in comparison to 227.00 lakh bales in previous year. The decrease in cotton production has been mainly in Gujarat i.e. 13% to 108 lakh bales as against 124.00 lakh bales in previous year. In Maharashtra the cotton production is expected to be 83.00 lakh bales which is slightly less than previous year 84.00 lakh bales and in Madhya Pradesh, the cotton production is expected to be 18.00 lakh bales as against 19.00 lakh bales in previous year.

(i) In Southern zone, with an increase in cotton acreage to a level of 35 lakh hectares and favourable agro-climatic conditions at the time of sowing period, cotton production in cotton season 2014-15 is estimated to increase substantially by around 12% to a level of 119.00 lakh bales as against 106.00 lakh bales in previous year. The cotton production in Telangana and Andhra Pradesh is estimated at

कर्नाटक में 30 लाख गाँठें तथा तमिल नाडु में 5 लाख गाँठें होने की संभावना है ।

कपास मौसम 204-15 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 50/-रू. यानि 1% की वृद्धि की । मीडियम स्टेपल ग्रुप (24.5 एमएम से 25.5 एमएम स्टेपल लेंथ 4.3 से 5.1 माईक्रोनेयर) में एमएसपी 3700/-रू. प्रति क्विंटल से 3750/-रू. प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई तथा लॉंग स्टेपल ग्रुप (29.5 एमएम से 30.5 एमएम 3.5 से 4.3 माईक्रोनेयर) में 4000/-रू. प्रति क्विंटल के सामने 4050 प्रति क्विंटल वृद्धि की गई ।

2. वित्तीय परिणाम

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 4916.93 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूद्ध 5409.09 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :-

	2014-15	2013-14
देशी बिक्री (लाख गांठों में)	4.20	23.32
निर्यात बिक्री (लाख गांठों में)	0.00	0.03
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	5409.09	4916.93
कर के बाद लाभ/(हानि) (करोड़ रूपयों में)	22.59	59.84

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1+(एसओ) (सीएआरई ए1+A one plus) रहा है यानि 4000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर

57.00 & 27.00 lakh bales, 30 lakh bales in Karnataka and 5 lakh bales in Tamil Nadu.

For cotton season 2014-15, the Government of India has increased the Minimum Support Prices (MSPs) by Rs. 50/- i.e. around 1% in comparison to previous year. In medium staple group (24.5mm to 25.5mm staple length with mic 4.3 to 5.1), the MSP has been increased to Rs. 3750/- per quintal from Rs. 3700/- per quintal and in the case of long staple group (29.5mm to 30.5mm with mic. 3.5 to 4.3), the same has been increased to Rs. 4050/- per quintal as against Rs. 4000/- per quintal.

2. FINANCIAL RESULTS

2.1 During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs. 5409.09 crores as against the previous year's turnover of Rs. 4916.93 crores.

2.2 The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2014-15	2013-14
Domestic sales (in lakh bales)	4.20	23.32
Export sales (in lakh bales)	0.00	0.03
Turnover (in Rs. crores)	5409.09	4916.93
Profit / (Loss) after tax (in Rs. crores)	22.59	59.84

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1+(SO)[CARE A One Plus](Structured Obligation) i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 4,000/- crores which

भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

2.4 लाभांश तथा आरक्षित में अंतरणः

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त लाभ पर 20% पीएटी (कर के पश्चात् लाभ) यानि 5.00 करोड़ रूपये के लाभांश की सिफारिश की है । लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा । तद्नुसार निदेशकों ने 2.26 करोड़ रू. सामान्य रक्षित में अंतरण करने का प्रस्ताव दिया

3. वर्ष 2014-15 में कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) ने अपनी मार्च, 2015 को आयोजित बैठक में कपास मौसम 2014-15 के दौरान 390 लाख गॉठों के अनुमानित कपास उत्पादन तथा उसके साथ 32.00 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक और 8.00 लाख गॉठों के अनुमानित आयात से कपास उपलब्धता का अनुमान सीएबी द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के अनुसार 430.00 लाख गाँठें रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 448.80 लाख गाँठे थी ।

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 320.00 लाख गॉठें लगाया गया है और 70.00 लाख गॉठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2014-15 में कपास की कुल विलुप्तता 390.00 लाख गॉठें बतायी गयी है, जबकि पिछले वर्ष के 416.80 लाख गाँठें थे। इस प्रकार कपास मौसम 2014-15 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2015 अवशेष स्टॉक का अनुमान 40.00 लाख गॉठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 32.00 लाख गॉठें (पिछले वर्षों के शेष स्टॉक के समायोजन के पश्चात्) था । कपास सलाहकार मंडल ने निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया हैः-

signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 DIVIDEND AND TRANSFER TO RESERVES:

Your Directors recommend Dividend of 20% of the Equity Share Capital of the company i.e. Rs. 5 crores, during the Financial Year 2014-15. The dividend shall be paid after seeking approval of the Shareholders at the Annual General Meeting of the Company. Accordingly, the Directors have proposed to transfer Rs. 2.26 Crore to the General Reserve.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2014-15.

With cotton production of 390 lakh bales estimated by Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on March 2015 added with carryover stock of 32.00 lakh bales and estimated imports of 8.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2014-15, as per cotton balance sheet drawn by CAB has been estimated at 430.00 lakh bales as against 448.80 lakh bales in previous year.

With total estimated cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) at 320.00 lakh bales and estimated exports of 70.00 lakh bales, total disappearance in cotton season 2014-15 has been estimated at 390.00 lakh bales as against 416.80 lakh bales in previous year. Thus, the carry over stock, as at the end of the cotton season 2014-15 i.e. 30th September 2015, has been estimated at 40 lakh bales as against 32 lakh bales (after adjustment in spill-over stock over the years) in previous year. The cotton balance sheet as drawn by CAB is as follows:

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति

विवरण	फसल वर्ष (अक्तू. से सितंबर) 2014-15	2013-14
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	32.00	40.00
कपास फसल	390.00	398.00
आयात	8.00	10.00
कुल उपलब्धता	**430.00**	**448.00**
मांग		
मिल उपभोग	278.50	266.00
छोटी मिल उपभोग	26.50	24.88
मिलेतर उपभोग	15.00	8.00
कुल उपभोग	**320.00**	**298.88**
निर्यात	70.00	117.92
कुल विलुप्तता	**390.00**	**416.80**
आगे लाया गया	**40.00**	**32.00**

स्रोतः कपास सलाहकार मंडल

Quantity in lakh bales of 170 kgs

PARTICULARS	CROP YEAR (Oct. to Sept.) 2014-15	2013-14
SUPPLY		
Opening stock	32.00	40.00
Cotton crop	390.00	398.00
Imports	8.00	10.00
TOTAL AVAILABILITY	**430.00**	**448.00**
DEMAND		
Mill consumption	278.50	266.00
Small Mill consumption	26.50	24.88
Non-Mill consumption	15.00	8.00
Total consumption	**320.00**	**298.88**
Exports	70.00	117.92
TOTAL DISAPPEARANCE	**390.00**	**416.80**
CARRY FORWARD	**40.00**	**32.00**

Source: CAB

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

विश्वव्यापी उच्च इन्वेन्टरी स्तर तथा लघु आयात हेतु चायना की पॉलिसी की वजह से कपास, यार्न और वस्त्रोद्योग उत्पाद की देशीय तथा अंतर्देशीय घटी हुई मांग के कारण कपास मूल्य गत वर्ष की तुलना में 19% से 30% तक नीचे रहे । इसी प्रकार रूई के मूल्य गत वर्ष की तुलना में 25% से 30% तक नीचे रहे । विश्व बाजार में कपास मूल्यों पर प्रमुख उत्पादन व खपत करनेवाले देश जैसे चीन, यू.एस इत्यादि में माँग आपूर्ति का काफी प्रभाव पड़ा । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य की गति नीचे दिए अनुसार हैं :-

4. DOMESTIC PRICE TREND

In the backdrop of sluggish demand for cotton, yarn and textile domestically and internationally due to high inventory level-worldwide and China's policy for lesser Import, the prices of seed cotton (kapas) were ruling below by around 19% to 30% as compared to previous year. Similarly the prices of lint were ruling below by around 25% to 30% as compared to previous year. Cotton prices in the global markets are largely influenced by the demand-supply situation in major producing and consuming countries like China, US etc. The movements of cotton lint prices for important varieties are as follows:

(मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot)

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बीबी BB	डीसीएच-32 DCH-32
04-10-2014	32800	33600	33800	36000	45200
01-11-2014	31800	32200	32800	33900	43700
01-12-2014	31300	31900	32900	33900	43700
01-01-2015	32200	32700	32900	34100	44100
02-02-2015	30400	31000	30400	33000	42400
02-03-2015	31500	31900	30900	33200	39500
01-04-2015	33300	33900	32200	35000	42500
02-05-2015	35800	36400	34700	36500	46500

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / Source: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी किया गया नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करता रहा और इसकी भूमिका पिछले वर्ष की तरह जारी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2 जब कभी कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार कपास उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करता

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit:
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments.

5.2 As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs). For Cotton Season 2014-15,

है । भारत सरकार ने कपास मौसम 2014-15 के लिए 50/-रू. यानि मीडियम स्टेपल व लाँग स्टेपल कपास के लिए गत वर्ष की तुलना मे लगभग 1% वृद्धि की है । आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपने लगभग 341 खरीद केंद्रों के नेट-वर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों का संचालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखा है ताकि कपास के मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर पहुँचने की स्थिति में संचालन किया जा सकें ।

5.3. वर्तमान कपास मौसम आरंभ से ही कमज़ोर था एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच गया था। कपास मूल्यों में घटौती का मूल कारण चाईना की आयात पॉलिसी तथा विश्वव्यापी कपास की भरमार के अतिरिक्त उनकी विशाल इनवेन्टरी है । चूँकि सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर थे, आपके निगम ने कपास मौसम 2014-15 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत लगभग 86.96 लाख गाँठें खरीद कर पाया ।

5.4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कपास की मांग धीमी रही । तथापि आपके निगम ने लगभग 4.20 लाख गाँठों का परिसमापन किया । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम की खंडवार बिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं :

(मात्रा लाख गॉठों में)

	2014-15	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2013-14	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	01.28	30.48	01.36	05.82
एसटीसी/को-ऑप.	00.38	09.05	00.54	02.31
निजी/व्यापारियों	02.54	60.47	21.45	91.87
कुल	**04.20**	**100.00**	**23.35**	**100.00**

Govt. of India increased the MSP rates by Rs. 50/- i.e. around 1% for the Medium Staple & Long Staple Cotton as compared to previous cotton season. In the wake of subdued demand for cotton domestically and internationally, your Corporation, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of more than 341 procurement centres in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level.

5.3 Since beginning of current cotton season the market has steeply declined and touched the MSP level. The basic reason for significant decrease in cotton prices has been China's import policy as well as their huge inventory besides cotton glut worldwide. As the prevailing kapas prices were ruling at MSP level in all the cotton growing States, your corporation could manage to procure around 86.96 lakh bales under MSP operations in the cotton season 2014-15.

5.4 During the year under review, the demand for cotton has remained subdued. However, your Corporation could liquidate around 4.20 lakh bales. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:

(Quantity in lakh bales)

	2014-15	% of to total sales	2013-14	% of to total sales
NTC	01.28	30.48	01.36	05.82
STC/CO-OP	00.38	09.05	00.54	02.31
Private/ Traders	02.54	60.47	21.45	91.87
TOTAL	**04.20**	**100.00**	**23.35**	**100.00**

5.5 कपास ट्रेड को बढावा देने के इरादे से भारत सरकार ने देश से कपास आयात का उदारीकरण किया तथा उसे ओजीएल के अधीन रखा। इसके अतिरिक्त दिनांक 8 दिसंबर, 2014 से कपास के निर्यात के लिए डीजीएफटी से पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है। भारत अपने पडोसी देशों जैसे चीन, बंगलादेश, विनटनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टर्की इत्यादि देशों के कपास की मांग व कपास निर्यात हेतु उनकी हाई कमीशन के साथ कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान कपास मौसम 2014-15 में चीन जो कि कपास उपभोग व आयात का एक मुख्य देश जो उन्होंने अपनी प्रचुर मात्रा में इनवेन्टरी की वजह से अपनी खरीद कम की है जिसके परिणामस्वरूप भारत से कपास आयात में कमी आयी। सीएबी ने दिनांक 31.3.2015 को आयोजित अपनी बैठक में कपास आयात गत वर्ष 117.92 लाख गाँठों के सामने वर्ष 2014-15 हेतु 70.00 लाख गाँठों का अनुमान लगाया है। आपके निगम ने बड़े आयात करने वाले देशों जैसे चीन, बंगलादेश इत्यादि देशों से निर्यात संभावनाएँ खोजने के लिए व्यापारिक बातचीत द्वारा निर्यात प्रोत्साहन करने के प्रयास जारी रखें।

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 आईसीएसी रिलीज दिनांक 01.05.2015 के अनुसार विश्व कपास एकरेज गत वर्ष 32.68 मिलियन हैक्टर्स के सामने 3% की वृद्धि के साथ 33.57 मिलियन हैक्टर्स रहा। कपास के अधीन एकरेज में वृद्धि से विश्व कपास उत्पादन में 26.33 मिलियन मैट्रिक टन्स की मार्जिनल वृद्धि हुई।

विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी सुधार के आधार पर वर्ष 2014-15 में विश्व कपास उपभोग पिछले वर्ष 23.47 मिलियन मैट्रिक टन के सामने लगभग 24.05 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुँचने की आशा है। जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 की समाप्ति पर

5.5 As a part of measures to boost cotton trade, the Government of India has liberalized raw cotton exports from the country and the same is under Open General Licence (OGL). Besides this, with effect from 8th December 2014 registration requirement with DGFT (Directorate General of Foreign Trade) for export of cotton has also been dispensed with. Government of India is pursuing with High Commissions of various neighboring countries like China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Thailand, Turkey etc for their cotton requirement and importing cotton from India. In current cotton season 2014-15, China, which is a major cotton consuming and importing country, has trimmed its purchases due to swelling and replenish inventories. As a result, cotton exports from India have declined. The CAB in its meeting held on 31.03.15 has estimated cotton exports from the country in 2014-15 at 70.00 lakh bales as against around 117.92 lakh bales in 2013-14. Your Corporation has continued efforts by holding trade talks with major importing countries viz, China, Bangladesh etc. to explore export possibilities.

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION:

6.1 As per ICAC release dated 01.05.15, world cotton acreage in 2014-15 has increased by around 3% to 33.57 million hectares as against 32.68 million hectares in previous year. With increased acreage under cotton, world cotton production has increased marginally to 26.33 million metric tons.

On the basis of timid recovery in global economy, world cotton consumption in 2014-15 is expected to 24.05 million metric tons as against 23.47 million metric tons in previous year. As a result, cotton stocks at the end of July 2015 are forecast up by 12% to a

कपास स्टॉक 21.81 मिलियन मैट्रिक टन रिकार्ड पर 12% बढ़ने की आशा है । अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के चालू वर्ष तथा पिछले 2 वर्ष के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

मिलियन मेट्रिक टन में

	2012-13	2013-14*	2014-15**
विश्व का आरंभिक स्टॉक	14.42	16.85	19.52
विश्व उत्पादन	26.66	26.30	26.33
विश्व उपभोग	23.76	23.47	24.05
विश्व निर्यात	10.13	08.88	07.47
विश्व आयात	9.66	08.73	07.47
विश्व का अंतिम स्टॉक	16.85	19.52	21.81

स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, 1 मई, 2015)
*अनुमानित **प्रक्षेपित

6.2 अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

कॉटलुक ए सूचकांक के अनुसार वर्तमान कपास मौसम में अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम रहे । दिनांक 1 अगस्त, 2014 को कॉटलुक ए सूचकांक का प्रारंभिक मूल्य पिछले वर्ष 91.10 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी के विरूद्ध 72.15 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी रहा । स्टॉक की रिकार्ड मात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों को नीचे स्तर तक रखा । आईसीएसी ने कॉटलुक ए सूचकांक 66-74 सेन्टस् प्रति एलबी मौसम के औसत पर प्रक्षेपित किया है । आईसीएसी ने मिड पाईंट रेंज में भी गत वर्ष 89 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी औसत से लगभग 21% निचले स्तर पर यानि 70 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पर प्रक्षेपित किया है ।

चालू वर्ष तथा पिछले 2 वर्ष के लिए कॉटलुक ए इंन्डेक्स का माहवार औसत नीचे दिये अनुसार हैं :

record of 21.81 million metric tons. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the current year and last two years is as under:

In million metric tons

	2012-13	2013-14*	2014-15**
World beginning stocks	14.42	16.85	19.52
World Production	26.66	26.30	26.33
World consumption	23.76	23.47	24.05
World exports	10.13	08.88	07.47
World imports	9.66	08.73	07.47
World ending stocks	16.85	19.52	21.81

Source: ICAC (Cotton This Month, 1st May 2015)
* Estimated **Projected

6.2 International price trend:-

The international cotton prices, as measured by Cotlook A index, in current cotton season have been ruling below as compared to the corresponding period last year. The opening price of Cotlook A index as on 1st August 2014 was 72.15 US cents per lb as against 91.10 US Cents per lb in previous year. The record volume of stock has put downward pressure on international cotton prices. The ICAC has projected the seasons' average of Cotlook A Index in the range of 66-74 cents/ lb. The ICAC has also projected mid-point at 70 US Cents per lb i.e. lower by around 21 % as against average of around 89 US Cents per lb in the previous year.

The details of month-wise average Cotlook A Index for current year and last two years is given as follows:

			यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में
माह	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15***
अगस्त	84.40	92.71	74.04
सितंबर	84.15	94.60	73.38
अक्तूबर	82.17	89.35	70.34
नवंबर	80.87	84.65	67.53
दिसंबर	83.37	87.49	68.38
जनवरी	85.51	90.96	67.47
फरवरी	89.71	94.05	69.84
मार्च	94.45	96.89	69.33
अप्रैल	92.68	94.20	71.58
मई	92.74	92.75	
जून	93.08	90.90	
जुलाई	92.62	83.70	
वर्ष औसत	**87.98**	**91.02**	**70.21**

स्त्रोतः कॉटलुक

* अप्रैल, 2015 तक की स्थिति

			In US Cents per lb
Year	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15***
August	84.40	92.71	74.04
September	84.15	94.60	73.38
October	82.17	89.35	70.34
November	80.87	84.65	67.53
December	83.37	87.49	68.38
January	85.51	90.96	67.47
February	89.71	94.05	69.84
March	94.45	96.89	69.33
April	92.68	94.20	71.58
May	92.74	92.75	
June	93.08	90.90	
July	92.62	83.70	
Yearly Avg.	**87.98**	**91.02**	**70.21**

Source: Cotlook

* Position upto April 2015

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधनः

आलोच्य वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से संदूषण मुक्त कपास की मांग पूरी करने के लिए आपके निगम ने पिछले वर्ष की 95% उपलब्धि के विरूद्ध कुल खरीद का लगभग 96% न्यूनतम संदूषण के साथ संसाधित किया है । मिलों से प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास, प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है । आपका निगम आगामी वर्षों में अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे जारी रखने और मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ।

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON:

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 96 % as against 95 % of the total procurement last year with least contamination as against achievement during the last year. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium. Your Corporation proposes to increase the quantity to meet the growing demand of its customers in the coming years as well.

8. भंडारणगृह परिसरः

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गॉठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कपास के निर्यात को देखते हुए एक गोदाम की भंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है । जबकि शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है, रेलवे स्लाईडिंग दीर्घावधि लीज. पर एक पार्टी को लीज. किराया प्राप्ति के लिए दी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 1.97 करोड़ रू. की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 2.48 करोड़ रू. का राजस्व था।

9. विकासात्मक गतिविधियाँ

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है ।

9.1 एफएलडी सहित संविदा खेती :

वर्ष 2014-15 के दौरान एफएलडी प्रोग्राम के लाभों को देखते हुए निगम ने बेहतर उपज/बैकवर्ड एरियाज में कपास गुणता के लिए एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदा खेती करने का निर्णय लिया । निगम ने कर्नाटक (शा.का.हुबली के अधीन), तमिल नाडु (शा.का.कोयम्बतूर के अधीन) तथा वेस्ट बंगाल (शा.का.कोलकाता के अधीन) राज्यों में एफएलडी प्रोग्राम के साथ संविदा खेती का कार्यक्रम किया है जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :-

8. WAREHOUSING COMPLEX:

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose. While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway sliding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of around Rs.1.97 crores as against the revenue of Rs. 2.48 crores generated in previous year.

9. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities.

9.1 Contract Farming with FLD:

During 2014-15, looking to the benefits of FLD programme, the Corporation has decided to undertake Contract Farming with FLD programme for betterment of yield/ quality of cotton in backward areas. The Corporation has undertaken Contract farming with FLD programme in the State of Karnataka (under B.O-Hubli), Tamil Nadu (under B.O.-Coimbatore) and West Bengal (under B.O.-Kolkata) as per details given hereunder:

राज्य	शाखा	एफएलडी का नं.	किया गया खर्च
कर्नाटक	हुबली	300	5.43 लाख रू.
तमिल नाडु	कोयम्बतूर	300	4.63 लाख रू.
वस्ट बंगाल	कोलकाता	100	2.00 लाख रू.

9.2 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभों में से कुछ भाग को लोकोपकारी गतिविधियों तक पहुँचाने विस्तार करने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि लंबे समय तक प्रतियोगी लाभ बना रह सके।

> सीएसआर वर्ष 2010-11 से एमओयु में शामिल किया गया । निगमित कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम के शिड्यूल VII तथा धारा 125 तथा कंपनीज निगमित सामाजित दायित्व पॉलिसी नियमावली 2014 को अधिसूचित किया है । दि.1.4.2014 से कंपनीज (निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी) नियमावली 2014 लागू किया गया । सीएसआर के दिशानिर्देशों में बताये अनुसार निगमित कार्यनिष्पादन को आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा वातावरण प्रभाव यानि सामान्य तौर पर "ट्रिपल बॉटम लाईन" से मैच किया जाए ।

> उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भाकनि सामुदायिक सद्भाव, समाज पर प्रभाव कायम रखने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करता है ।

> वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार भाकनि ने आदिलाबाद के दानोरा गॉव जिला तेलंगाना तथा विल्लुपुरम गॉव के पेरांगियूर

State	Branch	Number of FLD	Expenditure incurred
Karnataka	Hubli	300	Rs.5.43 lakhs
Tamil Nadu	Coimbatore	300	Rs.4.63 lakhs
West Bengal	Kolkata	100	Rs.2.00 lakhs

9.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE) vide their letter dated 9th April, 2010 had introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprise (CPSE) mandating to expend some portion of their net profit to extend beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term.

> The CSR was included in MOU from the year 2010-11 onwards. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its notification dated February 27, 2014 has notified section 135 and Schedule VII of Companies Act, 2013 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 have come into force from 1st April 2014. As envisaged in the guidelines of CSR, the corporate performance needs to be matched in terms of economic impact, social impact and environmental impact; commonly called the "Triple Bottom Line".

> Taking into consideration of aforesaid CSR guidelines, CCI has been involved in various CSR activities to generate community goodwill, create social impact and visibility.

> During 2014-15, as per MoU with the Ministry, the Corporation has undertaken various CSR activities by providing benches, water

व कलामरथूर जिला तमिलनाडु में बेंचस, वॉटर प्यूरिफायर, दरवाजे., खिडकियाँ, सोलार लाईट्स उपलब्ध करवाने के साथ-साथ बोर वेल मोटर सहित जल आपूर्ति करवाना ओवरहेड टैंक, सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाना जैसे कई गतिविधियाँ आयोजित की गई । कुल खर्च 19.32 लाख रू. हुआ ।

> समझौता ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त निगम ने सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी किए हैं :

• नवंबर, 2014 माह में सीएसआर निधि से 24.84 लाख रू. का अंशदान देते हुए निगम ने जम्मू कशमीर में भाड़ पीडित व्यक्तियों को वूलन कंबल उपलब्ध करवाये गये।

• दिनांक 25 जुलाई, 2014 को सीआईसी आर नागपुर की सिफारिश के अनुसार देश में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए डीओसीडी व भाकनि के बीच "हाई डेन्सिटी प्लान्टिग सिस्टम (एचडीपीएस) को प्रोत्साहन देने के लिए पारस्परिक नियम एवं शर्तों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

> कंपनीज नियमावली 2014 (सीएसआर) के नियम 9 के अनुसरण में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट अ पर संलग्न है ।

purifier, doors, window, solar lights, water supply including bore-well motor & overhead tank & constructions of toilets for girls in the Govt. schools in Indervally and Danora village of Adilabad District in Telangana and in Perangiyur and Kalamaruthur village of Villupuram District in Tamil Nadu. The expenditure is Rs.19.32 lakhs.

> Besides above mentioned CSR activities as per MoU, the Corporation has also undertaken following activities under CSR:

• Contributed Rs. 24.84 lakhs from its CSR funds in the month of November 2014 for procurement and supply of woolen blankets to the flood affected people in Jammu & Kashmir.

• MoU has been signed between CCI and the Directorate of Cotton Development (DoCD) on 25th July 2014 on mutually agreed terms and conditions for promotion of "High Density Planting System" (HDPS) for improvement of cotton productivity in the Country as recommended by the Central Institute of Cotton Research (CICR), Nagpur.

> Pursuant to Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 the Annual Report on CSR activities is annexed herewith as Annexure - A.

10. मानव संसाधन विकासः

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2015 को 980 थी, जिसमें 99 अधिकारी तथा 881 कर्मचारी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 964 थी । 980 कुल कर्मचारियों में से 104 महिला कर्मचारी है जिनमें 15 महिला अधिकारी, 89 महिलाए यूनियन कैडर की है । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के

10. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

The total strength of Your Corporation during the year under report was 980 as on 31st March 2015 consisting of 99 officers and 881 unionized staff as compared to the total strength of 964 employees during the last year. Out of the total strength of 980 employees, there are104 women employees comprising 15 women officers and 89 of unionized staff. Your Corporation continued to follow the policy guidelines of the Govt. of India

नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । दि.31.3.2015 को कुल कर्मचारियों में से अनु.जा. के 179 (18.26%) कर्मचारी , अनु. जन.जा. के 34 (3.46%) कर्मचारी तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 190(19.38%) तथा 14 (1.42) पीडब्ल्युडी कर्मचारी है । अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग /शा. वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि.के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देती रही है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 1 प्रबंधक, 1 सहायक प्रबंधक(सू.प्रौ.),75 कनिष्ठ कपास क्रेता (सामान्य-39, अनु.जा.-12, अनु.ज.जा.-2, ओबीसी-21 जिसमें 2 शारीरिक विकलांक (ओएच) शामिल है), 2 कनिष्ठ सहायक(1 अनु.जा.) तथा 1मैन्टेनंन्स कर्मचारी(ओबीसी) शामिल है । आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल है, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 14 शारीरिक विकलांग व्यक्ति कार्यरत है ।

आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

11. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 0.79 लाख रू खर्च किये, जो ढाका तथा ताशकंद में भारतीय कपास निगम के मार्फत दौरे पर थे ।

in respect of the reservation of SC/ST/OBC/ PH categories both in recruitment as well as promotion. As on 31st March 2015, out of the total strength, the strength of SC employees are 179 (18.26 %), ST employees are 34 (3.46 %), OBC employees are 190 (19.38 %) and PwD employees are 14 (1.42 %). The liaison officer for SC/ST/OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/PH employees of Your Corporation. During the period under review Your Corporation recruited 1 Manager, 1 AM (IT), 75 Junior Cotton Purchaser (Gen- 39, SC-12, ST-2, OBC- 21 including 2 PH (OH), 2- Junior Assistant (1 SC) and 1 – Maintenance Staff (OBC).Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers.

Your Corporation is observing the provision of implementation of the Persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of Your Corporation involves a field operation –which requires a lot of physical exertion –the scope for employment of physically handicapped person is extremely limited. Despite such limitation Your Corporation has presently strength of 14 physically handicapped persons.

The Scheme for workers participation in the Management introduced by Your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and at the branches. The industrial relation in Your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

11. FOREIGN TOUR:

During the year under Review, Rs. 0.79 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation for visit to Greece on behalf of CCI.

12. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पद्धति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 12 अनुरोध प्राप्त हुए थे । सभी मामलों में आवेदन कर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवायी गयी ।

सूचना अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट को वस्त्र मंत्रालय के दि.08 जून 2011 के पत्र के निदेश के अनुसार निगम की वेबसाईट के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है ।

13. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ 2014-15 :

13.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, महा प्रबंधक (सत) हैं जिनके साथ मुख्यालय में उप महा प्रबंधक तथा शाखा कार्यालयों में उप प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक कार्यरत हैं ।

13.2 महा प्रबंधक (सत) तथा अन्य अधिकारियों (मुख्यालय/शाखाओं में तैनात) ने मुख्यालय तथा शाखाओं में आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किए ।

13.3 **शिकायतें :**

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ में 16 शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 14 शिकायतें आगे लायी गयीं । कुल 30 शिकायतों में से 1 मामले में 1 अधिकारी के विरूद्ध बड़े दंड की कार्रवाई की

12. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/ publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the period from 1st April 2014 to 31st March 2015, 12 requests were received from different applicants. In all the cases information was given to the applicant.

The Quarterly Report of RTI is uploaded regularly on the website of the Corporation and also uploaded on the website of Central Information Commission (CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June, 2011.

13. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2014-15:

13.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by a General Manager (Vigilance) assisted by Dy. General Manager at the Head Office and Dy. Manager & Assistant Managers in the Branches.

13.2 The General Manager (Vigilance) and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

13.3 **Complaints:**

The Vigilance Cell in all received sixteen complaints during the year from various sources. Fourteen complaints were brought forward from the previous year. Out of these total thirty complaints, in one case, Major Penalty was imposed on one official.

गई । 4 मामले जाँच पड़ताल के बाद बंद किये गये । दि.31.03.2015 को शेष 25 मामले जाँच पड़ताल/अंतिम निर्णय हेतु लंबित है, अतः अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

13.4 **विभागीय जांच :**

(i) बड़े दण्ड की कार्यवाहियाँ

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के 3 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 4 मामले पर कार्रवाई की गई । इन 7 मामलों में तीन मामलों में तीन अधिकारियों पर पदावनति का बड़ा दंड लगाने की कार्रवाई की गई । दि.31.3.2014 को शेष 4 मामलों में विभागीय कार्यवाही व अनुशासनिक प्राधिकरण के निर्णय की कार्रवाई जारी है । अतः अगले वर्ष के लिए4 मामले आगे लाये गये ।

(ii) छोटे दंड की कार्यवाहियाँ : शून्य

13.5 निलंबनः

दि.31.3.2015 को 1 लेखाधिकारी और 3 यूनियनाईज्ड कर्मचारी निलंबन के अधीन हैं ।

13.6 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामले :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीबीआई द्वारा 1 अधिकारी के विरूद्ध 4 मामले खोजे और पंजीकृत किये गये ।

दो अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई द्वारा तीन मामलें पंजीकृत किए गए पिछले वर्ष से दो मामलें आगे लाए गए ।

इन तीन मामलों में सीबीआई द्वारा माननीय न्यायालय, सीबीआई के मामलों के विशेष न्यायाधीश के सामने दो अधिकारियों के विरूद्ध जोधपुर और विशाखापट्नम में चार्ज-शीट दायर की गयी । एक मामले में एक अधिकारी को शामिल करके सीबीआई के मामलों में माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई केसेस, जोधपुर ने निर्णय सुनाया ।

Four cases are closed after investigation. Balance Twenty Five cases are pending for investigation/final decision as on 31.03.2015, hence, carried forward for the next year.

13.4 **Departmental Enquiries:**

(i) Major Penalty Proceedings:

Three cases of Major Penaltyproceedings were carried forward from previous year and Four case instituted during the year was dealt with by the Vigilance Cell. Out of these total seven cases, in three cases, Major Penalty of reduction to a lower Post/Stage/Grade is imposed on three officials. Departmental proceedings/ decision of Disciplinary Authority is in process on the remaining four cases as on 31.03.2015, hence, these four cases are carried forward for the next year.

(ii) Minor Penalty Proceedings: NIL

13.5 **Suspension:**

One Accounts Officer and Three Unionised Staff are placed under suspension as on 31.03.2015.

13.6 **Cases detected by CBI:**

During the period under review, one case is registered by the CBI against One official.

Three cases registered by the CBI against Two officials were carried forward from previous year.

In Three cases, the CBI has filed charge sheet against two officials before the Hon'ble Court, Special Judge for CBI cases, Jodhpur and Visakhapatnam. In One case involving one official, the Trial Court, Special Judge CBI Cases, Jodhpur, pronounced the judgment and awarded punishment.

दिनांक 31.3.2015 को सीबीआई के पास कुल तीन मामले लंबित हैं ।

13.7 सतर्कता निवारक और के.स.आ. मार्गदर्शन :

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पद्धति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृद्धि की जाए ।

(ii) शाखा /केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तौल आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

सतर्कता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित मदों पर अधिक बल दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

(i) अग्नि-शमन के लिए एसओपी मार्गदर्शन का कड़ाई से अनुपालन करना ।

(ii) सीवीओ के साथ कार्यकारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखने के साथ-साथ भाकनि के सभी प्रचालन केंद्रों पर बेहतर विश्लेषण के लिए क्रय, संसाधन व भंडारण सुविधाओं की विभिन्न अवस्थाओं पर दौरा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है ।

खरीदः

- कपास खरीद एपीएमसी/एपीएमसी घोषित यार्ड से होना चाहिए । केन्द्र प्रभारी को एपीएमसी यार्ड में कपास खरीद कार्य करने के लिए एपीएमसी से प्रमाणित लाईसेंस प्राप्त करना चाहिए ।
- वजन पर्ची, बिडिंग पर्ची को एपीएमसी अधिकारी/संबंधित केन्द्र अधिकारी/किसान/प्रतिनिधि द्वारा पूरी तरह भरा जाये और हस्ताक्षरीत किया जाये ।
- आवक रेजिस्टर में प्रविष्टियाँ सही, सच और पूर्ण होना चाहिए । किसान का नाम, किसान के पिता का

As on 31.03.2015, total three CBI cases are pending.

13.7 Preventive Vigilance and CVC Guidelines:

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling/supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centres were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

For further strengthening of the Vigilance Set-up, following points were stressed upon, the details of which are as under:-

(i) Strict compliance of S.O.P. guidelines for fire prevention.

(ii) The formats of tour reports are changed at various stages of purchase, processing and storage facilities at all the CCI operating centres for better analysis as well as functional and administrative control kept with Chief Vigilance Officer.

Procurement:

- Kapas procurement through APMC/ APMC declared yards. Centre-Incharge to obtain an authentic licence from APMC for conducting kapas procurement in APMC yard.
- Weighment slips, bidding slips should be filled in completely and signed by APMC Official/respective Centre-Incharge, Farmer/ Representative.
- Inward register's entries should be truthful, correct and complete. Entries like Farmer's Name, Farmer's Father's Name, Address,

नाम, पता, वाहन नंबर जैसी प्रविष्टियाँ सही रूप से भरी जायें ।

- कपास की गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए ।

संसाधनः

- जी एंड पी फैक्टरियाँ को कार्य देने के लिए निविदा प्रक्रिया का अनुपालन पूरी तरह से किया जाये ।
- ईओटी उचित और पारदर्शी परिणामों के लिए किया जाये ।
- गांठों की पैकिंग निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाये ।
- गांठों का प्रेस वजन और सुपुर्दगी वजन की प्रभावी जांच की जाये ।

(iii) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे.फैक्टरियों आदि में अग्नि /चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण करने तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(iv) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में तथा परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ताकि सीसीआई की पूर्ण-बंधित गॉठों को अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके । सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(v) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी गयी, जिससे सीसीआई के स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्हें आगे, अग्नि घटनाओं से बचाव के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस.ओ.पी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ।

(vi) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि ट्रकों में उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार सामान भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(vii) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच

Vehicle Number should be correctly entered.

- Quality of kapas should be maintained as per prescribed parameters.

Processing:

- For engagement of G&P Factories tender procedure should be followed in toto.
- EOT should be taken extensively for fair and transparent results.
- Packing of bales should be as per the prescribed norms.
- Press weight and delivery weight of bales should be checked effectively.

(iii) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(iv) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC, SWC, APMC, GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(v) Advised the G.M., Dy. G.M., B.Ms. to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety and security of CCI stock. They were further advised to ensure strict compliance of Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of fire incidents.

(vi) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(vii) Night surveillance, checking, patrolling by various committees was advised to ensure

और पहरेदारी करने की सलाह दी गयी ।

(viii) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें।

(ix) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निदेश दिया गया ।

(x) शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को माल सत्यापन/रिकार्ड के मिलान/विभिन्न गोदामों/जीएसफ गोदाम में रखा गया माल के निरंतर सीसीआई अधिकारियों और गोदाम अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की सलाह दी गयी ।

(xi) गांठे भुगतान की रसीद/लिखित सुपुर्दगी आदेश के बिना न दी जाये।

(xii) बीमा कवरेज वर्तमान माल के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए ।

(xiii) रिवॉलविंग क्रेडिट, गाठों की सुपुर्दगी, बीमा आदि के बारे में मुख्यालय का जानकारी भेजी जाये ।

safety and security of CCI stock.

(viii) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(ix) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

(x) Advised to Branch Managers and other officials to conduct stock verification/reconciliation of records/stocks stored in various godowns/GSF godowns, jointly by CCI Officials and Godown Officials frequently.

(xi) Bales should not be delivered without receipt of payment/written delivery order.

(xii) Insurance coverage should be appropriate as per the value of the existing stock.

(xiii) Every working, such as, Revolving credit, delivery of bales, insurance, etc. should be reported to Head Office.

14. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2012-13 के दौरान "ख" क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए निगम के मुख्यालय को 14 सितंबर, 2014 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । निगम को यह पुरस्कार लगातार 22वीं बार प्राप्त हुआ है । वर्ष 2013-14 के दौरान शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए हिन्दी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा विभाग द्वारा "ख" क्षेत्र में स्थित शाखा कार्यालय औरंगाबाद को द्वितीय पुरस्कार तथा "ग" क्षेत्र में स्थित शा.का. कोयम्बतूर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा मुख्यालय को प्रथम, तथा शा.का. अहमदाबाद को प्रथम पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया । इसके अतिरिक्त नवी मुंबई नराकास

14. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2014-15 by Department of Official Languages, Home Ministry. Head Office has been honoured with Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 22nd time on 14th September, 2014 for the year 2012-13 in "B" Region by Hon`ble President of India. Apart from this, B.O. Aurangabad has been awarded Second prize in "B" Region and B.O. Coimbatore has been awarded Third prize in "C" Region by Regional Official Language Department for the progress made in Hindi implementation for the year 2013-14.

During the year 2013-14 Head Office has been awarded with 1st prize and B.O. Ahmedabad has also been awarded with 1st prize and Certificate for Excellent Hindi implementation by their respective TOLIC. In addition to this Head Office has also been awarded with Shield and

द्वारा मुख्यालय को सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका के लिए भी शील्ड एवं प्रमाण से सम्मानित किया गया ।

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है तथा यूनिकोड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष, 2003 से निगम की वेब-साईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम द्वारा तैयार करवाई गई ई.आर.पी. प्रणाली भी द्विभाषी में उपलब्ध है । निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि का वर्ष 1984 से नियमित रूप से त्रैमासिक प्रकाशन किया जा रहा है । जुलाई, 2009 से "राजभाषा रश्मि" ई-जर्नल निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा रही है । 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल पत्राचार में हिंदी पत्रों का प्रतिशत 96.49% है ।

निगम के मुख्यालय को नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । वर्ष 2014-15 के दौरान नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में दो बैठकें तथा टिप्पण-आलेखन, निबंध, अनुवाद, आशुभाषण, वैज्ञानिक संगोष्ठी, रोचक प्रसंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में "समन्वय" पत्रिका के अंक-16 तथा 17 का प्रकाशन भी किया गया । इसके अलावा, निगम के शाखा कार्यालय औरंगाबाद तथा आदिलाबाद भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

15. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

15.1 ईआरपी कार्यान्वयन

* निगम ने फसल वर्ष 2014-15 में अपनी शाखाओं व मुख्यालय में ईआरपी का उपयोग करते हुए संपूर्ण भारी खरीद की मात्रा, संसाधन, विपणन व वित्त से

Certificate for excellence in House Journal by Navi Mumbai TOLIC.

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as to all Branch Offices and Unicode facility is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. ERP system of the Corporation is also available in bilingual. Corporation is also regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. E-Journal "Rajbhasha Rashmi" is being hosted on Corporation's website since July, 2009. Correspondence in Hindi stands at 96.49% as on 31st March, 2015.

Head Office of the Corporation has been entrusted with the responsibility of heading Town Implementation Committee since 2005. Two meetings of TOLIC were held during the year 2014-15. Noting/Drafting, Essay Writing, Tanslation, Extempore Speech (Ashubhashan), Technical Seminar and Rochak Prasangh competitions were also conducted under aegis of Navi Mumbai TOLIC during the year. Navi Mumbai TOLIC has also published 16th and 17th issue of "Samanvay" magazine. Apart from this B.O. Adilabad and Aurangabad are also heading their respective Town Official Language Implementation Committee.

15. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2014-15, the Corporation has achieved a number of improvements in the field of Information Technology:-

15.1 ERP IMPLEMENTATION

- The Corporation has successfully handled the high volume of entire procurement, processing, sales operation of Marketing

संबंधित बिक्री प्रचालन के कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया ।

* निगम ने अपने मुख्यालय व शाखा कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2011-12 से ईआरपी एप्लीकेशन के उपयोग से सांविधिक लेखा परीक्षा तथा सरकारी लेखा परीक्षा का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया ।
* वित्त, विपणन व मासंवि/पेरोल मॉडूल्स की वर्तमान रिपोर्ट्स्/फार्मस को उपयोगकर्ता/व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किया है ।
* मुख्यालय में शाखाओं में ईआरपी के कार्यान्वयन/चलाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक ईआरपी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है ।
* प्रत्येक शाखा से एक व्यक्ति को नामांकन किया गया है जो ईआरपी के मॉड्यूल के सभी कार्यों के प्रचालन से परिचित हो ताकि वह शाखा के अन्य कर्मचारियों को सहायता प्रदान करें ।

15.2 **वेबसाईटः**

- निगम में भारतीय सरकारी वेबसाईट (जीआईजीडब्ल्यू) तथा वेब कंटेन्टस एक्सेसबिलिटी (डब्ल्यूसीएजी) मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर नवीनतम तकनीकी के साथ निगम में सूचनात्मक व उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाईट उपलब्ध है ।

- कोई विकलांग व्यक्ति भी सहायक तकनीकी की सहायता से वेबसाईट एक्सेस कर सकता है । इन उेश्यों के साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शनों का भी कार्यान्वयन किया गया है ।
- वेबसाईट हिंदी में भी उपलब्ध है, वे सभी वस्तुएँ जो अंग्रेजी में सूचीबद्ध है वे हिंदी में भी उपलब्ध है ।

and Finance activity using the ERP at Branches and HO for the Crop Year 2014-15.

- The Corporation has successfully completed the Statutory Audit and Govt. Audit in ERP from FY 2011-12 onwards using the ERP application in the Corporation at all locations i.e. Branches and Head Office.
- The existing reports/forms of Finance, Marketing & HR/Payroll Modules have been modified as per users/business requirements.
- One ERP Help Desk is operational at Head Office for help in case of any difficulty in operation/running of ERP at branches.
- One person from each Branch has been nominated who are conversant with the operation of all the functional module of ERP so that first level help to other employees of the Branch may be provided by him.

15.2 **WEBSITE:**

- The Corporation is having a informative and user friendly website using the latest technology, keeping in mind the Guidelines of Indian Government Website (GIGW) & Web Contents Accessibility Guidelines (WCAG).
- Even a person with disability is able to access the website with the help of assistive technologies. With these features, the guidelines of Ministry of Social Justice, Govt. of India is also implemented.
- The website is also available in Hindi, where all the items listed in English website is available in Hindi. Further,

आगे डायनामिक मूविंग आईटम्स जिनका प्रारंभ में कार्यान्वयन नहीं किया गया था, वे भी हिंदी में उपलब्ध हैं ।

- शाखाओं द्वारा जारी टेंडर्स व आक्शन के विवरण भी मुख्यालय व शाखा कार्यालय द्वारा हमारे वेबसाईट www.cotcorp.gov.in तथा सरकारी निविदा पोर्टल www.tenders.gov.in और www.eprocure.gov.in पर प्रकाशित किये जा रहे है । प्रत्येक शाखा कार्यालय को इसका आवश्यक प्राधिकरण उपलब्ध करवाया गया है ।

15.3 **ई-मेल पत्र व्यावहार**

- मुख्यालय और शाखा कार्यालयों का ई-मेल पता सिंगल डोमेन यानि @cotcorp.com दिया गया है, जो सिंगल सर्वर पर प्रदर्शित है । आगे मुख्यालय के अधिकारियों और शाखा प्रधानों, वित्त प्रधान और सर्तकता अधिकारियों को वैयक्तिक ई-मेल आयडी दिया गया है, ताकि वे निगम के अंदर सहजता से पत्र व्यवहार कर सके ।

15.4 **हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर उच्चीकरण**

- जहां कही आवश्यक था मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का उच्चीकरण किया गया है और नया हार्डवेअर स्थापित किया गया है।

15.5 **सीईआरटी-इन मार्गदर्शन**

- निगम में सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सिक्यूरीटी, वाईरस अलर्ट, सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में सीईआरटी-इन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

the dynamic moving items are also now available in Hindi, which was initially not implemented.

- The details of tenders and auctions floated by Branches are being published on our website www.cotcorp.gov.in and on Government Tenders portal www.tenders.gov.in & www.eprocure.gov.in by HO and respective BOs on their own, the necessary authorization for the same is provided to each BOs.

15.3 **EMAIL COMMUNICATION**

- The email address to HO and Branches have been provided with single domain i.e. @cotcorp.com which is hosted on a single server. Further, the officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BOs have been provided with individual email IDs to ease and make the communication faster within the Corporation.

15.4 **HARDWARE & SOFTWARE UPGRADATION**

- Wherever found necessary, the upgradation of the existing hardware and software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

15.5 **CERT-IN GUIDELINES**

- The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India

द्वारा जारी मार्गदर्शन का अनुपालन किया जाता है ।

15.6 **आईपीवी6 अनुपालनः**

- आईपीवी6 के बारे में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी , भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन का निगम में अनुपालन किया जाता है । आगे, निगम ने आईपीवी6 शिकायत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर ही खरीदना आरंभ किया गया है ।

16. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

17. निदेशक मंडल :

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुए ।

18. मंडल की बैठकें :

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 6 बैठकें 1 अप्रैल, 2014, 8 अगस्त,2014, 16 सितंबर, 2014, 12 दिसंबर, 2014, 22 जनवरी, 2015 तथा 20 मार्च, 2015 को हुई ।

about IT/Data Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

15.6 **IPv6 COMPLIANCE:**

- The guidelines received from Ministry of Textiles, Government of India and Department of Information Technology/ Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IPv6 are being implemented in the Corporation. The Corporation started procuring only IPv6 compliant hardware and software in the Corporation.

16. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

17. BOARD OF DIRECTORS:

There is no change in the Composition of Board of Directors during the year under review.

18. BOARD MEETINGS:

During the year ended 31st March 2015, Six (6) Board meetings were held on 1st April, 2014, 8th August, 2014, 16th September, 2014, 12th December, 2014, 22nd January, 2015 & 20th March, 2015.

19. निदेशकों के दायित्वों की विवरणी :

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं ।

19.1 यह कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, माल की सुपुर्दगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानकों का अनुपालन किया गया है ।

19.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा आलोच्य वर्ष के लाभ -हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

19.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने और रोकने के लिए कंपनीज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

19.4 यह कि वार्षिकलेखों को निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है ।

19.5 यह कि निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धति अपनाई तथा यह पद्धति पर्याप्त एवं प्रभावशाली है ।

20. लेखा परीक्षा समिति :

लोक उद्यम कार्यालय (डीपीई) भारत सरकार द्वारा जारी निगमित शासन मार्गदर्शन के अनुपालन के अनुसार लेखा समिति संस्थापित की गई है । समीक्षाधीन वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा समिति की 2 बैठकें 18/08/2014

19. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to the requirement under Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 with respect to Directors' Responsibilities Statement, the directors confirmed.

19.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2015 the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

19.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the Profit and Loss of the Company for that period;

19.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

19.4 That the directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis; and

19.5 That the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20. AUDIT COMMITTEE:

The Audit Committee was constituted in terms of compliance of Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. During the year 2014-15 under review, two meetings of Audit Committee were held on 18th August,

और 20/03/2015 को आयोजित की गई । आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक शामिल करके तीन निदेशक है ।

21. सांविधिक लेखा परीक्षकः

वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी, सनदी लेखापाल तथा मेसर्स बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल को नियुक्त किया गया । वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशक रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दिया गया है । कंपनीज. अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर "शून्य" टिप्पणी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट के परिशिष्ट में दी गई है ।

22. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

22.1 वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने "बहुत अच्छा" श्रेणी प्रदान की है ।

22.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च, 2014 को हस्ताक्षर किए गए ।

23. कर्मचारियों के ब्यौरेः

आपका निगम सरकारी कंपनी होने के कारण निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05/06/2015 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अधीन सूचना भेजने की छूट है ।

2014 and 20th March, 2015. The Composition of Audit Committee of your Corporation comprise of three Directors including two part-time official directors nominated by the Ministry of Textiles, Government of India.

21. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Prasad Azad & Co., Chartered Accountants and M/s. Bansal R. Kumar & Associates, Chartered Accountants were appointed as Joint Statutory Auditors of the Company for the year 2014-15. The Statutory Auditor's Report on the Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2015 is enclosed. The 'Nil' comments on the accounts & auditors' report for the year ended 31st March, 2015 by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 does not call for any reply from the management, and enclosed herewith.

22. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES:

22.1. The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2013-14 had been rated "Very Good" by Department of Public Enterprises.

22.2. The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2014-15 was signed on 28th March, 2014.

23. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

Your Corporation being a Government Company is exempted to furnish information under Section 197 of the Companies Act, 2013 vide Ministry of Corporate Affairs (MCA) Notification dated 05/06/2015.

24. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष :

फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न के सार का भाग तैयार करने के विवरणों के बारे में कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसारण में प्रकट जानकारी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में एतद्द्वारा संलग्न है ।

25. जोखिम प्रबंधन नीति :

हमें विश्वास है कि प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन नीति अविरत संचालन का मूलभाव है जिससे अभिशासन प्रक्रिया को सुधारने, अनुकूल उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उससे प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी तरह से तैयार रखा जा सकता है ।

आपका निगम जोखिम पहचानने, निरंतर सीखने व सुधार करने के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपयुक्त कदम उठायेगा ताकि जोखिम प्रबंधन का प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

आपके निगम ने निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की स्थापना की है :-

- अनपेक्षित संकट तथा ऐसी घटनाओं को उचित व पर्याप्त रूप से दूर करने के लिए संगठन में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना ।

- मार्केट यार्डस व प्रेसिंग फैक्टरी में अग्नि घटनाओं के रोकथाम, दड़ा स्तर, गोदाम में तथा गोदाम पर कपास के मार्गस्थ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ।

24. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Information required to be disclosed pursuant to Section 134(3)(a) of The Companies Act, 2013 with respect to the details forming part of the extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith in Annexure B to this Report.

25. RISK MANAGEMENT POLICY:

We believe that an effective risk management process is the key to sustained operations thereby improving Governance processes, achieving strategic objectives and being well prepared for adverse situations.

Your Corporation shall ensure implementation of effective risk management by identifying risks and promoting a pro-active approach to treating such risks besides striving towards strengthening risk management system through continuous learning and improvement.

Your Corporation has established following Risk Management approach:

- Disaster Management Plans for unforeseen exigencies and keeping the organization constituents prepared to appropriately and adequately deal with such circumstances under eventuality of such happenings.
- Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of Fire incidences in Market Yards, at Ginning & Pressing Factory, heaping stage, transit of cotton bales to Godowns and at Godowns.

एसओपी को अनुपालन करने के लिए निगम ने अपनी शाखाओं को ऐसी कमजोर क्षेत्रों को पहचानने के लिए एक समिति का गठन किया है । यह समिति अग्नि आपदाओं को सचेत करने के लिए जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों /गोदामों के प्रबंधन को मौके पर सुधारात्मक उपाय का सुझाव देगी ।

To comply with this SOP, Corporation has instructed it Branches to constitute a Committee to identify the weak/grey areas where the fire fighting equipments/ arrangements are lacking. This Committee suggests corrective measures on the spot to the Management of Ginning & Pressing Factories/Godowns for averting fire disasters.

- पर्याप्त बीमा कवरेज : निगम के पास आपने संचालन गतिविधियों पर जैसे स्टाक प्रबंधन के लिए बीमा, मार्गस्थ बीमा, सामान्य बीमा, चोरी, डकैती बीमा इत्यादि के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियमावली है ।

- Adequate Insurance coverage: Corporation has its own set of rules to ensure adequate insurance coverage at various stages of its operational activities like insurance for stocks management, transit insurance, general insurance, theft and burglary insurance etc.

- निगम की बीमा योजना के अनुसार फैक्टरी, गोदाम इत्यादि में रखे सभी प्रकार के स्टाक लघु आवधिक योजना में पूर्णतः कवर्ड हैं । निगम भारत में कहीं भी एक गोदाम से दूसरे गोदाम में 80 कि.मी. से दूर रेल अथवा रोड द्वारा स्टॉक को ले जाने के कवरेज के लिए मुख्यालय में मैरिन कारगो खुली घोषणा नीति ले रहा है । 80 कि.मी. से अधिक इस मैरिन योजना के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा कवरेज का विकेंद्रीकरण है ।

  सीडब्ल्यूसी , एसडब्ल्यूसी, गोदाम में रखे स्टाक के लिए चोरी व डकैती बीमा 10/25% प्रथम हानि योजना लेने के द्वारा कवर किया जाए । प्राईवेट गोदाम में स्टाक भरने की चोरी व डकैती के बारे में 100% जोखिम कवर किया जाए ।

- As per Corporations Insurance policy, all type of stocks lying in factories; godowns etc. are fully covered by taking short-term policies. The Corporation is taking Marine cargo open declaration policy at Head Office for coverage of movement of the stock either by rail or road beyond 80 kms from warehouse to warehouse anywhere in India. Except this Marine Policy above 80 Kms, all other insurance coverage is decentralized.

  For stock lying in CWC, SWC Godowns, the theft and burglary insurance to be covered by taking 10/25% first loss policy. In respect of stocks stored in Pvt. Godowns 100% theft and burglary risk has to be covered.

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात बिक्री लेन-देन के अंतर्गत करंसी के उतार-चढ़ाव जोखिम की रोकथाम

- During the period under review, your corporation has arranged foreign currency hedging limit of Rs. 40 Crores with Vijaya

के लिए आपके निगम ने विजया बैंक, कोलकाता के साथ 40 करोड़ रू. की करंसी हेजिंग सीमा की व्यवस्था की है ।

➢ ई-आक्शन द्वारा बाजार संचालित मूल्य प्राप्ति का निर्धारणः बिक्री पद्धति को अधिक पारदर्शी बनाने व बाजार संचालन के लिए आपके निगम ने ई-आक्शन पोर्टल द्वारा पूर्ण-बंधित कपास गाँठों की बिक्री आरंभ की है । अपने स्टॉक के परिसमापन के लिए निगम ने खरीददार/विक्रेता व माँग -आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए मार्केट संवेदना पर आधारित अपने संबंधित फ्लोर रेट्स सहित कपास गाँठों के अलग-अलग मात्रा लॉट्स में बोली नियत की है । पंजीकृत खरीददार फ्लोर रेट्स पर बोली लगाते है तथा उच्चतम -1 की बोली समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय समिति के पास बिक्री की पुष्टि के लिए रखी जाती है ।

Bank, Kolkata to arrest the currency fluctuation risk under its Export Sale transactions.

➢ Determination of market driven price realization through e-Auction: For making the sales system more transparent and market driven, your Corporation commenced the sale of FP cotton bales through e-Auction portal. For liquidating its stock, Corporation fixed the bidding quantity in different lots of cotton bales with their respective floor rates depending upon the market sentiments on the point of view of Buyers/Sellers and demand/ supply. Registered buyers bid at floor rates and Highest-1 bid is put under review for High level committee for confirmation of sale.

26. आभार :

26.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

26. ACKNOWLEDGEMENT:

26.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

26.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल - II और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

26.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स प्रसाद एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली और मैसर्स बंसल आर. कुमार एंड एसोसिऐट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

26.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2013-14 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

26.2. Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–II for their co-operation.

26.3. Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Prasad Azad & Co. Chartered Accountants, New Delhi and M/s Bansal R. Kumar & Associates Chartered Accountants, Mumbai during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

26.4. Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2013-14 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

26.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

26.5. Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 03.11.2015

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 03.11.2015

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट अ
ANNEXTURE A TO DIRECTORS' REPORT

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ओ) के अनुसरण में कंपनीज अधिनियम 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व) के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाये ।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम पर कार्य तथा सीएसआर नीति व प्रोजेक्ट्स अथवा प्रोग्राम की वेब लिंक में उल्लेख सहित सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा ।

> **कंपनी का संक्षिप्त परिचय :**

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कपास व्यापारिक संगठन है । जब कभी कपास मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर छूते हैं तो निगम भारत की नोडल एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन का कार्य करता है ।

> **सीएसआर की संकल्पना :**

- सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के पत्र सं 15(3)/2007-डीपीई(जीएम) द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है । सीएसआर वर्ष 2010-11 से एमओयू में शामिल किया गया । सीएसआर के दिशानिर्देशों में बताये अनुसार निगमित कार्यनिष्पादन को आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा वातावरण प्रभाव यानि सामान्य तौर पर "ट्रिपल बॉटम लाईन" से मैच किया जाए ।

- निगमित कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम के शिड्यूल VII तथा

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

[Pursuant to Section 134 (3)(o) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(1) of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]

Brief outline of the company's CSR Policy including overview of projects or programme proposed to be undertaken and reference in web link to the CSR policy and projects or programme.

> **Brief about Company:**

The Cotton Corporation of India ('CCI') is a cotton trading organization under the administrative control of Ministry of Textiles, Govt. of India. It is the nominated nodal agency of Govt. of India to undertake price support operations in cotton in the event when market prices of kapas touched the support price level announced by Govt. of India.

> **Concept of CSR:**

- The Department of Public Enterprises (DPE), vide their letter F.No.15 (3)/2007-DPE (GM) dated 9th April 2010 has introduced Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises. The CSR was included in MOU from the year 2010-11 onwards. As envisaged in the guidelines of CSR, the corporate performance needs to be matched in terms of economic impact, social impact and environmental impact; commonly called the "Triple Bottom Line".

- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its notification dated February 27, 2014

धारा 135 तथा कंपनीज. निगमित सामाजित दायित्व पॉलिसी नियमावली 2014 को अधिसूचित किया है। जिसके अनुसरण में कंपनीज. को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में व्यय करना आवश्यक है। जिसका अनुपालन हम डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पहले से ही कर रहे हैं। कंपनीज. नियमावली 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू हुआ है।

- उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भाकनि समुदायिक सद्भाव, समाज पर प्रभाव कायम रखने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करता है।

i) सीएसआर विज़न स्टेटमेंट (सीएसआर झलक की विवरणी):

- सीएसआर सीसीआई के लिए एक योजनाबद्ध गतिविधियाँ है जो निगम के संचालन के क्षेत्र तथा आसपास आवासीय समुदाय की अपेक्षाओं को लंबे समय तक अपने क्षमतानुसार सकारात्मक प्रभाव डालने के लक्ष्य पर विचार करता है।

- भाकनि जहाँ स्थित है अथवा जहाँ उनके हित लक्षित है उन स्थानों पर सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रेरणादायी भूमिका निभाना ताकि भाकनि क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने व कार्य करने का वातावरण निर्मित कर सके।

ii) सीएसआर उद्देश्य :

- इसके संचालन के सभी पहलुओं में ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों पर निगम की गतिविधियों के प्रभाव और वातावरण की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हित में कार्य करना।

has notified Section 135 & Schedule VII of Companies Act, 2013 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. Pursuant to which Companies are required to make expenditure on "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)" activities which we have already undertaken which is with the compliances of DPE Guidelines. The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 have come into force from 1st April 2014.

- Taking into consideration of aforesaid CSR guidelines, CCI has been involved in various CSR activities to generate community goodwill, create social impact and visibility. The outline of CCI's CSR policy is as under:

i) CSR Vision Statement:

- The Corporate Social Responsibility (CSR) is a planned set of activities for CCI which is targeted to have a significant positive impact in the long term taking into consideration the Corporation's capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence.

- The aim is to play a catalytic role in the sustainable socio-economic development in the regions where it is located or where its interests lie, attempting to create an enabling working environment for CCI as well as sustained regional development.

ii) CSR Mission:

- To serve the interests of society by taking responsibility for the impact of Corporation's activities on customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of its operations.

- अपने स्टेकहोल्डस के हितों को पहचानते हुए आर्थिक सामाजिक तथा अच्छे वातावरण को प्रोत्साहित रूप से संचालित करने की प्रतिबद्धता करना ।

- विकास को बढ़ावा देने के उेश्य व लोक उपकारी गतिविधियों से परे सीएसआर उेश्य को जोड़ने ताकि सामाजिक-आर्थिक संघटन व व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके एवं उनके प्रतियोगी लाभों को सुरक्षित व कायम रखा जा सके ।

- निगम के संसाधनों की क्षमता तथा अपने संचालन की आधारभूत निर्भरता को देखते हुए छोटी सी छोटी इकाईयों जैसे गॉवों, पंचायत, ब्लॉक अथवा डिस्ट्रिक्ट के लाभों को सुनिश्चित करना ।

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभों में से औसतन 2% तक किए गए खर्चो के भीतर लाभ/हानि का विचार किए बगैर सामाजिक-आर्थिक सीएसआर गतिविधियों को शामिल करना ।

ii) सीएसआर नीति का वेब लिंकः

- सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट निगम के वेबसाईट www.cotcorp.gov.in पर उपलब्ध है ।

> सीएसआर समिति का गठनः

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की उप समिति के दिशानिर्देशों के अधीन भाकनि में सीएसआर कार्यान्वित किया जाता है । बोर्ड स्तर की उप समिति के नाम व पदनाम निम्नानुसार हैः-

नाम	पदनाम	श्रेणी
श्री बी.के.मिश्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री पी.के.अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	सदस्य
श्री एम.एम. चोक्कलिंगम	निदेशक(विपणन)	सदस्य

- Commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders.

- To closely linked with the practice of sustainable development and extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of socio-economic and business goals to secure sustainable competitive advantage.

- Ensure benefits to the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon operations and resource capability of the Corporation.

- To be involved in CSR activities as long term sustainable socio-economic development irrespective of loss/profit and expenditure limit of 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years.

iii) Web link to CSR Policy:

- Annual Report on CSR activities is also available at the website of the Corporation at www.cotcorp.gov.in

> Composition of the CSR Committee:

Corporate Social Responsibility (CSR) is being implemented in CCI under the guidance of Board level sub-committee headed by CMD. Name & designation of Board level sub-committee are as under:

Name	Designation	Category
Shri B.K. Mishra	Chairman-cum-Managing Director	Chairman
Shri P.K. Agarwal	Director (Fin.)	Member
Shri M.M. Chockalingam	Director (Mktg.)	Member

समिति के कार्य निम्नलिखित हैः

- बोर्ड के अनुमोदनार्थ सीएसआर नीति सूत्रबद्ध व सिफारिश करना
- वित्तीय वर्ष में क्षेत्रवार प्रोजेक्ट्स के लिए निधि बताते हुए प्रोजेक्टस सहित सीएसआर गतिविधियों पर किए जानेवाले खर्च की राशि को सिफारिश करना ।
- कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर प्रोजेक्टस् के कार्यान्वयन पर समय समय पर नियंत्रण रखना ।

> पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का शुद्ध औसत लाभ :

पिछल तीन वर्षों में निगम के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं :

शुद्ध लाभ (पीबीटी)	रू. करोड में
पीएटीः वि.वर्ष .2011-12	(179.9 करोड़)
पीएटीः वि.वर्ष .2012-13	32.70 करोड़
पीएटीः वि.वर्ष .2013-14	59.84 करोड़
पीएटीः वि.वर्ष .2014-15	22.59 करोड़

> निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद सं.3 में बताये अनुसार राशि का 2%):

कंपनी नियमावली 2013 के अनुसार (सीएसआर नीति) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा शुद्ध औसत लाभ का कम से कम 2% सीएसआर को आबंटित किया गया । अतः नए सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार चूँकि निगम को वर्ष 2011-12 के दौरान हानि हुई । इसीलिए 2014-15 में सीएसआर हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की जानी थी ।

The terms of reference of the Committee is given below:

- Formulate and recommend CSR policy to the Board for approval.
- Recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities in a financial year along with CSR projects to be undertaken earmarking funds for area-wise projects.
- Monitor from time to time the implementation of the CSR projects undertaken by the Company.

> Average net profit of the company for last three financial year:

The financial results of the Corporation in the last three years are as follows:

Net Profit (PBT)	Rs. Crores
PAT: F.Y. 2011-12	(179.89 crore)
PAT: F.Y. 2012-13	32.70 crore
PAT: F.Y. 2013-14	59.84 crore
PAT: F.Y. 2014-15	22.59 crore

> Prescribed CSR expenditure (two percent of the amount as in item 3 above):

As per the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2013 at least 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years should be allocated to CSR. Hence as per new CSR guidelines no fund was supposed to be allocated in the year 2014-15 for CSR since the Corporation has made losses in the year 2011-12.

> वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण :

- वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि :

- नए सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 में सीएसआर के लिए कोई भी राशि आबंटित नहीं की गई है । तथापि निगम की सामर्थ्यता तथा निगम के संचालन के क्षेत्रों के आसपास रह रहे समुदाय की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए तथा वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लक्ष्यों के अनुसार निगम ने सीएसआर गतिविधियों के लिए 50 लाख रू. का बजट आबंटित किया है जिसके सामने 44.16 लाख रू. का खर्च हुआ है ।

- खर्च न की गई राशि, यदि कोई :
  शून्य, 5 क पर दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए

- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च की गई राशि के विवरण निम्नानुसार है:-

> Details of CSR spent during the financial year:

- Total amount to be spent for the financial year:

- As per the new CSR guidelines no fund was supposed to be allocated for CSR in the year 2014-15. However, as per target under MoU with the Ministry of Textiles as well as taking into consideration its capabilities, expectations of the communities living **in and around the areas of its operation as well as where it has its presence, the Corporation has made a budget allocation of Rs.50 lakhs for the CSR activities out of which Rs.44.16 lakhs was spent.**

- Amount unspent, if any:
  Nil, in view of explanation given on 5 a.

- Manner in which the amount spent during the financial year 2014-15 is detailed below:

क्र. Sr. No.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा गतिविधि का नाम CSR project or activity identified	कौन से क्षेत्र में प्रोजेक्ट कवर किया गया Sector in which the project is covered	प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम Projects or programs: 1.स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र 1) Local area or other 2.राज्य/जिला जहाँ प्रोजेक्ट व प्रोग्राम कार्य किए गए 2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	प्रोजेक्ट/ प्रोग्रामवार राशि का बजट Amount outlay (budget) project or program wise	प्रोजेक्ट/प्रोग्राम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1.प्रोग्राम/प्रोजेक्टस् पर सीधा खर्च 1)Direct expenditure on projects or programs 2. ऊपरी खर्च 2) Overheads	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय Cumulative expenditure upto the reporting period	खर्च की गई राशि सीधे अथवा इंप्लिमेन्टिंग एजेंसी द्वारा Amount spent : Direct or through implementing agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	क.सोलार लाईट्स लगवाना a). Installation of solar lights ख. वॉटर प्यूरिफायर लगवाना b).Installation of water purifier ग). दरवाजे., खिड़कियों का मरम्मत कार्य c). Doors, windows, renovation work घ.बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाना d) Construction of girls toilet ङ. सेंट्रल प्रिजन, चेरलापल्ली से बेंचस खरीद की । e) Benches procured from Central Prison, Cherlapally	शिक्षा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना Promoting education and sanitation	जिला परिषद सेकन्डरी स्कूल, इंदरवेल्ली एवं धनोरा जिला:आदिलाबाद, राज्यः तेलंगाना Zila Parishad Secondary School, Indervelly & Dhanora District: Adilabad State: Telangana	14,25,000 रू. Rs.14,25,000	11,09,868रू. (लगभग) Rs.11,09,868 (approx)	11,09,868रू. (लगभग) Rs.11,09,868 (approx)	11,09,868रू. (लगभग) (इंप्लिमेन्टिंग एजेंसी द्वारा) Rs. 11,09,868 (approx) (through implementing agency)

2.	शौचालय एवं पानी की व्यवस्था (बोरवेल तथा टैंक) Toilet and Water facility (Bore-well and Tank)	स्वच्छता को बढ़ावा देना Promoting Sanitation	सरकारी हायर सेकन्डरी स्कूल,गॉव-पेरंगीयूर तथा कलामारूतुर जिलाःविल्लुपुरम राज्यःतामिल नाडु Govt. Higher Secondary School, Village-Perangiyur and Kalamaruthur District: Villupuram State: Tamil Nadu	8,24,000रू. Rs. 8,24,000	8,22,000 रू. (लगभग) Rs.8,22,000 (approx)	8,22,000 रू. (लगभग) Rs.8,22,000 (approx)	8,22,000 रू. (लगभग) (इंप्लिमेन्टिग एजेंसी द्वारा Rs. 8,22,000 (approx) (through implementing agency)
3.	जम्मू व कशमीर में बाढ़ से पीढित व्यक्तियों के लिए वूलन कंबल खरीदने व आपूर्ति करने हेतु किया गया अंशदान Contribution for Purchase & supply of woollen blankets to Jammu & Kashmir Flood Affected People	सामुदायिक विकास Community Development	जम्मू एंड कश्मीर Jammu & Kashmir	24,84,000 रू. Rs. 24,84,000	24,84,000 रू. Rs. 24,84,000	24,84,000 रू. Rs. 24,84,000	24,84,000 रू.(लगभग) (नेशनल हैंडलूम डिवलपमेन्ट कार्पो. लि. द्वारा) Rs. 24,84,000 (through National Handloom Development Corporation Ltd.)

> **पिछले तीन वर्षों के शुद्ध औसत लाभ का 2% व्यय न करने का कारण**

लागू नहीं

> **सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व स्टेटमेंट**

भाकनि में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन व नियंत्रण सीएसआर उेश्य व कंपनी नीति के अनुपालन के अनुसार होता है ।

> **Reasons for not spending the 2% of average net profit of last three financial years:**

Not Applicable

> **Responsibility statement of the CSR Committee:**

The implementation and monitoring of CCI's CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-
(एम. एम. चौक्कलिंगम)
(M.M. Chockalingam)
निदेशक (विपणन)
Director (Marketing)

Sd/-
(प्रदीप कुमार अग्रवाल)
(Pradeep Kumar Agarwal)
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

Sd/-
(बी. के. मिश्र)
(B. K. Mishra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - सीएसआर समिति
Chairman-cum-Managing Director
& Chairman- CSR Committee

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट ब
ANNEXTURE B TO DIRECTORS' REPORT

फार्म सं .एमजीटी-9
31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष
वार्षिक रिपोर्ट का सार
(कंपनीज. अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनीज. (प्रबंधन प्रशासन) नियमावली 2014 के अनुसरण में)

Form No. MGT – 9
EXTRACT TO ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2015
[Pursuant to Section 92(3) of The Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I पंजीकरण व अन्य विवरण
I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i **i)**	सीआईएन CIN	: :	यु51490एमएच1970जीओआई014733 U51490MH1970GOI014733
ii ii)	पंजीकरण की तारीख Registration Date	: :	31.07.1970 31.07.1970
iii) iii)	कंपनी का नाम Name of the Company	: :	भारतीय कपास निगम लिमिटेड The Cotton Corporation of India Limited
iv) iv)	श्रेणी/कंपनी की उप श्रेणी Category/sub-Category of Company	: :	शेड्यूल बी पीएसयु(शेर्यस द्वारा प्राईवेट कंपनी लि.) Schedule B PSU (Private Company limited by shares)
v v)	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क के विवरण Address of the Registered Office and contact details	: :	कपास भवन, प्लॉट नं.3ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-400614, फोन:022-27571372 Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector – 10, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra – 400 614, Ph: 022-27571372.
vi vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है Whether listed Company	: :	नहीं No
vii vii)	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजंट का नाम, पता तथा संपर्क के विवरण Name, Address and contact details of Registrar and transfer Agent, if any	: :	लागू नहीं N/A

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

वे सभी व्यापारिक गतिविधियाँ जिसमें कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंश शामिल हो

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

क्रमांक Sr. No.	नाम तथा मुख्य उत्पादन/सेवाओंका विवरण Name and Description of main products/services	प्रोडक्ट/सर्विस का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/Service	कंपनी के कुल टर्नआवर का % % to total turnover of the Company
1.	कपास Cotton		

III. होल्डिंग, सब्सीडियरी तथा एसोसिएट कंपनीज. के विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्रमांक Sr.No.	कंपनी का नाम तथा पता Name and Address of the Company	सीआईएन/ जीएलसी CIN/GLC	होल्डिंग/ सब्सीडियरी/ एसोसिएट Holding/Subsidiary /Associate	शेयर्स का % % of shares held	लागू धारा प्राप्त Applicable Section
शून्य NIL					

IV. शेयरहोल्डिंग पैटर्न (कुल ईक्विटी प्रतिशत के अनुसार ईक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक-अप)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

शेयरहोल्डर की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या No. of Share held at the end of the year				वर्ष के दौरान - परिवर्तन का % % of change during the year
	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	
ए. प्रोमोटर्स A. Promoters									
(1) भारतीय (1) Indian									
क. वैयक्तिक/एचयुएफ a) Individual/HUF	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ख. केंद्रीय सरकार b) Central Govt.	0	25,00,000	25,00,000	100	0	25,00,000	25,00,000	100	0.00

i) Category-wise Share Holding									
शेयरहोल्डर की श्रेणी **Category of Shareholders**	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या **No. of Shares held at the beginning of the year**				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या **No. of Share held at the end of the year**				वर्ष के दौरान - परिवर्तन का % **% of change during the year**
	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	
ग. राज्य सरकार c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
घ. बोडीज कारपो. d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ङ) बैंकस/एफआई e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
च. अन्य कोई f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2. विदेशी (2) Foreign	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
बी. पब्लिक शेयरहोल्डिंग **B. Public Shareholding**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
सी. एडीआर व जीडीआर के लिए अभिरक्षरक के शेयर्स **C. Shares held by Custodian for ADRs& GDRs**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
सकल योग (ए+ बी+सी) **Grand Total (A+B+C)**	**0**	**0**	**25,00,000**	**0**	**0**	**25,00,000**	**25,00,000**	**0**	**0.00**

ii) प्रोमोटर्स के शेयर ii) Shareholding of Promoters

क्रमांक Sr. No	शेयरहोल्डर का नाम Shareholder`s Name	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year			वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरधारक में परिवर्तन का % % of change in shareholding during the year
		शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	कुल शेयर्स में गिरवी/ विल्लंगम युक्त शेयर्स का % % of shares pledged/ encumbered to total shares	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	कुल शेयर्स में गिरवी/ विल्लंगम युक्त शेयस का % % of shares pledged/ encumbered to total shares	
1.	भारत के राष्ट्रपति (वस्त्र मंत्रालय द्वारा)							
1.	**PRESIDENT OF INDIA** (through Ministry of Textiles)	25,00,000	100	NIL	25,00,000	100	NIL	0

iii) प्रोमोटर्स शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन iii) Change in Promoters' Shareholding

	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दोरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
1.4.2014 वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year 01.04.2014	25,00,000	100	25,00,000	100
वृद्धि/ कमी के कारण सूचित करते हुए वर्ष के दोरान प्रोमोटर्स शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी (यानि आबंटन/ ट्रांसफर/बोनस/ स्वीट ईक्विटी इत्यादि) Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment transfer/bonus/ sweat equity etc):	NIL	N/A	NIL	N/A
31.3.2015 वर्ष के समाप्ति पर At the End of the yr 31.03.2015	25,00,000	100	25,00,000	100

iv) टॉप टेन शेयरहोल्डर्स का शेयर धारण का पेटर्न (निदेशक, प्रोमोटर्स तथा जीडीआर व एडीआर के धारक को छोडकर)
iv) Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

प्रत्येक टॉप 10 शेयरहोल्डस के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

v) निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिको के शेयर होल्डिंग :
v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर्स का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

V) ऋणिताएँ
कंपनी की ऋणिताएँ बकाया/प्रोदभूत ब्याज शामिल करके परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं
V) INDEBTEDNESS
Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

	डिपाजिट छोडकर रक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनआरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणिताएँ Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष 1.4.2014 के प्रारंभ में ऋणिताएँ Indebtedness at the beginning of the financial year 01.04.2014				
i. मूल राशि Principal Amount	49100.00	0.00	0.00	49100.00
ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ Interest due but not paid	-	0.00	0.00	0.00
iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं Interest accrued but not due	-	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii) / Total (i + ii + iii)	**49100.00**	**0.00**	**0.00**	**49100.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिताओं में परिवर्तन Change in Indebtedness during the financial year				
* जोड़ना / Addition	1651100.00	0.00	0.00	1651100.00
* घटाना / Reduction	213900.00	0.00	0.00	213900.00
कुल परिवर्तन / Net Change	**1437200.00**	**0.00**	**0.00**	**1437200.00**

	डिपाजिट छोडकर रक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनआरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणिताएँ Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष 31.3.2015 के समाप्ति पर ऋणिताएँ **Indebtedness at the end of the financial year 31.03.2015** i. मूल राशि Principal Amount ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ Interest due but not paid iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं Interest accrued but not due	1486300.00	0.00	0.00	1486300.00
कुल (i+ii+iii) / Total (i + ii + iii)	**1486300.00**	**0.00**	**0.00**	**1486300.00**

vi) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक
vi) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

क. A.	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:				
		प्रबंध निदेशक/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक के नाम Name of MD/ WTD/ Manager			
क्रमांक Sr. No.	पारिश्रमिक के ब्यौरे Particulars of Remuneration	श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri B. K. Mishra, CMD	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त) Shri Pradeep K. Agarwal, Director (Finance)	श्री एम.एम. चोक्कलिंगम, निदेशक (विपणन) Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)	कुल राशि Total Amount
1.	सकल वेतन / Gross salary				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अनुसार वेतन का प्रावधान (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961,	2,318,582.00	2,088,574.00	2,058,716.00	6,465,872.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961,	401,937.00	35,740.00	32,400.00	470,077.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत प्रोफिट इन लियू ऑफ सालरी(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक विकल्प / Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वीट ईक्विटी / Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के अनुसार Commission – as % of profit	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क) / TOTAL (A)	2,720,519.00	2,124,341.00	2,091,116.00	6,935,949.00
अधिनियम के अनुसार सीलिंग Ceiling as per act					

ख. B.	अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक Remuneration to other Directors:	निदेशकों के नाम / Name of Directors		कुल राशि Total Amount
	पारिश्रमिक के ब्यौरे Particulars of Remuneration	श्री बी.के.मिश्र SHRI R. K. SINHA	श्री सुजीत गुलाटी SHRI SUJIT GULATI	
स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors				
• बोर्ड/कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • Fee for attending board/committee meetings • कमीशन • Commission • अन्य कृपया स्पष्ट करें • Others, please specify		0.00	0.00	0.00
कुल(1) / Total (1)		**0.00**	**0.00**	**0.00**
अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक Other Non-Executive Directors		0.00	0.00	0.00
• बोर्ड/कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • Fee for attending board/committee meetings • कमीशन • Commission • अन्य कृपया स्पष्ट करें • Others, please specify				
कुल(2) / Total (2)		0.00	0.00	0.00
कुल = (1+2) / Total = (1 + 2)		**0.00**	**0.00**	**0.00**

VII. जुर्माना/सजा/मिश्रित अपराध
PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type	कंपनीज. अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	जुर्माना/सजा/अधिशोषण मिश्रित शुल्क Details of Penalty/Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकृत (आरडी/एनसीएलटी/सीओयुआरटी) Authority [RD/NCLT/COURT]	अपील यदि कोई हो(विवरण दें) Appeal made, if any (give Details)
कंपनी / COMPANY					
जुर्माना Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित Compounding			NIL	NIL	NIL
निदेशक / DIRECTORS					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड / Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित/Compounding			NIL	NIL	NIL
अन्य दोषी अधिकारी / OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड /Punishment			NIL	NIL	NIL
मिश्रित/Compounding			NIL	NIL	NIL

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सदस्य
भारतीय कपास निगम लिमिटेड

To,
The Members of
The Cotton Corporation of India Limited

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **भारतीय कपास निगम लिमिटेड (कंपनी)** के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2015 का तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाते की विवरणी तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना आदि शामिल है, की लेखा परीक्षा की है ।

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company"),** which comprise the Balance Sheet as at 31ST March, 2015, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की

कंपनी अधिनियम 2013("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताये मामलों के लिए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत बताये लेखा मानक शामिल करके सामान्य रूप से भारत में स्वीकार किये गये लेखा निर्देशों के साथ कंपनी नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के बारे में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और उपयुक्त सूचना देने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल-कपट व अनियमताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यायोचित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिज़ाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रख-रखाव जो लेखा रिकार्डस के पूर्ण व परिशुद्धता हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को तैयार व प्रस्तुत

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant

किया जाये ताकि वित्तीय विवरणियाँ छल-कपट व त्रुटि के कारण मटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा व लेखा परीक्षा के मानकों तथा उन सभी मामलों पर जो अधिनियम के प्रावधानों व उन पर बनाये गये नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है, उन सभी पर ध्यान दिया है ।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानको के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है । इन मानकों के अपेक्षानुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते है और लेखा परीक्षा करते है कि क्या वित्तीय विवरणियाँ नीतिपरक तथा मेटीरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । चयनित पद्धति में, लेखा परीक्षकों के निर्णयों में वित्तीय विवरणियों मेटीरियल मिस-स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पद्धति का डिजाईन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है । लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और निदेशक मंडल द्वारा महत्वपूर्ण आंकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों पर जो साक्ष्य लेखा-

to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control systems over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have

परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं ।

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

राय

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी दिन वर्ष समाप्ति के लिए लाभ व नकद प्रवाह सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1 कंपनीज. अधिनियम (लेखा परीक्षक रिपोर्ट /आदेश) 2015 के आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम 143 के उप नियम (11) के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक विवरणी -1 में दे रहे है ।

2. कंपनी के रिकार्डस् के सत्यापन के आधार पर तथा हमें दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरण के अनुसार हम अधिनियम की धारा 143(5) के बारे में नियंत्रक व भारत के महा लेखा परीक्षा द्वारा जारी निदेशों पर निम्नानुसार टिप्पणी देते हैं :

   क. कंपनी का डिसइनवेस्टमेन्ट के लिए चयन नहीं हुआ है । अतः इस बारे में टिप्पणी देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

   ख. न वसूली योग्य अग्रिम के खाते में 96.64 लाख रूपये को बही खाते में डालने (वित्तीय विवरणियों का नोट 25 ई देखें) तथा पिछले वर्षों में पुनः ब्रिक्री पर हानि के लिए दोषी मिल खरीददार से सौहार्दपूर्ण समझौता के खाते में

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure-1 a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. Based on the verification of records of the Company and information and explanations given to us, we give below our comments on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Act:

   a. The Company has not been selected for disinvestment and hence reporting on this direction does not arise.

   b. There are no cases of waiver / write off of debts, loans / interest etc. except write off of Rs. 96.64 lakh on account of unrecoverable Advances etc. [refer Note 25 E of Financial Statements] and waiver of Rs. 42.77 lakh by way of concession of

पिछले वर्ष के दौरान वसूल किया गया ब्याज की रियायत द्वारा 42.77 लाख रू.अधित्ययजन को छोड़कर कोई भी अधित्यजन व बही खाते में डालने का मामला नहीं है ।

ग. कंपनी ने तीसरी पार्टी के पास रखी इन्वेंटरी के लिए रिकार्डस का उचित रखरखाव किया है ।

घ. कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 में कारणों सहित समय वार अनिर्णित लीगल आरबिट्रेशन के मामले दिए गए हैं । हम बताना चाहते है कि कंपनी ने सभी लीगल मामलों पर व्यय का पर्याप्त नियंत्रण रखा है ।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

क. हमने अपने ज्ञान व जानकारी के अनुसार वे सभी जानकारियाँ व स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

ख. हमारी राय में जैसा कि हमने बुक्स की जाँच की है, कंपनी ने विधि से सभी बुक्स को उचित रूप में रखा है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कंपनी के लेखा बहियों के साथ मेल खाते है ,

घ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरणियों के बारे में अधिनियम की धारा 133 जो कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

ङ. वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य-कलाप विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर.463(ई)

interest in the course of recovery made during the year on account of amicable settlement(s) with defaulting mill buyers for loss on resale in earlier years.

c. The Company has maintained proper records for inventories lying with third parties. The Company has not received any assets as gift from Government or other authorities.

d. As per information provided to us by the Company, age wise analysis of pending legal/arbitration cases including the reasons of pendency is given in Annexure 2 to this report. We report that the Company has in place an adequate monitoring mechanism for expenditure on all legal cases.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e. The provisions of Section 164(2) of the Act are not applicable to the Company in view of

दिनांक 5 जून 2015 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

च. कंपनीज (आडिट व आडिटर्स) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल करने के बारे में, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में जैसा कि नोट 26 में बताया गया है अपनीवित्तीय स्थिति पर लंबित विधिक कार्यवाही का प्रभाव प्रकट किया है ।

ii. कंपनी में व्युत्पन्नी संविदाएँ शामिल करके किसी दीर्घावधि संविदाओं में कोई आर्थिक हानि दिखाई नहीं दे रही है ।

iii. कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एड्यूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में किसी भी राशि को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है ।

Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

f. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as referred to in Note 26 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)

हस्ता/-
दीपक आजाद
भागीदार
एम.नं.94115
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2015

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 001009N)

Sd/-
Deepak Azad
Partner
Membership No.: 94115
Place: New Delhi
Date: 31st August 2015

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)

हस्ता/-
आर.के.गुप्ता
भागीदार
एम.नं.86851
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2015

for Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 08186N)

Sd/-
R. K. Gupta
Partner
Membership No.: 86851
Place: New Delhi
Date: 31st August 2015

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के समसंख्यक रिपोर्ट की धारा ' अन्य विधि तथा नियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा की गई पर्याप्त जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपार्ट करते हैं किः

i. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

(ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था । जो हमारें मतानुसार कंपनी के आकार व परिसंपत्तियों के अनुरूप है । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

ii. (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है ।

(ख) प्रबंधन व्यवस्था द्वारा मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनायी गयी कार्यविधि कंपनी के आकार तथा इसके कार्य-कलाप के स्वरूप के अनुसार उचित तथा पर्याप्त है ।

(ग) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी मालसूची का उचित अंतराल रिकार्ड रख रही है । जहां तक मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गयी

Annexure-1 to the Independent Auditor`s Report

[Annexure-1 referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of **THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED,** on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2015]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.

(b) As explained to us, the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies were noticed on such verification.

ii. (a) As per the information and explanations given to us, the inventories have been physically verified by the Independent Stock Verifiers at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency of verification is reasonable.

(b) The procedure of physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) As per the information and explanations given to us and in our opinion the Company is maintaining proper records of inventory. So far as the discrepancies noticed during the course of physical verification of inventories

विसंगतियों का संबंध है, हमें यह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंपनी के परिचालन से संबंधित कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी थी और उन्हें बही लेखों में उचित रूप से लेनदेन किया गया है।

iii (क) तथा (ख) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों को/से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । अतः वर्ष के दौरान आदेश से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

iv हमारी राय तथा हमें दी गई जनकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची की खरीदी तथा अचल परिसंपत्तियों तथा माल बिक्री व सर्विस देने के बारे में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय *स्वरूप के अनुरूप निम्न लिखित मामलों को छोड़कर* आंतरिक नियंत्रक प्रणाली पर्याप्त है :-

क. घटिया किस्म के कच्चे माल की खरीद, गाँठों की कृत्रिम पैकिंग तथा प्रेस व डिलीवरी वजन में असामान्य वजन की कमियों के परिणामस्वरूप हानि,

ख. कंपनी की आंतरिक लेखा पद्धति को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के अनुरूप हो, विशेषतः आंतरिक लेखा परीक्षा को पूरा कवर करने की आवश्यकता है, आंतरिक लेखा परीक्षा स्टाफ ईआरपी लेखा पद्धति पर लेखा परीक्षा करने के लिए इतना प्रशिक्षित नहीं है तथा अन्य कार्यालयीन कार्य में काफी व्यस्त है जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

आगे हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऐसी कोई बात न तो ध्यान में आयी है और न ही सूचित की गई है , जो आंतरिक नियंत्रक पद्धति में उपर्युक्त को छोड़कर कोई बड़ी कमजोरी बताती है ।

are concerned it has been informed and explained to us that the discrepancies were not material in relation to the operation of the Company and the same have been properly dealt with in the books of accounts.

iii (a) & (b). According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any secured or unsecured loans to Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act, thus related provisions of the Order are not applicable during the year.

iv In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and nature of its business with regard to the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services *except for matters below -*

a. *Procurement of inferior quality of raw material, false packaging of bales and abnormal weight shortage from press and delivery weight resulting in losses;*

b. *Internal audit system of the Company needs to be further strengthened with respect to Independence of Internal Auditors and Scope of Audit, to make it commensurate with the size of the Company and nature of its business, more particularly the laid down internal audit scope needs to be fully covered, the internal audit staff is not trained enough to conduct audit on ERP Accounting system and also occupied with other office work resulting into conflict of interest.*

Further during the course of our audit, we have neither come across nor informed of any major weakness in the internal controls system except matters mentioned above.

v. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अंतर्गत तथा संबंधित अधिनियम के किसी प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बनाये गए किसी नियमों अथवा धारा 73 से 76 के अंतर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

vi. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्ड को अनुरक्षित किया है ।

vii. (क) हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन प्रतिनिधि के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा , आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सर्विस कर, कस्टम्स ड्युटी, एक्साईस ड्यूटी, वेट, सेस तथा कोई बकाया सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, सामान्यतः नियमित रूप से जमा कर रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कोई अविवादित बकाया सांविधिक राशि नहीं है जो देय तारीख से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया हो, केवल 122.05 लाख रू. जो एपीएमसी अधिनियम, 1966 के अंतर्गत बिनौलों पर वेट/सीएसटी के लिए 1% मार्केट सेस भुगतान करने योग्य है ।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन प्रतिनिधित्व के अनुसार आयकर अथवा बिक्री कर, वेल्थ कर, सर्विस कर, कस्टम ड्यूटी अथवा एक्साईज. ड्यूटी अथवा वैट अथवा सेस के मामलों में निम्नलिखित छोड़कर (वित्तीय विवरणी का नोट 26 देखें) कोई अविलंबित बकाया नहीं है ।

v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits covered under the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.

vi. According to the information and explanations given to us, the Central Government of India has not prescribed the maintenance of cost records by the Company under sub-section (1) of section 148 of the Act.

vii. (a) According to the records of the Company examined and the information, explanations and management representations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities and there are no arrears of undisputed statutory dues outstanding as at the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable except Rs.122.05 lakh which is payable towards VAT / CST on 1% Market Cess on Cotton Seed under the APMC Act, 1966.

(b) According to the information, explanations and management representations given to us, there were no dues of income tax or sales tax or wealth tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax or cess not deposited on account of disputes except stated below [refer Note 26 of Financial Statements].

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय राशि का प्रकार Nature of dues	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) Period to which the amount relates (Assess-ment Years)	किस फोरम पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	**60.29**	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम गयी **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	**47.50**	2005-06	जेसीटी(अपील्स) धारवाड़ JCT (Appeals), Dharwad
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	**15.45**	2008-09	जेसीटी(अपील्स) धारवाड़ JCT (Appeals), Dharwad
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	**27.32**	2011-12	एडीसी(सीटी)- गुंतूर ADC (CT) - Guntur
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	**36.06**	2013-14	एडीसी(सीटी)- गुंतूर ADC (CT) - Guntur
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम **State & Central Sales Tax Act**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**4.06**	1980-81 1981-82 1989-90 तथा & 1992-93	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा बिक्री कर कार्यालय में भेजी गयी । Appeals remanded back for reassessment at Bhatinda Sales Tax Office
सेवा कर **Service Tax**	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	**4.06**	2009-10	सीईएसटीएटी, कोलकाता CESTAT, Kolkata

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय राशि का प्रकार Nature of dues	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) Period to which the amount relates (Assessment Year)	किस फोरम पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	3.97	2005-06	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	1.53	2006-07	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	15.92	2007-08 to 2008-09	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उड़ीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200ए के अंतर्गत U/s 200A	1.82	2006-07 to 2011-12	आयकार आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर, (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Development & Regulation) Act, 2002	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर सेस (वित्तीय विवरणी के नोट 8 के फुट नोट देखें) Punjab Infrastructure Cess (Refer Foot Note below Note 8 of Financial Statements)	9080.63	2005-06 to 2014-15	सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष छुट्टी याचिका दायर की है. Special Leave Petition filed with Hon`ble Supreme Court

(ग) कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एड्यूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में कोई भी राशि ट्रांसफर करना आवश्यक नहीं है ।

(c) There were no amounts which were required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund.

viii. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी ने कोई वित्तीय हानि संचित नहीं की है तथा तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है ।

ix. कंपनी के रिकार्डस की जाँच के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी वित्तीय संस्थान अथवा बैंकस या डिबेंचर होल्डर्स को देय राशि की चुकौती में तुलन-पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं की है ।

x. कंपनी के रिकार्ड तथा हमें दी हुई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है ।

xi. कंपनी के रिकार्ड तथा हमें दी हुई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन प्राप्त नहीं किया है ।

xii. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन प्रतिनिधित्व के अनुसार केवल प्रेस व डिलीवरी वेट में असामान्य अंतर तथा कच्चे माल की घटिया किस्म की खरीदी से संबंधित 3 फ्रॉड के मामले जो पिछले वर्षों में घटित हुए परंतु निदेशक मंडल ने इस वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया है, जिसमें 204.55 लाख रू. शामिल है, के अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जालसाजी के मामले नोटिस अथवा रिपोर्ट नहीं किए है ।

viii. The Company does not have any accumulated losses at the end of the financial year and has not incurred cash loss in the current financial year and in the immediately preceding financial year.

ix. According to the records of the Company examined and on the basis of the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to any financial institution or banks or debenture holders as at the Balance sheet date.

x. According to the records of the Company and on the basis of information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions during the year.

xi. According to the records of the Company and on the basis of information and explanations given to us, the Company has not obtained any term loans during the year.

xii. According to the information, explanations and management representations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year except 3 fraud cases involving Rs. 204.55 lakh on the Company occurred in the earlier years but reported to the Board of Directors during the year which relates to procurement of inferior quality of raw material and abnormal difference in press and delivery weight.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)

हस्ता/-
दीपक आजाद
भागीदार
एम.नं.94115
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2015

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 001009N)

Sd/-
Deepak Azad
Partner
Membership No.: 94115
Place: New Delhi
Date: 31st August 2015

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)

हस्ता/-
आर.के.गुप्ता
भागीदार
एम.नं.86851
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2015

for Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. : 08186N)

Sd/-
R. K. Gupta
Partner
Membership No.: 86851
Place: New Delhi
Date: 31st August 2015

परिशिष्ट-2 हमारी समसंख्यक लेखा रिपोर्ट के अन्य लीगल व रेग्युलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत 2(डी) पैरा देखा जायें ।

ANNEXURE - 2 referred to in paragraph 2 (d) under the heading 'Report on other Legal & Regulatory requirements' of our Audit Report of even date

31 मार्च 2015 के समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय वितरणियों पर

on the Financial Statements of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD. for the year ending 31st March 2015

लंबित विधिक / मध्यस्था के आयुवार विश्लेषण

AGE WISE ANALYSIS OF PENDING LEGAL / ARBITRATION CASES

कंपनी के विरुद्ध विधिक / मध्यस्था के मामलें
Legal/Arbitration cases against the Company

(रू. लाखों में)
(Rs. in Lakh)

क्रमांक Sr. No.	आयुवार Age wise	मामलो की संख्या No. of cases	राशि Amount	लंबित रखने के कारण Reason for pendency	वर्तमान स्थिति Present Position
1	3 वर्षो से कम Less than 3 years	--	--	--	--
2	3 से 5 वर्षो से अधिक More than 3 to 5 y ears	3	0.02	फशन बनाये जा रहे है Framing the is-sues	सुनवाई के लिए बोर्ड पर नही है Not on Board for hearing
3	5 से 10 वर्षो से अधिक More than 5 to 10 years	1	-	सुनवाई के लिए लंबित The case is pend-ing for hearing	सुनवाई के लिए बोर्ड पर नही है Not on Board for hearing
4	10 से 15 वर्षो से अधिक More than 10 to 15 years	5	210.67	लंबे कारणो के मामले Long cause cases	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hear-ing
5	15 वर्षो से अधिक Above 15 years	71	520.32	लंबे कारणो के मामले Long cause cases	बोर्ड पर सुनवाई के लिए नही आया Not reaching for hearing on Board

कंपनी द्वारा दायर किए गए विधिक / मध्यस्था के मामलें (रू. लाखों में)
Legal/Arbitration cases filed by the Company **(Rs. in Lakh)**

क्रमांक Sr. No.	आयु वार Age wise	मामलो की संख्या No. of cases	राशि Amount	लंबित रखने कारण Reason for pendency	वर्तमान स्थिति Present Position
1	3 वर्षो से कम Less than 3 years	--	--	--	--
2	3 से 5 वर्षो से अधिक More than 3 to 5 years	42	14316.87	मध्यस्था प्रगति पर है Arbitration is in progress	मध्यस्था प्रगति पर है Arbitration is in progress
3	5 से 10 वर्षो से अधिक More than 5 to 10 years	5	2650.50	लंबे कारणो के मामले Long cause cases	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
4	10 से 15 वर्षो से अधिक More than 10 to 15 years	56	789.58	लंबे कारणो के मामल Long cause cases	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
5	15 वर्षो से अधिक Above 15 years	87	380.72	लंबे कारणो के मामल Long cause cases	बोर्ड पर सुनवाई के लिए नही आया Not reaching for hearing on Board

भाकनि द्वारा फाईल की गई अपील के विरुद्ध विभिन्न कर प्राधिकारियों द्वारा उठायी गई माँगे (रू. लाखों में)
Demand Raised by Various Authorities which CCI filed Appeal **(Rs. in Lakh)**

क्रमांक Sr. No.	आयुवार Age wise	मामलो की संख्या No. of cases	राशि Amount	लंबित रखने कारण Reason for pendency	वर्तमान स्थिति Present Position
1	3 वर्षो से कम Less than 3 years	7	147.84	सुनवाई नोटिस की प्रतिक्षा में Hearing notice awaited	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
2	3 से 5 वर्षो से अधिक More than 3 to 5 years	1	1.82	मध्यस्था प्रगति पर है Hearing notice awaited	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
3	5 से 10 वर्षो से अधिक More than 5 to 10 years	2	9084.6	मध्यस्था प्रगति पर है Hearing notice awaited	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
4	10 से 15 वर्षो से अधिक More than 10 to 15 years	2	64.35	मध्यस्था प्रगति पर है Hearing notice awaited	सुनवाई के लिए लंबित Pending for hearing
5	15 वर्षो से अधिक Above 15 years	0	0		

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ब)के अधीन 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महानिदेशक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि., की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है । कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक, द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) में आधारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है । उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 अगस्त, 2015 द्वारा यह बताया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इसलिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ब) के अधीन कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - II , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2015

The preparation of financial statement of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 31st August, 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct supplementary audit of the financial statements of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2015 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

sd/-
(Suparna Deb)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board - II, New Delhi

Place: New Delhi
Date : 30.09.2015

31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014
(I) ईक्विटी एवं देयताएँ EQUITY AND LIABILITIES			
(1) शेयरधारकों की निधि / Shareholders' Funds			
(क) शेयर पूँजी / (a) Share Capital	2	2,500.00	2,500.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष / (b) Reserves and Surplus	3	24,318.56	22,880.90
(ग) शेयर वारंटस के विरूद्ध प्राप्त धन (c) Money Received against Share Warrants		-	-
(2) आबंटन लम्बित शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allotment		-	-
(3) गैर-चालू देयताएँ Non-Current Liabilities			
(क) दीर्घावधिक उधार / (a) Long-Term Borrowings		-	-
(ख) अस्थिगित कर देयताएँ / (b) Deferred Tax Liabilities		-	-
(ग) अन्य दीर्घावधिक देयताएँ / (c) Other Long Term liabilities	4	348.89	321.77
(घ) दीर्घावधिक प्रावधान / (d) Long Term Provisions	5	2,532.75	2,262.11
(4) वर्तमान दायित्व Current Liabilities			
(क) अल्पावधिक उधार / (a) Short-Term Borrowings	6	14,86,300.00	49,100.00
(ख) व्यापारिक देयताएँ / (b) Trade Payables	7	40,858.50	2,586.76
(ग) अन्य वर्तमान देयताएँ / (c) Other Current Liabilities	8	49,533.59	15,987.09
(घ) अल्पावधिक प्रावधान / (d) Short-Term Provisions	9	4,005.12	3,036.67
कुल / TOTAL		**16,10,397.41**	**98,675.30**
(II) परिसंपत्तियाँ ASSETS			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियॉ Non-Current Assets			
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (a) Fixed Assets (Net)	10		
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets		4,884.30	5,262.54
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets		27.06	7.43
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर / Capital Work-in-progress		-	3.94
(iv) विकास अधीनअमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets under Development		-	-
(ख) गैर चालू निवेश (b) Non-Current Investments	11	0.01	0.01
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (c) Deferred Tax Assets (Net)	12	5,608.18	5,276.75

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम (d) Long-Term Loans and Advances	13	524.63	437.31
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ (e) Other Non-Current Assets	14	174.79	182.01
(2) वर्तमान परिसंपत्तियॉ Current Assets			
(क) वर्तमान निवेश / (a) Current Investments		-	-
(ख) माल सूचियाँ / (b) Inventories	15	15,31,892.72	75,894.03
(ग) व्यापार प्राप्य / (c) Trade Receivables	16	4,372.86	5,635.61
(घ) नकद और नकद समकक्ष/(d) Cash and Cash Equivalents	17	1,695.67	758.36
(च) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम (e) Short-Term Loans and Advances	18	5,352.73	3,426.40
(छ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ / (f) Other Current Assets	19	55,864.46	1,790.91
कुल / TOTAL		**16,10,397.41**	**98,675.30**

1 से 42 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 45, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 31 अगस्त 2015 Date : 31st August, 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि विवरणी
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

विवरण /Particulars	नोट Note	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
I. परिचालनों से राजस्व Revenue from Operations	20	538927.07	489539.59
II. अन्य आय Other income	21	1981.48	2153.11
III. कुल राजस्व (I+II) Total Revenue (I+II)		**540908.55**	**491692.70**
IV. व्यय Expenses			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत (a) Cost of Material Consumed			
- कच्चा माल / Raw Material		1830442.15	112844.73
- पैकिंग माल / Packing Materials		6983.29	479.68
- तारपोलीन / Tarpulins		4.36	262.21
(ख) व्यापार के माल की खरीद (b) Purchase of Stock In Trade		0.00	0.00
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन (c) Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, Stock In Trade	22	(1445726.89)	328511.03
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय (d) Employee Benefit Expenses	23	7981.02	7095.15
(च) वित्त लागत (e) Finance Cost	24	32386.37	16372.01
(छ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय (f) Depreciation and Amortization Expenses		260.29	364.01
(ज) अन्य व्यय (g) Other Expenses	25	105976.17	21570.05
कुल व्यय / Total Expenses		**538306.76**	**487498.87**
V. अपवादत्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) तथा कर (III-IV) Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		2601.79	4193.83
VI. अपवादत्मक मदें Exceptional items		0	0
VII. अपवादत्मक मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर (V-VI) Profit before Extraordinary items and Tax (V-VI)		2601.79	4193.83
VIII.असाधारण मदें Extraordinary items		0	0

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	नोट Note	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
IX. कर से पहले लाभ Profit Before Tax		2601.79	4193.83
X. कर व्यय Tax Expenses			
(क) वर्तमान कर / (a) Current Tax		558.59	1700.00
(ख) आस्थगित कर / (b) Deferred Tax		(215.43)	(3601.30)
(ग) पूर्व वर्ष के कर समायोजन / (c) Prior Year Tax Adjustments		0.00	110.93
XI. कर के बाद लाभ/(हानि) (IX-X) Profit after Tax (IX-X)		2258.63	5984.20
100 रु प्रति के अंकितमूल्य की प्रति ईक्विटी शेयर आय/(हानि) Earnings per equity share of face value of Rs. 100 each			
मूलभूत और तनुकृत / Basic and Diluted		90.35	239.37

1 से 42 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 45, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम) (M. M. Chockalingam)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी) (Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-Cum-Managing Director	निदेशक (वित्त) Director (Finance)	निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	कंपनी सचिव Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051744	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 31 अगस्त 2015 Date : 31st August, 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(A) Cash Flow from Operating Activities		
कराधान के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net Profit Before Taxation and extraordinary items	2,601.79	4,193.83
समायोजन के लिए **Adjustment for**		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amortization Expenses	260.29	364.01
ब्याज व्यय Interest Expenses	32,386.37	16,376.58
ब्याज आय Interest Income	(890.85)	(922.78)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निकालने पर हानि Loss on Sale/Discard of Fixed Assets	(0.73)	3.52
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ **Operating Profit Before Working Capital Changes**	**34,356.87**	**20,015.16**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन **Adjustment for changes in Working Capital**		
व्यापार प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Trade Receivables	1,262.75	(162.96)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Inventories	(14,55,998.69)	3,33,032.39
अल्पावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans and Advances	(1,510.22)	342.24
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Current Assets	(54,073.55)	19,959.65
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans and Advances	(87.32)	275.55
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Non-current Assets	7.22	3,179.07
व्यापार भुगतान योग्य में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Trade Payables	38,271.74	(3,415.58)
अन्य वर्तमान देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	33,546.50	(298.99)
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Short term Provisions	696.12	513.62

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
अन्य गैर चालू देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Non- current Liabilities	27.12	(17.95)
दीर्घावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Long term Provisions	270.64	33.60
परिचालन से निर्मित नकद / (उपयोग में) **Cash Generated from / (used in) Operations**	**(14,03,230.82)**	**3,73,455.80**
प्रदत्त कर (वापसी का शुद्ध) Taxes Paid (Net of Refund)	(719.18)	(1,428.26)
आय कर पुनरांकन के लिए अधिक प्रावधान Excess Provision for Income Tax written back	-	-
परिचालन गतिविधियाँ से शुद्ध नकद प्रवाह (क) **Net Cash from Operating Activities (A)**	**(14,03,950.00)**	**3,72,027.54**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Purchase of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	(235.67)	(112.96)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Sale of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	3.48	1.52
प्राप्य लाभांश Dividend Received	-	-
प्राप्य ब्याज Interest Received	890.85	922.78
शुद्ध नकद प्रवाह (उपयोग में) निवेश गतिविधियाँ (ख) **Net Cash Flow/ (Used in) Investing Activities (B)**	**658.66**	**811.34**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financing Activities**		
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि / (की चुकौती) Proceed from / (Repayment of) Short Term Borrowings (Net)	14,37,200.00	(3,56,099.02)
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	(32,386.37)	(16,376.58)
ईक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश Dividend Paid on Equity Share	(500.00)	(655.00)
वितरित लाभ पर प्रदत्त कर Tax paid on Distributed Profit	(84.98)	(111.32)
शुद्ध नकद प्रवाह / (उपयोग में) वित्तीय गतिविधियाँ (ग) **Net Cash Flow / (Used in) Financing Activities (C)**	**14,04,228.65**	**(3,73,241.92)**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग) Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	937.31	(403.04)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the beginning of the year	758.36	1,161.40
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the Close of the year	**1,695.67**	**758.36**

1 से 42 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 45, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-Cum-Managing Director DIN - 02510840	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance) DIN - 05234132	Sd/- (एम. एम. चौक्कलिंगम) (M. M. Chockalingam) निदेशक (विपणन) Director (Marketing) DIN - 00051744	Sd/- (मोहम्मद जफर रिजवानी) (Mohd. Zaffar Rizwani) कंपनी सचिव Company Secretary Membership No.:ACS27451

दिनांक : 31 अगस्त 2015 Date : 31st August, 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के उल्लेखित यह नगदी प्रवाह विवरणी है।
This is the Cash Flow Statement referred to in our Report of Even Date

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के उल्लेखित यह नगदी प्रवाह विवरणी है।
This is the Cash Flow Statement referred to in our Report of Even Date

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

लेखा नीतियाँ

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.1 लेखा पद्धति :

ये वित्तीय विवरणियाँ प्रोदभूत आधार पर ऐतिहासिक लागत कनवेन्शन के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांत के अनुसार तैयार किया गया है । यह वित्तीय विवरणियाँ कंपनीज. अधिनियम 2013 की धारा 133 जो कंपनीज(लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये तथा कंपनीज. अधिनियम 2013 के अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के साथ सभी आर्थिक विषयां का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है । इसके अनुरूप प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ निम्नानुसार हैं :

क. कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पद्धति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है । निम्नलिखित छोड़कर।

i) विदेशी मुद्रा में व्यय, निर्यात के बारे में चूंगी वापसी तथा निर्यात के लाइसेंस की बिक्री पर आय।

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बकाया राशि निगम को राशि देने में नियमित नही है.

iii) विवादित कर देयताएँ;

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

Notes to the Accounts

1. Significant Accounting Policies for the Year ended 31st March, 2015

1.1 System of Accounting:

These Financial Statements have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India under the historical cost convention on accrual basis. These Financial Statements have been prepared to comply in all material aspect with the Accounting Standards notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013. Significant Accounting Policies have been applied consistently and are given below :

a. The Company follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon, on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य बन गए हैं

vi) बीमा दावे, जिनकी बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की गयी है.

ख. उन खरीददारों की जमाराशि, अग्रिम लदान प्रभार और जमा शेष राशि को जिन्होंने बिक्री संविदा के अनुसार संविदागत माल न उठाने के कारण अपनी संविदागत बाध्यता पूरी नहीं की है, वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी गई है , जिसमें ऐसे चूककर्ता खरीददारों के विरूद्ध मध्यस्थता कार्यवाहियाँ आरंभ की जा चुकी है । इस प्रकार की आय को "संविदा के रद्धीकरण के विरूद्ध प्रतिपूर्ति" शीर्ष के अंतर्गत गिना जायेगा ।

ग) कंपनी के सामान्य आपरेटिंग साइकल तथा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा - 3 में नियत अन्य रुपरेखा के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को 'चालू' अथवा 'गैर चालू' रुप में विश्लेषण किया किया गया है । सेवाओं के स्वरूप के आधार पर कंपनी ने संपत्तियों व देयताओं के 'चालू' व 'गैरचालू' विश्लेषण के उदेश्य से 12 माह के अनुसार ऑपरेटींग साईकल को अभिनिश्चित किया है।

1.2. राजस्व मान्यता :

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इडिया द्वारा जारी लेखा मानक एएस-9 "राजस्व मान्यता" के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके कंपनी ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखी है :-

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया ऋण पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे हैं और कंपनी को राशि देने में नियमित नहीं है,

v) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

b. The amount of deposit, advance carrying charges and credit balances of the buyers who had not fulfilled their contractual obligations by not lifting the contracted stocks as per sales contract has been recognised as income in the year in which arbitration proceedings had been initiated against such defaulting buyers. Such income is accounted for under the head 'Compensation against Cancellation of Contract'.

c. All the Assets and Liabilities have been classified as 'current' or 'non-current' as per the Company's normal Operating Cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of services, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of 'current' or 'non-current' classification of Assets and Liabilities.

1.2 Revenue Recognition:

In conformity with the provisions of Accounting Standard AS-9 on "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Company defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of-

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

ii) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावे दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चितता होती है ।

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

vi) बकाया देयताएँ, जिनमें या तो कोई दावा नहीं है या कोई विधिक दावा लंबित नहीं है । तीन वर्षो के बाद उनका पुनरांकन किया जाये ।

1.3 विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों कंपनी द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे सुपुर्दगी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान

ii) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

iii) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

vi) Outstanding Liabilities, wherein, either there is no claim or no legal case is pending to be written back after period of three years.

1.3 Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the Company provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year. Sales under godown storage facility are booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in

विक्रीत एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है ।

1.4 अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) लीजहोल्ड लैंड व बिल्डिंग का परिशोधन लीज अवधि पर लिया जा रहा है ।

घ) कार्य में प्रगति की रिपोर्ट वर्ष के अंत में प्राप्त सीपीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है ।

1.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधनः

अमूर्त परिसंपत्तियाँ(कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) 3 वर्ष की अवधि से परिशोधित की जा रही है ।

1.6. नकद प्रवाह विवरणी :

नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के अधीन तैयार की गयी है ।

1.7 तुलन पत्र तारीख के बाद उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ

तुलन पत्र तारीख के और जिस तारीख को वित्तीय विवरणियाँ अनुमोदित हुई, जो वर्तमान तुलन पत्र तारीख की स्थितियों से संबंधित राशि के निर्धारण को प्रभावित करनेवाली अतिरिक्त जानकारी देती हैं, के बीच होने वाली घटनाओं के लिए संपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया गया है ।

1.8 अवधि से पहले की मदें :

अवधि से पहले की मदें आय और व्यय है, जो वर्तमान अवधि में एक या उससे अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी में चूक और गलतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। पूर्व अवधि में परिस्थितियों

respect of sales booked and bales lifted during the year.

1.4 Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule II to the Companies Act, 2013.

c) Leasehold land and buildings are being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress is stated on the basis of Central Public Works Department certificate received at year end.

1.5 Intangible Assets and Amortisation:

Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years.

1.6 Cash Flow Statement:

The cash flow statement is prepared under indirect method.

1.7 Events occurring after the balance sheet date:

Adjustment to Assets and Liabilities are made for events occurring between balance sheet date and the date on which the financial statements are approved that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the conditions existing at the balance sheet date.

1.8 Prior period items:

Prior period items are income and expenses that arises in the current period as a result of errors and omissions in the preparation of the financial statements of one and more prior periods. Prior period items do not include other adjustments

द्वारा निर्धारित अन्य समायोजन शामिल नहीं है, जो पूर्व अवधि से संबंधित होते हुए भी वर्तमान अवधि में निर्धारित किये गये है ।

1.9 निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

1.10 मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गॉठें/रूई का मूल्यांकन :

i) वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii) समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गांठों के संदर्भ में औसत लागत पर, यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii) देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदित हों तथा जिनके लिए संविदा की गई) औसतन लागत या संविदागत दर, जो भी कम हो ।

iv) निर्यात के लिए मात्रा के मामले में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटायी गयी औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक को संविदागत दरों पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार, केन्द्रवार और कपास वर्षवार औसत मूल्य पर किया जाता है । तथापि जब कभी कच्चा माल यानि कपास में गिरावट आती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बंधित गॉठों का मूल्य कच्चे माल यानि कपास के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जायेगा,

necessitated by circumstances, which though related to prior periods, are determined in the current period.

1.9 Investments:

Non Current Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

1.10 Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at –

i] Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii] Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Govt. of India.

iii] Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers)

iv] Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/realisable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price of Raw Material i.e Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net

तो कपास शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम लिखी जाती है ।

घ) यैलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाहे जाने वाले मूल्य पर किया गया है ।

ड) जारी न किये गये हैसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदानास, गन्नी बैग्स, आयरन हूप्स तथा कीटनाशक के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया जाता है ।

च) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

1.11 गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :

संविदागत पूर्णबंधित गाँठों /स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/पोतवहन गोदाम तक ले जाने पर संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि पर हुए व्यय को लेखा वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए प्रभार नहीं लगाया जाता है।

1.12 कर्मचारी लाभः

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) रोजग़ार के बाद लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

- **अधिवर्षिता :**

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2(70)/08- डीपीई (डब्ल्युसी) / जी एल - XVi/08 दिनांक 26 नवंबर 2008 तथा अधिसूचना संख्या 2(70)/08 -डीपीई (डब्ल्युसी) / जी एल - Vii/09 दिनांक 2 अप्रैल 2009 के निदेशानुसार कंपनी अंधिवर्षिता योजना में अंशदान कर रही है।

realizable value of raw material, the Kapas are written down to net realizable value.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

f) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

1.11 C & F Expenses on Export Bales:

Contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of Fully Pressed bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

1.12 Employees' Benefits:

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Statement of Profit and Loss of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

- **Superannuation:**

The Company contributes to the Superannuation scheme fund as per the directives issued by the Department of Public Enterprises vide notification no. 2(70)/08-DPE(WC)/GL-XVI/08 dated 26th November 2008 and notification no. 2(70)/08-DPE(WC)/GL-VII/09 dated 02nd April 2009.

- **भविष्य निधि :**

  भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है और उस पर लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभार लगाया जाता है ।

ii) परिभाषित लाभ योजना :

- **उपदान :**

  कर्मचारियों के उपदान दायित्व के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

- **छुट्टी नकदीकरण :**

  छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

  बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गयी है।

ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा व्यय को जिस वर्ष भुगतान किया गया है, लाभ/हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गई है ।

1.13 उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन :

उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पाद वित्तीय वर्ष पर आधारित और वास्तविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के

- **Provident Fund:**

  Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and is charged to the Statement of Profit and Loss.

ii) Defined Benefit Plans:

- **Gratuity:**

  Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

- **Leave Encashment:**

  Provision for leave encashment of year end leave balance is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

  The actuarial gain/loss is recognized in Statement of Profit and Loss.

c) Post Retirement Medical Expenses are recognised in the Statement of Profit and Loss in the year in which payment is made.

1.13 Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. Since, it involve two financial years, hence the Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. Therefore, the Company follows the practice consistently

अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

1.14 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों पर हानियों की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रोदभवन आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

1.15 आकलनों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभावित करता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

1.16 उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वे वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

1.17 विदेशी मुद्रा के सौदे :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त /देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the ensuing Financial Year in which the same is approved by the Board.

1.14 Reimbursement of losses in Minimum Support Price operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

1.15 Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made by the Management that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

1.16 Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

1.17 Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Statement of Profit and Loss. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/payables in foreign currency.

1.18 प्रति शेयर आयः

प्रति शेयर की मूल और तनूकरण /हलका आय को ईक्विटी शेयर होल्डर्स को वर्ष के लिए दिये गये शुद्ध लाभ द्वारा विभाजित करते हुए, वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर की वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित किया गया है ।

1.19 कराधान :

आस्थगित कर :

देयता पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कर की दर पर बुक लाभ और कर के समय अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर ।

आस्थागित कर को मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि प्रुडॅन्स् टाईमिंग डिफरन्स पर, जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्भूत होता है और एक या अधिक परवर्ति अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकेगी है ।

चालू कर :

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर देयताओं के आधार पर लेखो में चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट):

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का कर के नियमों के अनुसार भुगतान किया गया है, जो कि भविष्य में आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में आर्थिक लाभ को बढ़ावा देता है, जिसको परिसम्पत्ति माना गया है, यदि ऐसे प्रत्यक्षकारी साक्ष्य हैं कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करती रहेगी । तदनुसार यह संभावित है कि इसके साथ जुड़ा भावी आर्थिक लाभ कंपनी को बढ़ायेगा तथा तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाएगा तथा परिसंपत्ति का विश्वस्त मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

1.20 पट्टा (लीज) परिचालनः

पट्टे पर व्यवस्था को, जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता

1.18 Earnings per share:

The basic and diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributed to the equity shareholders for the year, by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

1.19 Taxation:

Deferred Tax

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current Tax

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

Minimum Alternate Tax (MAT)

Minimum alternative tax (MAT) paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefit in form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company shall pay normal tax in future. Accordingly, it is recognized as an asset in the balance sheet when it is probable that future economic benefit associated with it shall flow to the company and the asset can be measured reliably.

1.20 Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially

के पास निहित है, परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है ।

1.21 आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तिें की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि का, जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है, लेखों में प्रावधान किया है। पहले के लेखा अवधि में सामान्य अनर्जक हानि को पीछे लौटाया गया है, यदि वसूली योग्य राशि के आंकलन में कोई परिवर्तन हुआ है ।

1.22 सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसका बुक वैल्यू किया जाता है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि या वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होता है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नामपत्र मूल्य दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी गई है ताकि संबंधित लागत /हानियों के साथ उसका मिलान हो सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । ऐसे अनुदानों को "अन्य आय" के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

1.23 प्रावधान, समाश्रित देयताएँ और समाश्रित परिसंपत्तियाँ :

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

समाश्रित देयता के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँ:-

vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognized in the Statement of Profit and Loss on a straight line basis.

1.21 Impairment of Assets:

At each balance sheet date an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

1.22 Government Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Statement of Profit and Loss to match them with the related costs/losses, which are intended to be compensated. Such grants are shown separately under 'Other Income'.

1.23 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Company makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a:-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना /अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का निर्धारण करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।

वित्तीय विवरणियों में समाश्रित आस्तिओं को न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है ।

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

31 मार्च, 2015 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 2
NOTE 2

शेयर पूँजी:
Share Capital :

प्राधिकृत:
Authorised :

प्रत्येक 100रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	7,500.00	7,500.00

निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्त:
Issued, Subscribed & Paid Up:

प्रत्येक 100 रू के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णत: प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs. 100/- Each)	2,500.00	2,500.00
कुल Total	**2,500.00**	**2,500.00**

2.1 5% से अधिक शेयर धारकों के ब्यौरे
2.1 Details of Shareholders holding more than 5% shares

शेयर धारक का नाम Name of the Share holder	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2015 को No of shares (% held) as at 31.03.2015	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2014 को No of shares (% held) as at 31.03.2014
भारत के राष्ट्रपति President of India	24,99,997 (99.99%)	24,99,997 (99.99%)

2.2 बकाया शेयरों का समाधान निम्नानुसार है

2.2 Reconciliation of Equity Shares outstanding

ब्यौरे Particulars	शेयर्स की संख्या दि.31.03.2015 को No. of shares as at 31.03.2015	शेयर्स की संख्या दि.31.03.2014 को No. of shares as at 31.03.2014	दि.31.03.2015 को (लाख रू.में) As at 31.03.2015 (Rs. in Lakh)	दि.31.03.2014 को (लाख रू.में) As at 31.03.2014 (Rs. in Lakh)
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर्स Equity Shares at the beginning of the Year	2,50,000.00	2,50,000.00	2,500.00	2,500.00
जोडेः वर्ष के दौरान जारी किये शेयर्स Add: Equity Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाईयेंः वर्ष के दौरान मोचन किये गये शेयर्स Less: Equity Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स Equity Shares at the end of the year	2,50,000.00	2,50,000.00	2,500.00	2,500.00

2.3 अधिकार, अधिमान तथ निर्बंधन

2.3 Rights, Preferences and Restrictions attached

कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स के रूप में केवल एक ही शेयर्स है, जिसका सममूल्य 100/- रू. है । सभी शेयर्स भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं । कंपनी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर्स होल्डर्स के अनुमोदन की शर्त पर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश को घोषित व भुगतान करती है ।

नये शेयर्स जारी करना, शेयर्स अंतरण, पूँजी का पुनः भुगतान, शेयर्स का सब-डिवीजन तथा कंसोलिडेशन इत्यादि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन की शर्त पर किए जाते हैं ।

The Company has only one class of shares referred to as Equity Share having a par value of Rs.100/-
. All shares are in the name of the President of India. The Company declares and pays Dividend in Indian Rupees proposed by the Board subject to the approval of the Shareholder in Annual General Meeting.

Issue of new shares, transfer of shares, repayment of Capital, sub division and consolidation of shares etc. are subject to approval of the President of India.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि. 31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 3
NOTE 3

आरक्षित और अधिशेष :
Reserves And Surplus :

क. सामान्य आरक्षित / a. General Reserve		
आरंभिक शेष / Opening Balance	2,573.00	1,974.58
(+) चालू वर्ष में अंतरण (+) Current Year Transfer	225.86	598.42
(-) चालू वर्ष में किए गए पुनरांकन (-) Written Back in Current Year	-	-
अंतिम शेष कुल (क) **Closing Balance Total (A)**	2,798.86	2,573.00
ख. अधिशेष / b. Surplus		
आरंभिक शेष / Opening balance	20,307.90	15,512.18
घटाइये : कंपनीज अधिनियम 2013 के शेड्यूल II के समायोजन में (नेट ऑफ टैक्स) (निम्नलिखित फूट नोट देखें) Less: Adjustment Pursuant to Schedule II to the Companies Act, 2013 (net of Tax) (Refer Foot Note below)	219.18	-
जोडेः चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि) Add: Net Profit/(Net Loss) for the current year	2,258.63	5,984.20
घटाइयेः प्रस्तावित लाभांश Less: Proposed Dividend	500.00	500.00
घटाइयेः रिजर्व में अंतरण Less: Transfer to Reserves	225.86	598.42
घटाइयेः प्रस्तावित लाभांश पर कर Less: Tax on Proposed Dividend	101.79	84.98
घटाइयेः पिछले वर्ष के लाभांश पर कर Less: Tax on Previous Year Dividend	-	5.08
अंतिम शेष कुल (ख) Closing Balance Total (B)	21,519.70	20,307.90
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**24,318.56**	**22,880.90**

फुट नोट :

कंपनीज अधिनियम 2013 के शेडयूल II के अनुपालन में मूर्त आस्तियों के बारे में कंपनी ने शेड्यूल II में बताये अनुसार अनुमानित उपयोगी आयु आवेदित की है । तद्नुसार दिनांक 01.04.2014 को चल परिसंपत्तियों का अग्रेषित मूल्य उनके शेष उपयोगी आयु के ऊपर मूल्यह्रास किया जा रहा है 219.18 लाख रू. (शुद्ध कर 116.00 लाख रू.) की चल परिसंपत्तियों का अगेषित मूल्य जिनकी उपयोगी आयु दिनांक 01.04.2014 को शून्य थी, उनके आरक्षित व आपूर्ति के प्रारंभिक शेष में मान्यता दी गई है । (नोट 27 देखें)

Foot Note:

In compliance of Schedule II to the Companies Act 2013, the Company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, in respect of Tangible Assets. Accordingly, the carrying value of Fixed Assets as on 1st April 2014 is being depreciated over their remaining useful lives. The carrying value of Fixed Assets whose lives was Nil as on 1st April 2014 amounting to Rs. 219.18 lakh (Net of Tax Rs. 116.00 lakh) have been recognized in the opening balance of Reserves and Surplus. (Refer Note No. 27)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 4
NOTE 4

अन्य दीर्घावधि देयताएँ :
Other Long Term Liabilities :

प्रतिभूति निक्षेप/ प्रतिधारण धन Security Deposits /Retention Money	168.08	129.21
अन्य देय * Other Payables*	180.81	192.56
कुल Total	**348.89**	**321.77**

टिप्पणः

* अन्य शामिल देय :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 वर्ष के लिए कपास आयात से संबंधित मामलों पर प्राप्त 70.34 लाख रूपये (गत वर्ष 81.88 लाख रूपये) और भारत सरकार को देय । यह राशि पुराने कपास आयात निधि मामलों के निपटान के अधीन (ब्यौरे के लिए नोट 34) देखें)

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कपास आयात के संबंध में लंबित विधिक मामलों के सामने ग्राहकों से अग्रिम के ओर प्राप्त 108.75 लाख रूपये (गत वर्ष 108.75 लाख रूपये) (ब्यौरे के लिए नोट 34 देखें)

Foot Note :

*Other Payable include:

(a) Rs. 70.34 lakh (Previous Year Rs. 81.88 lakh) received on account of Import of Cotton legal cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78 and payable to the Government of India. This amount is subject to settlement of old cotton import legal cases (Refer Note 34).

(b) Rs. 108.75 lakh (Previous Year Rs 108.75 lakh) payable to Government of India towards advance received from customers against which the legal cases are pending in respect of import of cotton during the year 1976-77 and 1977-78 (Refer Note 34).

नोट 5
NOTE 5

दीर्घावधि प्रावधान :
Long Term Provisions :

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान Provisions for Leave Encashment	2,532.75	2,262.11
कर के लिए प्रावधान Provisions for Taxation	-	-
कुल Total	**2,532.75**	**2,262.11**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 6
NOTE 6

अल्पावधि ऋण :
Short Term Borrowings :

मांग पर ऋणों का प्रतिदेय
Loans repayable on demand

बैंकों से
From Banks

रक्षित
Secured

अनुसूचित बैंको से (संकाय) * From Schedule Banks (Consortium) *	14,86,300.00	49,100.00
कुल **Total**	**14,86,300.00**	**49,100.00**

टिप्पणः

* संकाय बैंकों से ऋण अनुबंध के अनुसार 10.00%- 10.25% प्रति वर्ष की दर से 1137500 लाख रूपये ऋण 180 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 10.20%- 10.25% प्रति वर्ष दर से 47500 लाख रूपये) तथा 10.00% -10.15% की दर से 348800 लाख रूपये ऋण 90 दिनों के भीतर देय (गति वर्ष 10..20% प्रति वर्ष की दर से 1600 लाख रूपये) (बैंक ऑफ बड़ौदा (मुख्य बैंक), बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) कच्चा माल स्टोअर्स और स्पेअर्स, अर्ध तैयार माल, तैयार माल और व्यापार प्राप्य के दृष्टिबंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित ।

Foot Note :

* Rs. 1137500 lakh borrowed @ 10.00 % - 10.25 % p.a. payable within 180 days (Previous Year 47500 lakh 10.20%-10.25 % p.a.), and Rs. 348800 lakh borrowed @ 10.00%-10.15% p.a. payable within 90 days (Previous Year Rs. 1600 lakh @10.20% p.a.) as per Loan Agreement from Consortium of Banks {Bank of Baroda (Lead Bank), Bank of India, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of India, Syndicate Bank, Union Bank of India,Vijaya Bank, Allahabad Bank, Andhra Bank, Uco Bank, and United Bank of India}, secured by pari-passu charge on Hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Semi Finished Goods, Finished Goods and Trade Receivables.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 7
NOTE 7

व्यापार देय :
Trade Payables :

व्यापार देय Trade Payables		
(i) मायक्रो, स्मॉल और मिडियम उद्यमों (नोट 33 देखे) Under Micro, Small and Medium Enterprises (Refer Note 33)	554.78	38.01
(ii) अन्य Others	40,303.72	2,548.75
कुल / Total	**40,858.50**	**2,586.76**

नोट 8
NOTE 8

अन्य चालू देयताएँ :
Other Current Liabilities :

कर्मचारी लाभ देय Employee Benefits Payable	46.48	14.60
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज और देय Interest accrued and due on Loans	-	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advance Received from Customers	20,920.76	5,762.30
बयाना धन/प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धन Earnest Money / Security Deposits / Retention Money	9,894.87	773.43
अन्य देय : Other Payables :		
- सांविधिक देय* / Statutory Dues*	17,720.30	8,917.87
- अन्य / Others	951.18	518.89
कुल / Total	**49,533.59**	**15,987.09**

फूट नोट :

* ब्याज सहित पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर्स उपकर देय 9080.63 लाख रू. (गत वर्ष 7744.52 लाख रू)

Foot Note :

* Includes Punjab Infrastructure Cess payable including Interest thereon Rs. 9080.63 lakh (Previous Year Rs. 7744.52 lakh).

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 9
NOTE 9

अल्पावधि प्रावधान :
Short Term Provisions :

कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान Provision for Employee's Benefit	2,566.81	1,793.92
सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्याज के लिए प्रावधान (ब्यौरे के लिए कृपया नोट 33 देखे) Provision for Interest on Ouststanding dues to Micro,Small and Medium Enterprises (Refer Note 33)	136.73	134.66
करों के लिए प्रावधान {3665.76 लाख शुद्ध अग्रिम कर (गत वर्ष 2868.00 लाख)} Provision for Taxes {Net of Advance Tax of Rs.3665.76 lakh (Previous Year Rs. 2868.00 lakh)}	699.79	523.11
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान Provision for Proposed Dividend	500.00	500.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर का प्रावधान Provision for Tax on Proposed Dividend	101.79	84.98
कुल / Total	**4,005.12**	**3,036.67**

नोट 10 : अचल परिसंपत्तियाँ / NOTE 10 : Fixed Assets:

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakh)

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्य ह्रास Depreciation/ Depreciation					शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दि. 01.04.2014 को As At 01.04.2014	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.03.2015 को As At 31.03.2015	दि.31.03.2014 तक Up to 31.03.2014	वर्ष के लिए For the Year Adjustment	निष्कासित / बिक्री के लिए कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Depreciation for Write Off/ sale	कंपनीज़ अधिनियम 2013 के शेडयूल-II के अनुसार मूल्यह्रास समायोजन Adjustment as per Schedule-II of Companies Act, 2013	दि.31.03.2015 तक Up to 31.03.2015	दि.31.03.2015 को As At 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As At 31.03.2014
I	**मूर्त परिसंपत्तियाँ Tangible Assets**											
a	भूखण्ड (पूर्ण स्वामित्व) भूखण्ड (पट्टे पर) Land (Free Hold)	126.23	-	-	126.23	-	-	-	-	-	126.23	126.23
	Land (Lease Hold)	316.46	-	-	316.46	79.94	3.53	-	-	83.47	232.99	236.52
b	भवन (पूर्ण स्वामित्व) भवन (पट्टे पर) Buildings (Free Hold)	4,934.30	-	-	4,934.30	1,166.59	76.51	-	-	1,243.10	3,691.20	3,767.71
	Buildings (Lease Hold)	244.68	-	-	244.68	40.28	2.61	-	-	42.89	201.79	204.40
c	रेल्वे साईडिंग Railway Sidings	380.44	-	-	380.44	294.82	-	-	66.60	361.42	19.02	85.62
d	एअर कंडिशन संयंत्र Air-Condition Plant	276.55	-	-	276.55	206.55	-	-	56.19	262.74	13.81	70.00
e	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स Electrical Installation Lifts and Elevators	534.40	-	-	534.40	303.24	13.38	-	101.24	417.86	116.54	231.16
f	प्रयोगशाला उपकरण Lab Equipments	103.96	13.29	-	117.25	46.80	7.29	-	22.42	76.51	40.74	57.16
g	कंप्यूटर उपकरण Computer Equipments	519.20	158.01	23.46	653.75	311.67	79.28	23.50	21.73	389.18	264.57	207.53
h	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	598.53	11.23	1.42	608.34	487.57	17.55	1.27	7.80	511.65	96.69	110.96
i	वाहन Vehicles	151.94	-	0.28	151.66	93.90	19.12	0.28	6.00	118.74	32.92	58.04
j	कार्यालय उपकरण Office Equipment	246.90	22.98	8.32	261.56	139.69	26.28	5.41	53.20	213.76	47.80	107.21
	कुल I Total I	**8,433.59**	**205.51**	**33.48**	**8,605.62**	**3,171.05**	**245.55**	**30.46**	**335.18**	**3,721.32**	**4,884.30**	**5,262.54**
II	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets**											
a	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर Computer Software	329.82	34.36	1.58	362.60	322.39	14.74	1.59	-	335.54	27.06	7.43
	कुल II Total II	**329.82**	**34.36**	**1.58**	**362.60**	**322.39**	**14.74**	**1.59**	**-**	**335.54**	**27.06**	**7.43**
III	**पूंजी कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress**											
a	लैब संयत्र Lab Equipments	3.94	-	3.94	-	-	-	-	-	-	-	3.94
	कुल III Total III	**3.94**	**-**	**3.94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.94**
	सकल कुल (I+II+III) Gross Total (I+II+III)	**8,767.35**	**239.87**	**39.00**	**8,968.22**	**3,493.44**	**260.29**	**32.05**	**335.18**	**4,056.86**	**4,911.36**	**5,273.91**
	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	**8,707.41**	**102.78**	**42.84**	**8,767.35**	**3,177.40**	**364.01**	**47.98**	**-**	**3,493.44**	**5,273.91**	**5,530.01**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि. 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 11
NOTE 11

गैर चालू निवेश (लागत पर) :
Non Current Investment (At Cost) :

गैर व्यापारिक
Non Trade

ईक्विटी इंस्ट्रूमेन्ट्स में निवेश (अनुद्धृत)
Investment in Equity Instruments (Unquoted)

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा जिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. के प्रत्येक 1000/- रूपये के 500 ईक्विटी शेयर्स 500 Equity Shares of Rs. 1000/- Each of Rajasthan State Co-Op. Spg. & Ginning Mills Federation Ltd.	5.00	5.00
घटाईयें: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for Diminution in Value of Investment	4.99	4.99
कुल **Total**	**0.01**	**0.01**

टिप्पण : गैर चालू निवेश को कमी द्वारा घटायी गयी लागत पर मूल्यांकन किया गया है ।
Foot Note : Non Current Investments are valued at Cost as reduced by diminution.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 12
NOTE 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) :
Deferred Tax Assets (Net) :

(क) आस्थगित कर देयताएँ (A) Deferred Tax Liability		
अचल परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के खाते में Related to Fixed Assets on Account of Depreciation	902.88	857.42
घटाइये : आरक्षित व आपूर्ति के आरंभिक शेष के सामने मूल्यह्रास प्रभार पर कर प्रभाव Less: Tax effect on Depreciation charges against opening balance of Reserve & Surplus	116.00	-
कुल (क) Total (A)	786.88	857.42
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (B) Deferred Tax Assets		
I) हानि और मूल्यह्रास आगे लाया गया Carried Forward Losses and Depreciation	-	814.36
II) आयकर अधिनियम, 1961 के यू/एस 43बी भत्ते Allowances U/s 43B of the Income Tax Act, 1961	5,052.90	4,020.70
III) संदिग्ध ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts and Advances	593.89	564.20
IV) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Value of Investment	1.73	1.70
V) प्राप्य बफर स्टाक हानि के लिए प्रावधान Provision for Buffer Stock Losses Receivable	746.54	733.21
कुल (ख) Total (B)	6,395.06	6,134.17
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क-ख) **Net Defered Tax Assets (Net) (A-B)**	**5,608.18**	**5,276.75**

टिप्पणः
लेखा मानक-22 के अनुसार आय पर करों की गणना 215.43 लाख रूपये आस्थगित कर परिसंपत्तियों को लाभ व हानि विवरणी में मान्यता दी गयी है (गत वर्ष 3601.30 लाख रूपये)

Foot Note:

In accordance with Accounting Standard - 22 “Accounting for Taxes on Income”, the Deferred Tax Assets (Net) of Rs. 215.43 lakh (Previous year Rs. 3601.30 lakh) has been recognized in the Statement of Profit & Loss.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014
नोट 13 **NOTE 13**		
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम : **Long Term Loans and Advances :**		
जमा प्रतिभूति / अग्रिम **Security Deposits / Advances**		
- अरक्षित शोध्य माने गये*		
- Unsecured Considered Good*	202.10	158.70
अन्य ऋण और अग्रिम **Other Loans and Advances**		
- रक्षित शोध्य माने गये		
- Secured, Considered Good		
कर्मचारियों को ऋण Loans to Employees	251.34	233.65
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	71.19	44.96
- आरंक्षित संदिग्ध माने गए		
- Unsecured, Considered Doubtful	21.62	21.62
घटाईयें: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Less: Provisions for Doubtful Advances	(21.62)	(21.62)
कुल Total	**524.63**	**437.31**

टिप्पण:

*लेबर अधिकारी तथा न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरण, हुबली के आदेश के विरूद्ध 26.07 लाख रू. शामिल है (पिछले वर्ष - 26.07 लाख रू.)

Foot Note:

* Includes Rs. 26.07 lakh (Previous Year Rs. 26.07 lakh) deposited against order of Labour Officer and Minimum Wages Authority, Hubli.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 14
NOTE 14

अन्य गैरचालू परिसंपत्तियाँ :
Other Non-Current Assets :

दावे और अन्य वसूली योग्य
Claims & Other Recoverable

निदेशकों के ऋण अग्रिम पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Directors	-	0.06
कर्मचारियों के ऋण अग्रिमों पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Employees	174.79	181.95
भारत सरकार से प्राप्य बफर स्टाक पर हानि Losses on Buffer Stock Operations Receivable from Government of India	2,157.14	2,157.14
घटाइये - भारत सरकार से प्राप्य बफर स्टाक संचालन पर हानि के प्रावधान Less : Provision for losses on Buffer Stock Operations receivable from Government of India	(2,157.14)	(2,157.14)
कुल Total	**174.79**	**182.01**

नोट 15
NOTE 15

मालसूची :
Inventories :

कच्चा माल Raw Material	9,224.00	1,676.96
तैयार माल Finished Goods	15,17,062.51	71,729.96
तैयार माल- मार्गस्थ में माल Finished Goods - Goods-in-Transit	394.34	-
अन्य मदें Others Items	5,211.87	2,487.11
कुल Total	**15,31,892.72**	**75,894.03**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014
नोट 16 NOTE 16		
व्यापार प्राप्य राशि : Trade Receivables :		
- **6 माह से अधिक** - **Exceeding Six Months**		
रक्षित शोध्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित शोध्य माने गये शोध्य* Unsecured Considered Good*	120.60	759.36
अरक्षित संदिग्ध माने गये Unsecured Considered Doubtful	1,690.67	1,634.54
घटाईयें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(1,690.67)	(1,634.54)
कुल (क) Total (A)	120.60	759.36
- **अन्य** - **Others**		
रक्षित शोध्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित शोध्य माना गया माल * Unsecured Considered Good*	4,252.26	4,876.25
संदिग्ध माने गये Unsecured, Considered Doubtful	3.75	3.75
घटाईयें : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(3.75)	(3.75)
कुल (ख) Total (B)	4,252.26	4,876.25
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**4,372.86**	**5,635.61**

टिप्पण:

* एनटीसी, सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सुपुर्दगी के लिए बकाया राशि की वसूली एनटीसी मिलों से 3552.06 लाख रूपये (गत वर्ष 4741.34 लाख रूपये) की राशि देय ऋण शामिल है ।

Foot Note:

* Include debts due from NTC mills amounting to Rs. 3552.06 lakhs (Previous year Rs. 4741.34 lakh) for delivery as per Memorandum of Understanding reached amongst National Textiles Corporation Ltd., Cotton Corporation of India Ltd. and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	दि 31.03.2015 को As at 31.03.2015	दि.31.03.2014 को As at 31.03.2014

नोट 17
NOTE 17

नकद और नकदी समकक्ष :
Cash and cash Equivalents :

बैंक में शेष Balance with Banks		
चालू खाते में* In Current Accounts*	1,658.66	726.55
जमाराशि खाते में ** In Deposit Accounts **	36.81	31.81
हाथ में चैक्स, ड्राफ्टस् Cheques, Drafts on hand	0.20	-
हाथ में रोकड़ Cash on Hand	-	-
कुल Total	**1,695.67**	**758.36**

टिप्पण :

* आंध्रा बैंक से 0.12 लाख रू. (गत वर्ष 0.12 लाख रू.) शामिल हैं, जो प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज गुन्तूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार लीन के रूप में चिन्हित किया गया है, जो वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न किसानों को कपास मूल्य का भुगतान न करने के बारे में है ।

** आंध्रा बैंक के पास जमा 31.81 लाख रूपये के फिक्सड डिपाजिट (गत वर्ष 31.81 लाख रू.) तथा यह राशि वर्ष 1999के दौरान विभिन्न किसानों को कपास मूल्य का भुगतान न करने के बारे प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज गुन्तूर के आदेशानुसार जमा की गई हैं, जो आदिलाबाद शाखा में गोदाम किराये पर लेने के लिए सुरक्षा जमा राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पास 5.00 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य) सुरक्षा जमा राशि के रूप में शामिल है।

Foot Note:

* Includes Rs. 0.12 lakh (Previous Year Rs. 0.12 lakh) with Andhra Bank earmarked as lien as per order issued by the Principal Senior Civil Judge, Guntur in the matter of non payment of kapas value to the various farmers during the year 1999.

** Includes Rs. 31.81 lakh (Previous Year Rs.31.81 lakh) in the form of Fixed Deposit with Andhra Bank, deposited as per the order of Principal Senior Civil Judge, Guntur, in the matter of non payment of kapas value to the various farmers during the year 1999 and Rs. 5.00 lakh (previous year Nil) deposited with State Bank of Hyderabad as Security Deposit for hiring of Godowns at Adilabad Branch

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014
नोट 18 **NOTE 18**		
अल्पावधि ऋण और अग्रिम : **Short-term loans and advances :**		
अन्य ऋण और अग्रिम **Other Loans and Advances**		
- **रक्षित शोध्य माने गये** - **Secured, Considered good**		
कर्मचारियों को ऋण Loans to Employees	49.57	57.22
- **अरक्षित शोध्य माने गये** - **Unsecured Considered Good**		
निदेशकों को अग्रिम Advances to Directors	0.04	0.05
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	38.71	27.08
अग्रिम आयकर Advance Income Tax	132.33	180.98
एमएटी ऋण पात्रता MAT Credit Entitlement	416.11	-
प्राप्य आय कर वापसी Income Tax Refund Receivable	-	16.83
अन्य अग्रिम / जमा राशि Other Advances / Deposits	4,715.97	3,144.24
कुल **Total**	**5,352.73**	**3,426.40**
नोट 19 **NOTE 19**		
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ : **Other Current Assets :**		
अरक्षित शोध्य माने गये **Unsecured Considered Good**		
भारत सरकार से प्राप्य एमएसपी हानि Losses on Minimum Support Price Operations Receivable from Government of India	53,561.65	-
निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Interest receivable on Loans and Advances to Directors	0.02	-
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Interest receivable on Loans and Advances to Employees	21.71	18.39
अन्य प्राप्य राशि / Other Receivables 2,281.08	1,772.52	
कुल **Total**	**55,864.46**	**1,790.91**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014
नोट 20 NOTE 20		
परिचालन से राजस्व : Revenue from Operations :		
(क) उत्पाद की बिक्री / (a) Sale of products		
पूर्ण बंधित गांठे, बिनौले, रूई और विविध की बिक्री Sale of Fully Pressed Bales, Cotton Seed, Lint, and Miscellaneous Items such as Sample, Cowdy, Roller/Yellow Picking Bales etc	4,83,783.23	4,86,143.56
(ख) सेवा बिक्री / (b) Sale of Services	-	-
(ग) अन्य परिचालन राजस्व / (c) Other Operating Revenues		
रखरखाव प्रभार और देरी से उठाने के प्रभार Carrying Charges & Late Lifting Charges	1,111.16	3,219.25
संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति Compensation For Cancellation of Contracts	471.03	176.78
एमएसपी परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति (नोट 28 देखें) Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations (Refer Note 28)	53,561.65	-
	55,143.84	3,396.03
कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c)	**5,38,927.07**	**4,89,539.59**
नोट 21 NOTE 21		
अन्य आय : Other Income :		
किराया आय Rental Income	552.53	586.48
अल्पावधिक जमाराशि पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Short Term Deposits	3.32	158.86
अन्य ब्याज आय Other Interest Income	887.53	763.92
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है Provision No Longer Required Written Back	23.22	192.55
बीमा दावें Insurance Claims Received	467.87	347.83
अन्य विविध आय Other Miscellaneous Income	47.01	103.47
कुल Total	**1,981.48**	**2,153.11**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014
नोट 22 **NOTE 22**		
तैयार माल, कार्य प्रगति पर, विक्रेय में स्टॉक की मालसूची में परिवर्तन : **Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, Stock In Trade :**		
तैयार माल का आरंभिक स्टॉक Opening Stock of Finished Goods	71,729.96	4,00,240.99
घटाईयें: तैयार माल का अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock of Finished Goods	15,17,456.85	71,729.96
मालसूची में कमी / (वृद्धि) **Decrease / (Increase) in Inventories**	**(14,45,726.89)**	**3,28,511.03**
नोट 23 **NOTE 23**		
कर्मचारी लाभ व्यय : **Employee Benefits Expense :**		
वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य प्रोत्साहन Salaries, Allowances, Bonus & Other Incentives	5,488.74	4,866.81
छुट्टी का नकदीकरण (नोट 35 ख देखें) Encashment Of Leave (Refer note 35 B)	746.19	738.06
अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन निधी में अंशदान (नोट 35 क देखें) Contribution To Provident Fund & Pension Fund (Refer Note 35 A)	559.33	502.72
उपदान निधी में अंशदान (नोट 35 ख देखें) Contribution To Gratuity Fund (Refer Note 35 B)	323.10	62.04
अधिवर्षिता निधि में अंशदान (नोट 35 क देखें) Contribution To Superannuation Fund (Refer Note 35 A)	520.69	656.00
कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	342.97	269.52
कुल **Total**	**7,981.02**	**7,095.15**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014
नोट 24 NOTE 24		
वित्तीय लागत : Finance cost :		
(क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	32,386.35	16,370.40
(ख) अन्य B) Others	0.02	1.61
कुल Total	**32,386.37**	**16,372.01**
नोट 25 NOTE 25		
अन्य व्यय : Other Expenses :		
(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार (A) Ginning and Pressing Expenses		
जिनिंग प्रभार Ginning Charges	50,141.80	2,418.07
प्रेसिंग प्रभार Pressing Charges	23,989.39	1,198.49
श्रम और अन्य संसाधन प्रभार Labour and Other Processing Charges	15,993.84	843.34
कुल (क) Total (A)	90,125.03	4,459.90
(ख) अन्य परिचालन व्यय (B) Other Operating Expenses		
गोदाम किराया Godown Rent	5,604.48	4,100.51
बीमा Insurance	2,970.30	2,157.10
बैंक प्रभार Bank Charges	48.46	11.73
कपास उपज के सुधार पर व्यय Expenses on Improvement of Cotton Yield	17.07	11.52
कुल (ख) Total (B)	8,640.31	6,280.86

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	समाप्त वर्ष 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014
(ग) प्रशासकीय और स्थापना व्यय **(C) Administrative and Establishment Expenses**		
कार्यालय किराया Office Rent	76.19	69.09
यात्रा व्ययः Travelling Expenses of :		
- निदेशक / Directors	35.00	34.32
- अन्य / Others	183.65	139.91
दरें और कर * Rates & Taxes*	38.35	35.05
विधिक और व्यावसायिक शुल्क Legal & Professional Fees	186.82	106.39
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक (नोट 36 देखें) Remuneration to Auditors (Refer Note 36)	23.32	22.14
लागत परीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Cost Auditors	-	1.57
मरम्मत और अनुरक्षण (बिल्डिंग) Repairs & Maintenance (Building)	120.01	104.78
मरम्मत और अनुरक्षण (अन्य) Repairs & Maintenace (Others)	17.09	11.49
विज्ञापन Advertisement	23.29	26.00
जनसंपर्क और प्रचार Public Relation & Publicity	12.90	2.29
विदेशी विनिमय पर हानि (शुद्ध) Foreign Exchange Loss (Net)	-	3.91
अचल परिसंपत्तियों के बिक्री/निपटान पर हानि Loss on Sale /Discard of Fixed Assets (Net)	(0.73)	3.52
विद्युत जल प्रभार / जेनरेटर प्रभार Electricity Water Charges / Generator Charges	111.85	97.68
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान (नोट 33 देखें) Provision for Interest on outstanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises (Refer Note 33)	2.07	3.90
चारिटेबल ट्रस्ट को दान Donation to Charitable Trust	-	1.50
अन्य प्रशासनिक व्यय Other Administrative Expenses	529.40	412.06
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय Expenditure on Corporate Social Responsibility	47.32	62.16
कुल (ग)Total (C)	1,406.53	1,137.76

टिप्पण : * किरायेदारों से 82.30 लाख रूपये की शुद्ध वसूली (गत वर्ष 82.30 लाख रूपये)
Foot Note :*Net of Recovery of Rs. 82.30 lakh (previous year Rs. 82.30 lakh) from the tenants.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
(घ) विक्रय, संवितरण एवं प्रेषण व्यय **(D) Selling, Distribution & Forwarding Expenditure**		
विक्रय एवं संवितरण व्यय Selling & Distribution Expenses	4,311.64	1,249.64
दलाली / कमीशन Brokerage / Commission	236.35	21.47
नकद छूट Cash Discount	248.82	1,260.49
कुल (घ) Total (D)	4,796.81	2,531.60
(च) प्रावधान व बट्टे खाते व्यय **(E) Provisions and Write off Expenses**		
बट्टे खाते अग्रिम वसूली Advances/Recoverable Writen off	96.64	45.29
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के प्रावधान Provision For doubtful Debts/Advances	57.32	1,270.27
पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के लिए प्रावधान (नोट - 29 देखें) Provision for Interest on Punjab Infrastructure Cess (Refer Note-29)	812.25	12.56
प्राप्य बफर स्टॉक के हानि के लिए प्रावधान Provision for Buffer Stock Losses Receivable	-	2,157.14
कुल (ङ) Total (E)	966.21	3,485.26
(छ) पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध) **(F) Prior Period Expenses (Net)**		
आय Income		
विक्री और अन्य आय Sales and Other Income	-	(0.04)
लदान प्रभार,संविदा कमीशन के रद्द होने पर क्षतिपूर्ति बीमा दावे Carrying Charges, Compensation for Cancellation of Contracts Commission & Insurance Claims	29.58	(0.47)
विविध आय Miscellaneous Income	4.62	6.33
	34.20	5.82

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014
व्यय Expenditure		
जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार Ginning & Processing Charges	-	7.87
अधिवर्षिता निधि में अंशदान हेतु प्रावधान (नोट - 35 क देखें) Contribution to Superannuation Fund (Refer Note - 35A)	-	219.00
पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के लिए प्रावधान (नोट - 29 देखें) Provision for Interest on Punjab Infrastructure Cess (Refer Note-29)	-	3,349.63
प्रशासन तथा अन्य व्यय Administration & Other Expenses	75.48	103.99
	75.48	3,680.49
(आय)/ व्यय (शुद्ध) (च) (Income) / Expenditure (Net) (F)	41.28	3,674.67
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च) Total (A+B+C+D+E+F)	**1,05,976.17**	**21,570.05**

लेखों के लिए नोट्स

26. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है।

i) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि निश्चित और ऋण के रूप में नहीं मानी गई राशि 731.01 लाख रूपये है (गत वर्ष 705.48 लाख रूपये)। इसके अलावा यदि विधिक मामले कंपनी के विरूद्ध निर्णित होते हैं तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा ।

ii) बिक्री कर की माँग 212.10 लाख रूपये (गत वर्ष 140.30 लाख रूपये), जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है ।

iii) सेवा कर की माँग 4.06 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रूपये), जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है ।

iv) आयकर की मांग 1.82 लाख रू.(गत वर्ष 209.64 लाख रूपये) की राशि है, जिसके बारे में कंपनी ने आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील की है ।

v) "सी"/"एच" फार्मस् प्रस्तुत न करने की स्थिति में 725.68 लाख रू.(गत वर्ष 787.76 लाख रूपये)की राशि बकाया है जो कि बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण से पूर्व पार्टियों से "सी"/"एच" फार्मस् जमा करने के लिए कार्रवाई करें ।

vi) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और शून्य रूपये के लिए (गत वर्ष 0.62 लाख रूपये) प्रावधान नहीं किया गया है ।

vii) अन्य कमिटमेन्टस पर अनुमानित राशि तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है शून्य (गत वर्ष शून्य)

27. 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने के अनुसरण में कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 11 के पार्ट-सी में विनिर्दिष्टानुसार परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के आधार पर कंपनी ने मूल्यह्रास की गणना की है। तद्नुसार दि. 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्तियों का अग्रेषित मूल्य उनकी शेष उपयोगी आयु के मूल्यह्रास से किया गया है।

Notes to the Accounts

26. Contingent Liabilities not provided for:

i) Claims of employees and others against the Company of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 731.01 lakh (Previous year Rs. 705.48 lakh). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company.

ii) Sales Tax demands amounting to Rs. 212.10 lakh (Previous year Rs.140.30 lakh) in respect of which the Company is in appeals.

iii) Service Tax demands amounting to Rs. 4.06 lakh (Previous year Rs. Nil) in respect of which the Company is in appeal.

iv) Income Tax demands amounting to Rs. 1.82 lakh (Previous year Rs. 209.64 lakh) in respect of which the Company is in appeal before Commissioner of Income Tax (Appeals).

v) Dues towards non submission of 'C'/'H' forms is Rs. 725.68 lakh (net of credit available) (previous Year Rs. 787.76 lakh) which are being perused with the parties for collection of the 'C'/'H' form before Assessment by the Sales Tax Authorities.

vi) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Nil (Previous Year Rs. 0.62 lakh).

vii) Estimated amounts on other commitments and not provided for Nil (previous year Nil).

27. Pursuant to applicability of Companies Act, 2013 with effect from 1st April 2014, the Company has computed depreciation based on the useful life of the assets as specified in Part 'C' of the Schedule II to the Companies Act, 2013. Accordingly, the carrying amount of the assets as on 1st April 2014 has been depreciated over the remaining useful life of

आगे अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि जिनकी शेष उपयोगी आयु दिनांक 1 अप्रैल 2014 को शून्य थी कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 11 के नोट 7(बी) की आवश्यकता अनुसार आरक्षित व आपूर्ति के आरंभिक शेष के 219.18 लाखों की मान्यता दी गई है (116.00 लाख रू. का शुद्ध कर)

28. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 53561.65 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य) है, उसकी गणना एएस-12 प्रावधान के अंतर्गत की गयी है, उसकी प्रतिपूर्ति जो भारत सरकार द्वारा की जानी है । इसमें निम्न व्यय/ हानियाँ शामिल है :-

(i) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रशासकीय और स्थापना खर्चो को खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु खरीदी गई कपास गाँठों के सामने संसाधित की गई गांठो के मूल्य पर आधृत अचल परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास ।

(iii) निधियों पर ब्याज, जिसमें बैंक ऋण के साथ-साथ अपनी स्वयं की निधि भी शामिल है, के लिए गणना की गई है :-

क) गाँठों में बदलने के लिए संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों की प्रेसिंग की तारीख तक ।

ख) गॉठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए बेची गई और उठायी गई गांठों के लिए ।

ग) गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2015 तक अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए ।

घ) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए ब्याज को भुगतान की प्राप्ति तक लगाया गया है।

(iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

(v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन /ग्रे कपड़े के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

the fixed assets. Further, the carrying amount of fixed assets whose remaining useful life was Nil as at 1st April 2014 amounting to Rs. 219.18 lakh (Net of Tax of Rs. 116.00 lakh) have been recognized in the Opening Balance of Reserves & Surplus as required in Note 7 (b) of Schedule II to the Companies Act, 2013.

28. Losses amounting to Rs. 53561.65 lakh (Previous year Rs. Nil) arising on account of Support Price operations accounted for under the provisions of AS-12 are reimbursable by the Government of India. These expenses/ losses include:

i) Administrative and establishment expenses for the financial year 2014-15, apportioned on the basis of number of bales processed out of kapas purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets for the financial year 2014-15 allocated based on the value of bales processed out of kapas purchased.

iii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed, computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted - from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted - from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2015.

d) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

iv) Tarpaulins expenditure allocated on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/grey cloth expenditure allocated on the basis of the number of bales pressed.

(vi) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि 1.63 लाख रूपये है (गत वर्ष शून्य रूपये)।

(vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

29. वर्ष के दौरान कंपनी ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट तथा रेगुलेशन अधिनियम 2002 (संशोधित) के अंतर्गत कपास खरीदने पर उपकर के प्रति ब्याज देयताओं के लिए 812.25 लाख रू. के लिए प्रावधान किया है जिसके सामने चालू वर्ष में 12.56 लाख रू. का प्रभार लगाया है । (नोट सं.25-ई में अन्य व्यय के अंतर्गत) तथा दि.31.3.2013 तक की अवधि में 3349.63 लाख रू. नोट सं.25(एफ) में दर्शाये गए पूर्व अवधि व्यय में लिए गए हैं ।

30. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार निगम ने गुजरात राज्य में कपास मौसम 2011-12 के दौरान बफर स्टॉक के अंतर्गत खरीद कार्य किया । निगम को 3173.08 लाख रूपये की हानि हुई तथा एएस-12 के प्रावधानों के अनुसार इन हानियों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान किया जायेगा ।

वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 के दौरान ऊपर उल्लिखित 3173.08 लाख रू. के विरूद्ध केवल 1015.94 लाख रू. की प्रतिपूर्ति की है तथा शेष वित्तीय वर्ष 2013-14 में संदिग्ध वसूली (नोट 14 देखे) में रखा गया है। वसूली की अनिश्चितता के कारण 2157.14 लाख रू. की शेष राशि की प्रविष्टि बुक (अन्य व्यय नोट सं 25(ई)) में की गई है ।

31. अन्य आय में शून्य रू. (गत वर्ष शून्य रू.) तथा पूर्व अवधि की आय 29.58 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रू.) शामिल है जो कुल 29.58 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रू.) बनती है, जो चूककर्ता खरीददारों से उनको आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुनः बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए जमा राशि, अग्रिम, लदान प्रभार, ऋण शेष और उस पर ब्याज के लिए है ।

32. व्यापार प्राप्ति योग्य में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार, अन्य व्यापार प्राप्ति योग्य, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा भुगतान योग्य व्यापार पुष्टीकरण/समाशोधन के अधीन है।

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. 1.63 lakh (Previous Year Rs. Nil).

vii) Selling and Distribution expenses on actual basis.

29. Interest liability provided during the year towards 'Cess' on purchase of cotton under the Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 (Amended) amounted to Rs. 812.25 Lakh {Previous year 3362.19 lakh out of which Rs. 12.56 lakh was charged in the 2013-14 (under 'Other Expenses' in Note No. 25 (E)) and Rs. 3,349.63 lakh pertaining to periods upto 31.03.2013 was taken to Prior Period Expenses, shown in Note No. 25 (F)}.

30. As per mandate given by Government of India, Ministry of Textiles, the Corporation had undertaken buffer stock operations in the state of Gujarat during the cotton season 2011-12. Losses amounting to Rs. 3,173.08 Lakh were accounted for under the provisions of AS-12 being reimbursable by the Government of India during financial year 2012-13.

Ministry of Textiles reimbursed only a sum of Rs. 1,015.94 lakh during the year 2013-14 out of Rs. 3,173.08 lakh referred to above and the balance Rs. 2,157.14 lakh was provided for doubtful recoveries (Refer Note 14) in the financial year 2013-14 [under 'Other Expenses' in Note No. 25 (E)] due to uncertainty of recovery.

31. Other Income includes Rs Nil (Previous Year Rs. NIL) and Prior Period Income includes Rs. 29.58 lakh (Previous Year Rs. Nil) totaling Rs. 29.58 lakh (Previous year Nil) towards deposits, advance carrying charges, credit balances and interest thereon received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them.

32. Trade Receivable comprising NTC subsidiaries, Institutional Buyers, Other Trade Receivable, Loans and Advances, Deposits, Other Current Asset and Trade Payables are subject to confirmation/Reconciliation.

33. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत प्रकटीकरण :

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदान करनेवाली संस्थाओं से पुष्टि प्राप्त की है, जिन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट, 2006) के अंतर्गत जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर किया है तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत मायक्रो, स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राईजेस को देय शेष 554.78 लाख रूपये है (पिछले वर्ष 38.01 लाख रू.) ।

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान :

(लाख रूपये में)

को समाप्त वित्तीय वर्ष	मूल राशि *	ब्याज
31.03.2011	894.77	6.92
31.03.2012	205.88	60.75
31.03.2013	2733.02	130.76
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है

(ii)प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि "शून्य" है। (गत वर्ष शून्य रूपये) उपरोक्त (i) के अनुसार भुगतान योग्य राशि को छोड़कर ।

(iii) वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद जिसका भुगतान किया गया है परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं किया गया है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

33. Disclosure as required under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

The Company has obtained confirmations from suppliers and service providers who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Company, balance due to Micro, Small and Medium Enterprises defined under the MSMED Act, 2006 is Rs. 554.78 lakh (Previous Year Rs. 38.01 lakh).

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year :

(Rs. in Lakh)

Financial Year end	Principal *	Interest
31.03.2011	894.77	6.92
31.03.2012	205.88	60.75
31.03.2013	2733.02	130.76
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73

*Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year is Nil (Previous Year Nil). Except amounts payable as in (i) above.

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act is Nil (Previous Year Nil).

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि निम्नानुसार है :

को समाप्त वित्तीय वर्ष	राशि लाख रू. में
31.03.2011	6.92
31.03.2012	60.75
31.03.2013	130.76
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया राशि वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को भुगतान किया गया है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 136.73 लाख रूपये है । (गत वर्ष 134.66 लाख रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

34. वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुनः बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की राशि हानि के लिए संविदागत गॉठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ताओं के विरूद्ध परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या, में मामलों के रूप में लंबित हैं । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, ऐसे मामले के लंबित रहने तक भारत सरकार को देय अन्य देय शीर्ष के अंतर्गत (संदर्भ नोट-4) इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु ली गयी है ।

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is as under :

Financial Year end	Amount Rs. in lakh
31.03.2011	6.92
31.03.2012	60.75
31.03.2013	130.76
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is – Rs. 136.73 lakh (Previous Year Rs 134.66 lakh).

The above information is given to the extent available with the Company.

34. On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1679.63 lakh (Previous Year Rs. 1679.63 Lakh) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in form of large number of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, shall be accounted for on settlement of such cases and are currently shown under the head of Other Long Term Liabilities - Other Payable (refer Note -4) being payable to the Government of India.

35. लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" द्वारा अपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी ने लाभ और हानि विवरणी में निम्न राशियों को मान्यता दी है :-

	2014-15 (लाख रूपये में)	2013-14 (लाख रूपये में)
भविष्य निधि तथा पेन्शन फंड में अंशदान	559.33	502.72
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान	520.69	875.00

(ख) लाभ योजनाओं की परिभाषा/दीर्घावधि प्रतिपूर्ति अभाव :

दि.31.03.2015 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कर्मचारी लाभ योजना के संबंध में वित्तीय विवरणियों में मान्य है ।

35. Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows :

(A) Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the Statement of Profit and Loss:

	2014-15 (Rs. in lakh)	2013-14 (Rs. in lakh)
Contribution to Provident Fund and Pension Fund	559.33	502.72
Contribution to Superannuation Fund	520.69	875.00

(B) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences-

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2015 and recognized in the financial statements in respect of Employee Benefit Schemes:

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakh)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULARS	उपदान (वित्त पोषित) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) Leave Encashment (Non funded)	
		दिनांक 31.03.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 को As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014को As on 31.03.2014
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक** **Components of employer expense**				
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	64.95	85.54	118.91	134.54
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	315.08	290.08	268.47	227.02
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्राप्ति (c) Expected return on plan assets	(287.40)	(292.35)	0.00	0.00
	(ड) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	231.03	(20.53)	358.80	376.50
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Account	323.66	62.74	746.19	738.06
ii.	**वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान** **Actual contribution and Benefit payments**				
	वास्तविक लाभ का भुगतान / Actual benefit payments	(563.38)	(610.86)	(491.66)	(707.50)
	वास्तविक अंशदान / Actual contribution	62.73	226.55	491.66	707.50
iii.	**तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व** **Net liability recognized in Balance Sheet**				
	परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3416.01	3366.22	3122.82	2868.30
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	3092.35	3303.48	0.00	0.00
	तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व Net liability recognized in Balance Sheet	(323.66)	(62.74)	(3122.82)	(2868.30)
iv.	**परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन** **Change in Defined Benefit Obligations**				
	वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	3366.21	3626.00	2868.30	2837.74
	वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	64.95	85.54	118.91	134.54
	ब्याज लागत / Interest cost	315.07	290.08	268.47	227.02
	बीमांकिकी हानि / Actuarial losses	233.17	(24.54)	358.80	376.50
	देयता का स्थानांतरण / Liability transfer in	0.00	0.00	0.00	0.00
	भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid	(563.38)	(610.86)	(491.66)	(707.50)
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3416.02	3366.22	3122.82	2868.30

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakh)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULARS	उपदान (वित्त पोषित) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) Leave Encashment (Non funded)	
		दिनांक 31.03.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 को As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2015 को As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014को As on 31.03.2014
v.	**संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in Fair Value of Assets**				
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	3303.48	3399.45	0.00	0.00
	परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	287.40	292.35	0.00	0.00
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company's contribution	62.73	226.55	0.00	0.00
	भुगतान किये गये लाभ Benefits paid	(563.38)	(610.86)	0.00	0.00
	परिसंपत्ति योजना पर बिमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	2.12	(4.01)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में परिसंपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	3092.35	3303.48	0.00	0.00
vi.	**बीमांकिकी धारणा Actuarial Assumptions**				
	छूट की दर (%) Discount Rate (%)	7.92%	9.36%	7.92%	9.36%
	परिसंपत्ति योजना पर प्रत्याशित प्राप्ति (%) Expected Return on plan assets (%)	7.92%	8.70%	0.00%	0.00%
	संनिघर्षण दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	वेतन वृद्धि (%) Salary escalation (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
vii.	**कुल परिसंपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार परिसंपत्ति योजना की मुख्य श्रेणियाँ : The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	**100%**	**100%**	**0.00%**	**0.00%**
	भारत सरकार परिसंपत्तियाँ Government of India Assets	37.41%	38.22%	0.00%	0.00%
	कॉरपोरेट बॉन्डस् Corporate Bonds	55.61%	55.56%	0.00%	0.00%
	विशेष जमा राशि योजना Special Deposits Scheme	5.72%	5.68%	0.00%	0.00%
	अन्य Other	1.26%	0.54%	0.00%	0.00%

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakh)

viii	अनुभव समायोजन / Experience Adjustment	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
क. a.	**उपदान / Gratuity**					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	3416.02	3366.22	3626.00	3759.32	3343.76
	नियोचित आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Planned Assets	3092.35	3303.48	3399.45	3061.11	2986.26
	अधिशेष/घाटा / (Surplus)/Deficit	323.66	62.74	226.55	698.21	357.50
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	233.17	(24.54)	89.76	515.95	270.23
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Assets [(Gain)/Loss]	2.12	(4.01)	(33.77)	(43.25)	(30.66)
ख. b.	**छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment**					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	3122.82	2868.30	2837.74	3348.31	2306.76
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	358.80	376.50	(267.01)	1229.71	291.94

31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 संपत्ति योजना निवेश सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा बॉन्डस् में किया गया ।

As at March 31, 2015 and March 31, 2014 the plan assets have been invested in Government Securities & Bonds.

36. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (सेवा कर को छोड़कर)

36. Auditor's Remuneration (Excluding Service Tax)

	ब्यौरे / Particulars	2014 - 2015 (Rs. in Lakh)	2013 - 2014 (Rs. in Lakh)
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	16.00*	14.00
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax / VAT Audit Fees	6.28**	5.88
ग) c)	प्रमाणीकरण के लिए For certification	0.00	1.50
घ) d)	व्यय की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Expenses	1.04	0.76
	कुल / Total	**23.32**	**22.14**

* पिछले वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 2.00 लाख रू. लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया ।

** पिछले वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 0.50 लाख रू. लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया ।

* Includes incremental difference of Audit Fees of Rs. 2.00 lakh for financial year 2013-14, paid during the financial year 2014-15.

** Includes incremental difference of Tax Audit Fees of Rs. 0.50 lakh for financial year 2013-14, paid during the financial year 2014-15.

37.(क) अकोला शाखा में दि.6.5.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गॉठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं.117/10 दि.8.5.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गॉठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । कथित मामला संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 पूर्णबंधित गॉठों को प्राप्त किया और उन्हें जब्त किया । ये 900 गांठें एल.सी.बी. यवतमाल के कबजे. में है और पुसद में एमएसडब्लयूसी गोदाम में भंडारित हैं । कंपनी ने इन गांठों के कबजे. और बिक्री के लिए मान. न्यायालय में आवेदन किया है । 37.49 लाख रू. की राशि की 300 पूर्णबंधित गॉठें दोषी से वसूल हुई है और एल.सी.बी. यवतमाल जांच कार्यालय में जमा की गयी है । शेष 12 पूर्णबंधित गॉठों के पुलिस जांच चल रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है तथा इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी प्राप्त किया जायेगा, गिना जायेगा ।

(ख) गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 कपास गॉठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कॉर्ट के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 100 कपास गॉठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100 कपास की गॉठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20.81लाख रू. की राशि प्राप्त हुई । 0.83 लाख रू. की राशि गॉठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद 19.98 लाख रू की राशि दि. 19.4.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे गिना जायेगा ।

(ग) कपास मौसम 2012-13 के दौरान शा.प्र. रायगढ़ा ने गुनुपुर केन्द्र पर कपास की खरीदी पर नियंत्रण नहीं रखा तथा कुछ गंभीर अनियमितताएँ व कमियाँ पाई गई जिसके लिए सीसीआई (सीडीए)

37. (a) In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on dated 06.05.2010. A Criminal case was registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakh. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation Police recovered 900 FP Bales and ceased. These 900 bales are in the possession of L.C.B. Yeotmal and are stored in MSWC godowns at Pusad. The Company applied to the Honorable Court, Yeotmal for possession and sale of these bales. Value of 300 FP bales amounting to Rs. 37.49 lakh has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is being investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock and any realization on this account will be accounted as and when received.

(b) In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20.81 lakh was realized thereof. The amount of Rs. 19.98 lakh after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 0.83 lakh has been deposited with the court on 19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

(c) During the Cotton Season 2012-13, Branch Manager, Rayagada failed to exercise control over the procurement of Kapas at Gunupur centre and certain serious irregularities, lapses were noticed for which Charge Sheet

नियमावली 1975 के नियम 25 के अंतर्गत शा.प्र. रायगढ़ा को चार्ज शीट दिनांक. 24.02.14 जारी की गई। विभागीय जाँच भी आयोजित की गई जिसमें दोष सिद्ध हुए व इस वर्ष के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक रैंक नीचे गिराने का दंड दिया ।

(घ) कपास मौसम 2012-13 के दौरान ताड़ी कोंडा व माचेरला केन्द्रों पर प्रेस वोट व सुपुर्दगी वेट में असामान्य अंतर पाया गया। आगे, केन्द्र प्रभारी द्वारा खरीदी की देख-रेख तथा कपास की प्रेसिंग में हुई लापरवाही के कारण ऑफ-ग्रेड/ डिस-कलर्ड गाँठों को मार्केट दर से कम दरों पर खुली निलामी में बेचना पड़ा। जिसके कारण केन्द्र प्रभारी को सस्पेंड किया गया तथा विभागीय जाँच प्रारंभ की गई। वर्ष के दौरान जाँच प्राधिकारी के निष्कर्ष के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवाओं से डिसमिस करने का दंड लगाया।

(ङ) कपास मौसम 2012-13 के दौरान वारंगल केन्द्र द्वारा फेयर एवरेज क्वालिटी से कम, कपास की खरीदी की गई तथा गाँठों की गलत पैकिंग, प्रेस वजन व सुपुर्दगी वजन में असामान्य कमी पायी गयी। जिसके लिए वारंगल केन्द्र के दो कर्मचारियों को चार्जशीट जारी की गई तथा विभागीय जाँच आरंभ की गई। वर्ष के दौरान जाँच प्राधिकारी के निष्कर्ष के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवाओं से डिसमिस करने का दंड लगाया।

dated 24.02.2014 was issued to the Branch Manager, Rayagada under Rule 25 of CCI (CDA) Rules 1975. A departmental enquiry was conducted and charges were held proved. During the year, the Disciplinary Authority has awarded punishment of reduction in Rank.

(d) During the Cotton Season 2012-13, abnormal difference in press & delivery weight were observed at Tadikonda and Macherla centres. Further, the centre In-charge committed gross negligence in supervising procurement and pressing of Kapas resulting in "off-grade"/ "dis-coloured bales" which were sold in open auction at lower than the market rates. The Centre Incharge was suspended and Departmental Enquiry was initiated against the centre incharge. In accordance with the findings of the Inquiring Authority during the year, the Disciplinary Authority has awarded penalty of dismissal from service.

(e) During the Cotton Season 2012-13, at Warangal Centre the cotton was procured below fare average quality, false packing of bales, abnormal shortages in press to delivery weight was observed. Charge Sheet was issued against two employees of the Warangal Centre and Departmental Enquiry was conducted. In accordance with the findings of the Inquiring Authority during the year, the Disciplinary Authority has awarded penalty of dismissal from service.

38. प्रमाणित मात्रात्मक प्रकटन

(क) आरंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, बेचे गये और तैयार माल के पण्यवार ब्यौरे

38. Quantitative Disclosure

A) Commodity wise breakup of opening stock, purchases, sales and Closing Stock of Raw Material, Traded and Finished Goods.

मद / Items	उपभोग / Consumption	
	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
कपास* Kapas*	**44805063** (2504393)	**1830442.15** (112844.73)
पैकिंग सामग्री Packing Material	**-**	**6983.29** (479.68)
तारपोलिन Tarpaulin	-	**4.36** (262.21)
कुल Total	-	**1837429.80** (113586.62)

विपणित माल / **Traded Goods**	खरीद / Purchases	
	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**0**	**0.00**
कुल Total	**0**	**0.00**

माल का स्वरूप Nature of Goods	बिक्री Sales		अंतिम मालसूची Closing Inventory		आरंभिक मालसूची Opening Inventory	
देशी कपास संसाधन Domestic Cotton Processing	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)	मात्रा Quantity	मूल्य (लाख रू. में) Value (Rs. In Lakh)
पूर्णबंधित गाँठें(संख्या में) FP Bales (In No.)	****419451** (2333930)	**74983.78** (459511.61)	**8619183** (395960)	**1503018.63** (70580.32)	**395960** (2255723)	**70580.32** (397635.13)
रूई (क्विंटल में) Lint (In Qntls)	*****14396260** (797700)	**36.01** (49.47)	******32** (20)	**3.39** (1.18)	******20** (99)	**1.18** (9.98)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds(In Qntls)	**27907786** (1658821)	**408763.44** (26582.48)	**933043** (67141)	**14434.83** (1148.46)	**67141** (202646)	**1148.46** (2595.88)
कुल **Total**		**483783.23** (486143.56)		**1517456.85** (71729.96)		**71729.96** (400240.99)

विपणित माल **Traded Goods**						
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**0** (0.00)	**0** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)
कुल **Total**	**0** (0.00)	**0** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)

नोटः- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित है.

* अग्नि में नष्ट 7449.01 क्विंटल्स (गत वर्ष 3023.19 क्विंटल्स) 383.93 लाख रू. की कपास शामिल है, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

** पूर्ण-बंधित गाँठों में, 2809 (गत वर्ष 4527) 493.14 लाख रू. पूर्ण बंधिक गाँठें अग्नि में खोयी/ क्षतिग्रस्त/ चोरी/परिवहन में खोयी आदि शामिल है, उसे पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य हानि मानी जाएगी, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

*** अग्नि में नष्ट 14395929.36 क्विंटल (गत वर्ष 797228.55 क्विंटल) रूई से पूर्ण बंधित गाँठें जिसमें 27.64 लाख रू. की 254.68 क्विंटल शामिल है (गत वर्ष शून्य) जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं । इसमें 36.01 लाख रू. की रूई (गत वर्ष 49.47 लाख रू. की 471.77 क्विंटल रूई) शामिल है जो रूई फार्म में बेची गई।

***** संसाधित हानि के बाद समायोजन

Notes: Figures in bracket relates to previous year

* includes 7449.01 qtls. (Previous Year 3023.19 qtls.) amounting to Rs. 383.93 lakh kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

** Includes 2809 (Previous Year 4527) F.P. bales, amounting to Rs. 493.14 lakh, lost in fire/ damages/theft/ transit loss etc are being treated as normal loss as followed in previous years for which insurance claims lodged.

*** Represents 14395929.36 qtls. (Previous Year 797228.55 qtls.) of Lint consumed for making FP bales which includes 254.68 qtls (Previous Year Nil) of Lint amounting to Rs. 27.64 lakh lost in fire for which insurance claims lodged. It also includes 330.41 qtls. of Lint amounting to Rs.36.01 lakh (Previous Year 471.77 qtls. of Lint amounting to Rs. 49.47 lakh) sold in Lint form.

**** after adjusting processing loss.

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन :

(B) Earnings in Foreign Currency:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakh)

	2014-2015	2013-2014
माल के निर्यात पर : Export of Goods on :-		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	Nill	656.71
सी एंड एफ आधार पर C & F basis	Nil	Nil
निर्यात पर रखरखाव प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges and Exchange difference on Export	Nil	Nil

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय

(C) Expenditure in foreign currency

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakh)

	2014-2015	2013-2014
(i) यात्रा Travelling	0.79	12.94
(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals & Subscription	6.15	4.42
(iii) निर्यात पर कमीशन Commission on export	Nil	Nil
(iv) निर्यात पर रखरखाव प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges and Exchange difference on Export	Nil	3.91

39. सेग्मेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय शामिल है ।

ख) आगे ,भारत के बाहर बिक्री नहीं है अतः भौगोलिक सेग्मेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

39. Segment Reporting:

a) The Company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk and returns, this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) Further, there are no sales outside India, hence geographical segment is not reported.

40. प्रति शेयर पर आय की गणना

40. Calculation of Earning per share

ब्यौरे / Particulars	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) (लाख रूपये में) A) Profit Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	2258.63	5984.20
ख) ईक्विटी शेयर्स की वेटेज औसत संख्या B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर्स नाममात्र मूल्य C) Nominal Value Per Equity Share (Rs)	100	100
घ) मूल और तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर्स (रू) (क/ख) D) Basic and Diluted Earnings per share (Rs.) (A/B)	90.35	239.37

41. संबंधित पार्टी की घोषणा

41. Related Party Disclosure

1) संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. Sr. no.	संबंधित पार्टी का नाम Name of related party	संबंध Relationship
a.	श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director	मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel
b.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त) Shri Pradeep Kumar Agarwal, Director (Finance)	
c.	श्री एम.एम.चोक्कलिंगम, निदेशक(विपणन) Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)	

2) वर्ष के दौरान सौदे
Transactions during the year :

क)	**पारिश्रमिक**	(रूपये लाख में)
A.	**Remuneration**	(Rs. in lakh)
-	वर्तमान वर्ष	76.28
-	Current Year	
-	गत वर्ष	68.02
-	Previous Year	

निगमित कार्यकलाप मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दि.05 जून, 2015 के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।
The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 in respect of Managerial Remuneration are not applicable to the Company vide notification no. dated 05th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

ख) ऋण (ऋण पर ब्याज शामिल करते हुए)

B) Loans (Including interest on Loans):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakh)

निदेशको का नाम Directors Name	दि.01/04/2014 को आरंभिक शेष Opening Balance as on 01/04/2014	वर्ष के दौरान लिये गये Taken during the year	वर्ष के दौरान भुगतान किये गये Repaid during the year	दि.31/03/2015 को बकाया शेष Balance outst-anding as on 31/03/2015	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum Balance outstanding during the year
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल Shri Pradeep Kumar Agarwal	**0.11** (0.16)	**0.50** (0.00)	**0.55** (0.05)	**0.06** (0.11)	**0.61** (0.16)
कुल Total	**0.11** (0.16)	**0.50** (0.00)	**0.55** (0.05)	**0.06** (0.11)	**0.11** (0.16)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के है)
(Previous Year figure in bracket)

42. निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः वाणिज्यिक खरीद 4.74 लाख गाँठों के सामने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्यतः समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत 86.43 लाख गाँठों (कपास से संसाधन की हुई गाँठें) की खरीद की है । तथापि परिचालन व अन्य व्यय पिछले वर्ष के खर्च से तुलना योग्य नहीं है ।

42. During the financial year 2014-15, the Corporation has procured 86.43 lakh bales (Bales processed from Kapas) mainly under Minimum Support Price Operations as against 4.74 lakh bales procured during the previous year mainly under Commercial Operations. Therefore, the operating and other expenditures are not comparable to previous year's expenses.

43. डरिवेटिव संविदाओं को शामिल करते हुए कंपनी के पास कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके कारण कंपनी को कोई भावी आर्थिक हानि हो सके ।

43. The company does not have any long–term contracts including derivatives contracts for which there could be any material foreseeable losses.

44. कंपनी द्वारा इनवेस्टर एड्यूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरण करने योग्य कोई राशि नहीं है ।

44. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

45. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनः निर्धारित /बताया गया है ।

45. The previous year figures have been regrouped / restated wherever necessary.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)**	**(एम. एम. चौक्कलिंगम)**	**(मोहम्मद जफर रिजवानी)**
(B. K. Mishra)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M. M. Chockalingam)**	**(Mohd. Zaffar Rizwani)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-Cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN - 02510840	DIN - 05234132	DIN - 00051704	Membership No.:ACS27451

दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August, 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते प्रसाद आजाद एंड कं
For Prasad Azad & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001009एन)
(Firm Registration No.:001009N)
Sd/-
(दीपक आजाद)
(Deepak Azad)
भागीदार
Partner
भागीदार 94115
Membership No. : 94115
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.
In Terms of our Report of even Date Annexed.

कृते बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.08186एन)
(Firm Registration No.:08186N)
Sd/-
आर.के.गुप्ता
(R. K. Gupta)
भागीदार
Partner
भागीदार 86851
Membership No. : 86851
दिनांक : 31 अगस्त 2015
Date : 31st August 2015
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

इलाहाबाद बैंक	ALLAHABAD BANK
आंध्रा बैंक	ANDHRA BANK
बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूको बैंक	UCO BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	UNITED BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

फार्म नं. एमजीटी-11
FORM NO. MGT - 11

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM

(कंपनीज. अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसरण में कंपनीज.(प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के साथ पढ़ा जाये ।)

{Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 19(3) of the Companies (Management and administration) Rules, 2014}

सीआईएन नंबर / CIN Number : U51490MH1970GOI014733

कंपनी का नाम / Name of Company : THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

पंजीकृत कर्यालय / Registered Office : 'KAPAS BHAVAN', PLOT NO 3A, SECTOR – 10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI – 400 614

सदस्यों के नाम / Names of Member :

पंजीकृत पता / Regd. Address :

ई मेल आई डी / E-mail ID :

फोलियो नं. / Folio Number :

मैं उपरोक्त कंपनी के एक शेयर सदस्यता के नाते एतदद्वारा दिनांक _____ को आयोजित कंपनी की 45वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेने व मेरे लिए व मेरी ओर से तथा वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में दिए अनुसार ऐसे संकल्प के बारे में किसी प्रकार के स्थगन पर वोट करने के लिए मेरी प्रॉक्सी के लिए श्री/श्रीमती _____ _____को नियुक्त करता हूँ ।

I, being the member (s) 1(one) Shares of the above named Company, hereby appoint Shri/Smt._____ _____ as my proxy to attend and vote (on a poll) for me & on my behalf at the 45th Annual General Meeting of the Company to be held on _____ _____ and at any adjournment thereof in respect of such resolution as given in Notice of AGM.

हस्ताक्षर की तारीख / Signed this _____

हस्ताक्षर / Signature: _____

[**नाम** / Name:_____]





महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ' ग्रहण करते हुए निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री बी.के. मिश्र.

Shri B.K. Mishra, Chairman-cum-Managing Director receiving 'Rajbhasha Kirti Puraskar' from Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee.

Designed & Printed by creativeline2009@gmail.com